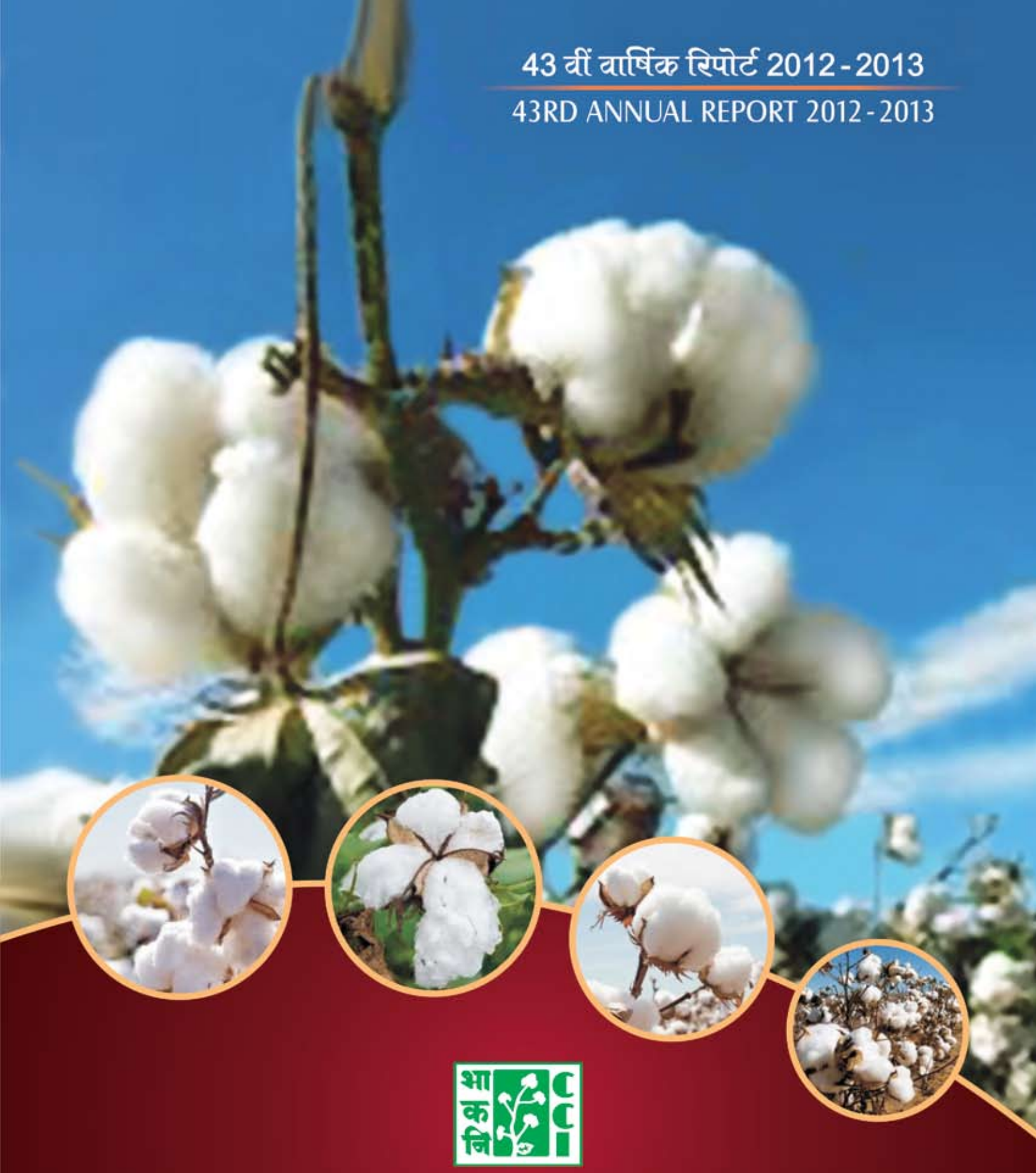
43 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013

43RD ANNUAL REPORT 2012-2013



भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

निदेशक मंडल
(दिनांक 05.12.2013 को)
BOARD OF DIRECTORS
(As on 05.12.2013)



श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri B. K. Mishra, Chairman cum Managing Director



श्रीमती पुष्पा सुब्रहमण्यम, निदेशक
Smt. Pushpa Subrahmanyam, Director



श्री राकेश कुमार सिन्हा, निदेशक
Shri Rakesh Kumar Sinha, Director



श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)
Shri Pradeep Kumar Agarwal, Director (Finance)



श्री एम. एम. चोक्कलिंगम, निदेशक (विपणन)
Shri M. M. Chockalingam, Director (Marketing)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
43वीं वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
43RD ANNUAL REPORT 2012-2013

निदेशक मंडल
(दिनांक 05-12-2013)

श्री बी.के.मिश्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती पुष्पा सुब्रहमण्यम	निदेशक
श्री राकेश कुमार सिन्हा	
श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	
श्री एम. एम. चोक्कलिंगम	
श्री मो. जफर रिजवानी	कंपनी सचिव

BOARD OF DIRECTORS
(As on 05-12-2013)

Shri B. K. Mishra	Chairman cum Managing Director
Smt. Pushpa Subrahmanyam	Directors
Shri Rakesh Kumar Sinha	
Shri Pradeep Kumar Agarwal	
Shri M. M. Chockalingam	
Shri Mohd. Zaffar Rizwani	Company Secretary

लेखा परीक्षक

मेसर्स चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल, मुंबई

मेसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल, नई दिल्ली

AUDITORS

M/s. Chokshi & Chokshi
Chartered Accountants, Mumbai

M/s. Prem Gupta & Co.
Chartered Accountants, New Delhi

पंजीकृत कार्यालय

"कपास भवन"
प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर - 10, सी.बी.डी. बेलापुर,
नवी मुंबई - 400 614
वेब साईट : www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

REGISTERED OFFICE

"Kapas Bhavan"
Plot No. 3A, Sector 10, C.B.D. Belapur
Navi Mumbai - 400 614
Website: www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

अनुक्रमणिका

सूचना	02
अध्यक्ष का अभिभाषण	04
निदेशकों की रिपोर्ट	14
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	44
महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी	55
वार्षिक लेखे	56
बैंचमार्किंग उत्कृष्टता	105
बैंको की सूची	133

CONTENT

Notice	02
Chairman Speech	04
Directors' Report	14
Auditor's Report	44
Comments of the CAG	55
Annual Accounts	56
Benchmarking Excellence	105
List of Banks	133

सार्वजनिक उपक्रम - प्रगति के लिए वचनबद्ध
The Public Sector - A Commitment to Progress

सूचना

NOTICE

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक **गुरूवार, 5 दिसंबर, 2013 को 12.30 बजे** कपास भवन, प्लॉट नं 3ए, सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 में निम्नलिखित काम-काज करने के लिए आयोजित की जायेगी :

सामान्य व्यवसायः

1. 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित विवरणी और लाभ-हानि खाता, तुलन-पत्र तथा निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ संबंधित विवरणियाँ और नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त और स्वीकार करना ।
2. वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश की घोषणा करना ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **भारतीय कपास निगम लिमिटेड**

हस्ता/-
(मोहम्मद जफर रीजवानी)
कंपनी सचिव

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 11.11.2013

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of The Cotton Corporation of India Limited will be held on **Thursday the 5th December, 2013 at 12.30 p.m.** at Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector 10, CBD-Belapur, Navi Mumbai 400 614 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Statement of Profit & Loss for the year ended 31st of March, 2013, the Balance Sheet as at that date and Directors' report and Auditor's Report alongwith other related documents and comments of Comptroller & Auditor General of India thereon.
2. To declare dividend for the financial year 2012 - 13.

By order of the Board of Directors,
For **THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.**

Sd/-
[Mohd. Zaffar Rizwani]
(Company Secretary)

Place: Navi Mumbai
Date : 11.11.2013

नोट्स:

1. बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के हकदार अधिकारी सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने और अपने स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।
2. बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पास सदस्य का प्रॉक्सी पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रॉक्सी प्रपत्र वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के अंत में दिया गया है ।
3. उपस्थिति पर्ची अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत वैद्य प्रतिनिधियों को ही बैठक में भाग लेने की अनुमति है । यदि संयुक्त नाम पर अथवा विभिन्न रजिस्टर्ड फोलियो में शेयर्स हो, तो मुख्य धारक /प्रथम संयुक्त धारक वही है तो ऐसे मामले में केवल प्रथम संयुक्त धारक अथवा ऐसे धारक द्वारा कोई प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो मामला कैसा भी हो उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।
4. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ में लायें ।
5. बैठक में भाग लेने के लिए सदस्य /प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची विधिवत् भरकर साथ में लायें ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **भारतीय कपास निगम लिमिटेड**

हस्ता/-
(मोहम्मद जफर रीजवानी)
कंपनी सचिव

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 11.11.2013

प्रति,
कंपनी के सभी सदस्य, निदेशक तथा लेखा परीक्षक

NOTES:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON POLE INSTEAD OF HIMSELF. SUCH PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.
2. PROXIES IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. THE PROXY FORM IS ENCLOSED AT THE END OF NOTICE TO AGM.
3. Only members carrying the attendance slips or holders of valid proxies registered with the Company will be permitted to attend the meeting. In case of shares held in joint names or shares held under different registered folios wherein the name of the sole holder/first joint-holder is same, only the first joint-holder/sole holder or any proxy appointed by such holder, as the case may be, will be permitted to attend the meeting.
4. Members attending the meeting are requested to bring their copy of the Annual Report.
5. Members/ Proxies should bring the attendance slips duly filled in for attending the meeting.

By order of the Board of Directors,
For **THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.**

Sd/-
[Mohd. Zaffar Rizwani]
(Company Secretary)

Place: Navi Mumbai
Date : 11-11-2013

To,
All Members, Directors & Auditors of the Company

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

निगम की 43 वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

प्रिय शेयर धारको,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की इस 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर मैं, अपनी ओर से और निगम के निदेशक मंडल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ । इस बैठक की सूचना की नोटिस, निदेशक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से, मैं उसे पठित मानता हूँ ।

कपास मौसम 2012-13 के दौरान कपास क्षेत्र और उत्पादन में कमी के साथ-साथ देशी और अंतर्राष्ट्रीय मांग ने कई चुनौतियाँ और अवसर खड़े किये । आपके निगम के अपने संशोधित खरीद एवं बिक्री नीति और निष्ठावान एवं अनुभवी कर्मचारियों के कारण चुनौतियों का सामना करने और संगठन के लिए उल्लेखनीय स्थान बनाने तथा इसे और दृढ़ बनाने में सफल रहा है ।

1. कपास परिदृश्य

विश्वीय:

- वर्ष 2012-13 में कपास मूल्यों में गिरावट के कारण, कपास उत्पादक अन्य लाभकारी विकल्पी फसलों की ओर आकर्षित हुए, जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 में विश्व कपास एकरेज, पिछले वर्ष के 36.11 मिलियन हेक्टर के विरूद्ध 6% तक घटकर 33.88 मिलियन हेक्टर रह गया ।
- विश्व कपास उत्पादन, पिछले वर्ष के 28.04 मिलियन टन्स के सामने 4% तक घटकर 26.88 मिलियन टन्स रह गया । कपास उत्पादकों को न्यूनतम दर प्राप्त होने के परिणामस्वरूप खेती में घटौती आयी, जिससे उत्पादन में कमी आयी।
- अन्य फायबर्स की तुलना में कपास की दरें अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने के कारण, विश्व कपास मिलों ने उसकी उपयोगिता को 3% यानि 23.48 मिलियन टन्स तक बढ़ाया जबकि पिछले वर्ष यह 22.79 मिलियन टन्स था ।

SPEECH OF CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR AT THE 43RD ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CORPORATION

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of the Board of Directors of the Corporation and also on my behalf to this 43rd Annual General Meeting of The Cotton Corporation of India Limited (CCI). The Notice convening the meeting, the Director's Report and the Annual Audited Accounts for the year ended 31st March 2013 together with the Report of Statutory Auditors, and report and review of Comptroller Auditor General of India, have already been circulated and with your permission, I shall take them as read.

The cotton acreage and production has declined during the Cotton Season 2012-13 as also the demand domestically and internationally posing challenges and opportunities. Your Corporation with its revised purchase and sales policies, dedicated and experienced cadre of employees had been able to meet these challenges creating value for the organization and gaining further strength.

1. COTTON SCENARIO

Global:

- During 2012-13, the decline in price drove cotton farmers to switch to more profitable alternative crops. As a result, the world cotton acreage in 2012-13 had decreased by 6% to 33.88 million hectares as against 36.11 million hectares in the previous year.
- World cotton production fell by 4% to 26.88 million tons as against 28.04 Million tons in the previous year. The decrease in production was driven by reduced plantings, in reaction to lower prices received by cotton farmers.
- Due to relatively more competitive cotton prices than other fibers, global cotton mill use increased by 3% to 23.48 million tons in 2012-13 as against 22.79 million tons during last season.

- विश्व कपास व्यापार 2012-13 में 9.75 मिलियन टन्स पर स्थिर रहा क्योंकि वर्ष 2011-12 में चीन रिजर्व बिल्डिंग नीति अस्पष्ट रही ।
- वर्ष के अंत में, वैश्विक अंतिम स्टॉक 18.27 मिलियन टन्स यानि वर्ष 2012-13 में लगभग 17% तक वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 15.23 मिलियन टन्स था ।

देशी

कपास का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता:

1. कपास के क्षेत्र में देरी से वर्षा के कारण वर्ष 2012-13 में कपास के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र में 117.73 लाख हेक्टर यानि लगभग 3% तक घटौती हुई जबकि पिछले वर्ष यह 121.78 लाख हेक्टर था । वर्ष के दौरान बीटी कपास खेती के अंतर्गत कुल 117.73 लाख हेक्टर का 88% तक घटौती हुई जबकि पिछले वर्ष यह घटौती 91% थी ।
2. भारत सरकार द्वारा मिनी मिशन I तथा II के द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों के कारण गुणवत्तावाली प्रमाणित बीजों की बेहतर उपलब्धता और ट्रुथफुल लेबल बीजों, बी.टी. का वृद्धित रोपण और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा सुधारित खेती प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों की विचार धारा में आये परिवर्तन से देश में कपास की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 में कपास का क्षेत्र 121.78 लाख हेक्टर तक पहुँच गया ।
3. कपास मौसम 2012-13 में कपास की उत्पादकता 518 कि. ग्रा. प्रति हेक्टर रही जबकि पिछले वर्ष यह 512 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर थी ।

2. माँग और आपूर्ति स्थिति:

- देश में कपास मौसम 2012-13 के दौरान कपास की उपलब्धता 419.59 लाख गाँठें तथा उसके साथ 40 लाख गाँठों का अवशेष स्टॉक और कपास का उत्पादन 365 लाख गाँठें और अनुमानित आयात 14.59 लाख गाँठों की रही ।
- देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेत्तर उपभोग शामिल है । का अनुमान 283.16 लाख गाँठें लगाया गया है और 101.43 लाख गाँठों के अनुमानित निर्यात के साथ, कपास मौसम 2012-13 में कपास की कुल विलुप्तता 384.59 लाख गाँठें बतायी गयी है जबकि पिछले वर्ष यह 380.28 लाख गाँठों की थी ।

- World cotton trade in 2012-13 had remained at par with 9.75 million tons of 2011-12 due to unclear policy for building of reserves by China.
- Global ending stock at the end of the year has increased by around 17% to 18.27 million tons in 2012-13 as against 15.23 million tons in previous year.

Domestic

Acreage, production and productivity of cotton:

1. Due to delayed monsoon across the cotton belt, the acreage under cotton in 2012-13, has decreased by around 3% to 117.73 lakh hectares as against 121.78 lakh hectares in previous year. During the year, acreage under BT cultivation has also declined to 88% of the total acreage of around 117.73 lakh hectares as against 91% in last year.
2. With the advent of various measures taken by the Government of India through Mini Mission I and II of the Technology Mission on Cotton, availability of quality certified seeds and truthful label seeds, increased usage of Bt seeds and the changed mindset of cotton farmers for adoption of improved farm practices through innovative technology, the cotton yield in the country, over the years, has increased and touched crop acreage in the level of 121.78 lakh ha in 2011-12.
3. The Cotton productivity in 2012-13 has been at 518 kgs/ha as against 512 kgs/ha in the previous season.

2. SUPPLY & DEMAND SITUATION:

- Total availability of cotton in the country in cotton season 2012-13 at 419.59 lakh bales, include carry over stock of 40 lakh bales, crop production at 365.00 lakh bales and estimated imports of 14.59 lakh bales.
- Total cotton consumption in the country (including mill, small mill and non-mill consumption) has been estimated at 283.16 lakh bales. Besides, with estimated exports of 101.43 lakh bales, the total disappearance in cotton season 2012-13 has been placed at 384.59 lakh bales as against 380.28 lakh bales in previous year.

- कपास मौसम 2012-13 के अंत में यानि 30 सितंबर, 2013 को अवशेष स्टॉक का अनुमान 35 लाख गाँठें लगाया गया है, (यानि लगभग 45 दिनों की मिलों की खपत) जबकि पिछले वर्ष यह 40 लाख गाँठें था ।

3. वर्ष के दौरान मुख्य विकास तथा नीतियों की पहल :

वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान वस्त्र उद्योग द्वारा अभूतपूर्व मूल्य अस्थिरता का सामना किया गया तथा उठायी गयी हानि को देखते हुए, यह महसूस किया गया कि विद्यमान खरीद तथा बिक्री नीति में संशोधन तथा प्रत्येक वर्ष आवधिक रूप से खरीद तथा बिक्री नीति की समीक्षा करके नीति तैयार की जाये ताकि पिछले दो वर्षों के दौरान निगम को जो हानि हुई है उसमें कमी लायी जा सके ताकि टर्न ओवर में वृद्धि तथा खरीद परिचालन द्वारा उचित लाभ प्राप्त किया जा सके । अतः उठाये गये निम्न मुख्य-मुख्य कदमों के कारण निगम को टर्न-अराऊंड प्राप्त करने में मदद मिली ।

- **ई-बिक्री तथा ई-भुगतान का प्रारंभ**

  निगम ने पोर्टल पर आधारित ई-बिक्री/बिडिंग पद्धति, जिसमें ऑन-लाईन पर बोली लगायी जानेवाली पार्टियों का पहचान नहीं की जा सकती, जब तक कि वे उच्चतम बोलीकर्ता के रूप में बिक्री की पुष्टि नहीं करते । इस पद्धति का विकास के लिए निगम ने सेवा प्रदान करनेवाली मैसर्स एनएसई आईटी लि. की नियुक्ति, खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की थी । आज तक लगभग 160 खरीददारों ने 5.00/10.00 लाख रू. का (जैसा भी मामला हो) अमानत रकम भरकर निगम के पास अपना नाम पंजीकृत किया है । 19.11.2013 तक निगम ई-नीलामी के माध्यम से 17.37 लाख से भी अधिक गाँठों की बिक्री कर 32.05 करोड़ रू. से ऊपर फ्लोर रेट की उगाही कर सकी ।

  विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/कपास उत्पादक आदि को निगम द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने के प्रयास किये गये । निगम ने जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों को आरटीजीएस के माध्यम से 100% भुगतान का अनुपालन कर चुका है ।

- **एन्टरप्राईज रिसोर्स प्लान पद्धति (ईआरपी) का कार्यान्वयन**

  निगम ने मुख्यालय के साथ-साथ सभी शाखा कार्यालयों में दि.1.4.2012 से ईआरपी पद्धति को क्रियान्वित किया ताकि पूरे देश में ऑन लाईन सूचना प्रदान की जाए और रियल टाईम बेसिस पर परिचालन का कंट्रोल किया जाये । इससे प्रबंधन

- The carry forward stock as at the end of the cotton season 2012-13 i.e., 30th September 2013 has been estimated at 35 lakh bales (i.e. around 45 days mills consumption) as against 40 lakh bales in previous year.

3. MAJOR DEVELOPMENTS AND POLICY INITIATIVES DURING THE YEAR

Looking to the higher price volatility being faced by the textile industry and losses incurred during the Financial Year 2010-11 and 2011-12 and, it was felt necessary to revise the existing purchase and sales policies and frame strategic policies of purchase and sale to be reviewed periodically every year so as to mitigate the losses incurred by the Corporation in the previous two financial years and make reasonable profits from the purchase operations. Therefore, the following major key steps have contributed towards Corporation's turnaround.

- **Introduction of e-sale and e-payment**

  Corporation has introduced portal base e-sale/ bidding system where in parties bidding online cannot be identified unless confirmation of sale in favour of highest bidder. System was developed through a corporate service provider M/s. NSE IT Ltd. appointed through an open tender process. As on date almost 160 buyers have been registered with the Corporation after paying security deposit of Rs. 5.00/10.00 lakhs (as the case may be). Till 19.11.2013 the Corporation could sell more than 17.37 lakh bales through e-auction and realized around Rs. 32.05 crores above the floor rates.

  The efforts were made to maximize the payments through RTGS to vendors/suppliers/contractor/ farmers etc. The Corporation has already implemented 100% payments to Ginning and Pressing factories through RTGS.

- **Implementation of Enterprise Resource Plan (ERP) system**

  The Corporation also implemented ERP system at HO and at all the branches w.e.f 01.04.2012 to provide online information and control the operation on real time basis throughout the country. Further, it also helped the management in making timely and quick decisions. It also enabled



को समग्र तथा शीघ्र गति से निर्णय लेने में मदद भी मिली है । इसके अलावा प्रबंधन को रियल टाईम बेसिस पर सही निर्णय लेने में और ईआरपी के माध्यम से रिपोर्ट जेनरेट करने में भी मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप निगम के हित में उचित निर्णय लेने में मदद मिली है ।

- **विद्यमान बिक्री की नियम और शर्तों में समग्र रूप से और उन्हें और अधिक नीतिपूर्वक और मार्केट अनुरूप बनानाः**

  मार्केट में मूल्यों के उतार-चढ़ाव के कारण कपास मौसम 2010-11 के दौरान पूर्णबंधित गाँठों के खरीददारों द्वारा की गयी चूक को देखते हुए, निगम को यह आवश्यक बन गया है कि डिफाल्ट में कमी लाने के लिए खरीद और बिक्री शर्तों की समीक्षा की जाये और उसमें संशोधन भी किया जाय। पूर्णबंधित गाँठों की नियम और शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार किये गये :

  - ► अग्रिम जमा राशि में वृद्धि
  - ► अग्रिम जमा राशि में वृद्धि
  - ► कैरी -ओवर पीरिड में घटौती
  - ► अग्रिम रख-रखाव प्रभार की वसूली में कड़ाई से अनुपालन
  - ► रख-रखाव प्रभार की दर में वृद्धि ।

- **केवल बुद्धिमतापूर्व और व्यावहारिक वाणिज्यिक परिचालन करना**

  निगम व्यावहारिक वाणिज्यिक परिचालन करने पर जोर दे रहा है । वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत खरीद करते समय निम्नलिखित मुख्य कदम उठायें :

  - ► नियंत्रक उपाय के रूप में जिन शाखाओं में समर्थन मूल्य परिचालन किया जा रहा है वहाँ पर उसके साथ-साथ वाणिज्यिक परिचालन का कार्य नहीं किया जायेगा ।
  - ► निगम ने व्यावहारिक केंद्रों पर (लाभप्रद केंद्रों) वाणिज्यिक परिचालन का कार्य किया है । ऐसे केंद्रों का चयन करने पर विचार किया जायेगा जहाँ पर कम से कम जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरी, भंडारण सुविधा जैसे सुविधा उपलब्ध हो, ताकि ऊपरी खर्चों को न्यूनतम स्तर तक ला सके ।
  - ► जहाँ पर अच्छी गुणवत्तावाली और अधिक आवक हो, वही पर केंद्र खोलने पर प्राथमिकता दी गयी ।

the management to take better decisions on the basis of real time data and reports generated from ERP system which helped finally to improve quality of proper decisions in the interest of the Corporation.

- **Revision of existing Terms & Conditions of sale and making them more strategic and market driven :**

  Looking to the multiple default by FP bales buyers of the cotton season 2010-11, it became imperative for the Corporation to review and revise the sales terms & conditions in order to minimize the defaults by the buyers due to price fluctuations in the market. Some of the major changes were made in FP bales sales terms & conditions:

  - ► Increase in Advance Deposit Money
  - ► Reduction in Free Period
  - ► Reduction in Carry Over Period
  - ► Strict implementation of recoveries of Advance Carrying charges
  - ► Increase in Carrying Charges rates

- **Going for intelligent and Viable Commercial Operations (CP) only**

  The Corporation emphasized to undertake only viable commercial operations. The following major steps were taken while buying the cotton under Commercial Operations:

  - ► As a control measure, no CP operation to be carried out simultaneously in a branch where MSP operations are carried out.
  - ► Corporation has undertaken CP operation on viable centers (Profit making centres). Due care was taken to select a particular center for purchase operation having minimum infrastructure facility such as ginning and pressing factory, storage facility etc. so as to reduce the overhead expenditure to bare minimum.
  - ► The preference was given for opening of a center having better quality and more arrivals.

4. मूल्य प्रवृत्तिः

देशी कपास मूल्यः

वर्तमान कपास मौसम 2012-13 के दौरान, आरंभिक मूल्य 31,000/-रू. प्रति कैंडी से 34,000/-रू. प्रति कैंडी पर थे यानि पिछले वर्ष की तुलना में 15% से 20% तक निचले स्तर पर थे । यह मुख्यतःदेशी उद्योग द्वारा वित्तीय कठिनाईयों को झेलने के कारण कपास की कम माँग, देशी व अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यार्न की कम गतिविधि के कारण हुआ । फिर भी, फरवरी, 2013 के मध्य से कपास मूल्य, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ने लगे । इस मौसम के अंत तक कपास मूल्य 42,000/-रू प्रति कैंडी से 49,000 /- रू. प्रति कैंडी के बीच रहे ।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तिः

- वर्ष 2012-13 में अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य में संतुलित गिरावट आयी । कॉटलुक ए सूचकांक औसतन 88 सेंट्स प्रति पाऊंड था जो 2011-12 की तुलना में 12% से कम था। वर्ष 2012-13 में मासिक औसत वर्ष 2011-12 के मासिक औसत से मौसम के पहले तीन तिमाहियों से कम था, परंतु इसके पश्चात् संपूर्ण मौसम के दौरान कपास के मूल्य स्थिर रहे।
- वर्ष 2012-13 के पहले पांच महीनों के दौरान कपास मूल्यों में सामान्य अस्थिरता नहीं दिखायी। फिर भी, जनवरी, 2013 के मध्य में कपास मूल्यों में वृद्धि हुई। मार्च, 2013 के अंतिम सप्ताह में जो कॉटलुक ए इंडेक्स के अनुसार 93.15 था वही बढ़कर 98.85 यू.एस.सेन्टस् प्रति एल बी हो गया तथा 31 जुलाई, 2013 को कपास मौसम के अंत में यह 92.50 सेन्टस् प्रति एल बी था। अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य में यह प्रवाह चीन के बाहर, माँग-आपूर्ति शेष को कसने के कारण हुआ क्योंकि चीन ने लगातार रिजर्व बनाने की प्रक्रिया को जारी रखा ।
- वर्ष 2012-13 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में यह प्रवृत्ति (i) विश्वीय स्टॉक की गिरने के मजबूत दबाव के कारण तथा अल्प मांग के एक महत्वपूर्ण समर्थित घटक के कारण तथा (ii) चीन सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय रिजर्व को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर की गई खरीदी जैसे दो मुख्य कारणों के बीच सामंजस्य बनाने के परिणामस्वरूप हुई ।

5. निगम का कार्य-निष्पादन

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य

जब कभी प्रचलित कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूते हैं, आपका निगम भारत सरकार के

4 PRICE TREND

Domestic cotton prices:

During Current Cotton Season 2012-13, opening prices were moving in the range of Rs. 31,000/- per candy to Rs. 34,000/- per candy i.e lower by 15% to 20% as compared to previous year. This was mainly because of sluggish demand for cotton due to financial tightness faced by domestic industry, lack of movement of yarn in domestic yarn in domestic as well as International market etc. However, from the middle of February 2013, the cotton prices had started ruling higher as compared to last year. By the end of this season, the cotton prices were ruling in the range of Rs. 42,000/- per candy to Rs. 49,000/- per candy.

International cotton prices:

- International cotton prices declined moderately in 2012-13. The Cotlook A Index averaged 88 cents per pound, 12% lower than in 2011-12. The 2012-13 monthly average was lower than the 2011-12 monthly average for the first three quarters of the season, but remained stable throughout.
- Cotton prices during the first five months of 2012-13 did not exhibit the usual level of volatility. However, cotton prices rose in mid-January 2013. In March 2013, the Cotlook A index rose to 98.85 US Cents/ IB before receding to 93.15 US Cents per lb in the last week of March 2013 and by the end of the cotton season it was 92.50 cents per pound as on 31st July 2013. The surge in international cotton prices is attributed to concerns about the tightening supply- demand balance outside China as China continues to build reserves.
- The trend in international cotton prices during 2012-13 was the result of balance between two forces i.e. (i) strong downward pressure from increasing global stocks and (ii) weak demand and one significant supporting factor, the large purchases made by the Chinese Government to rebuild its national reserve.

5. PERFORMANCE OF THE CORPORATION:

MSP Operations:

As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the

निदेशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा उन्हें ऑफर की गई संपूर्ण कपास मात्रा खरीद करने के लिए बाजार में प्रवेश करता है।

कपास मौसम 2012-13 के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मूलभूत स्टेपल ग्रुप में लगभग 18% से 28% की वृद्धि की ।

कपास मौसम 2012-13 के आरंभ से ही लगभग सभी दक्षिण कपास उत्पादक राज्यों में तथा मध्य कपास उत्पादक राज्यों के कुछ भागों में सभी किस्मों में कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बने रहे । जिसके परिणामस्वरूप निगम को सौंपी गयी भूमिका के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ठोस कार्य किया तथा इस परिचालन के अधीन अधिकांश गाँठें यानि 22.86 लाख गाँठों की खरीदी की जिसमें आंध्र प्रदेश में लगभग 22.75 लाख गाँठों की खरीद शामिल है ।

वाणिज्यिक कार्य-कलाप

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य न होने की स्थिति में, आपका निगम वाणिज्यिक कार्य-कलाप सम्पूर्णतः स्वयं की जोखिम पर करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सके तथा अपनी नियमित खरीददार मिलों की यानि संस्थागत और निजी क्षेत्र दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ निर्यात की पूर्ति की जा सके।

कपास मौसम 2012-13 में उत्तरी राजयों में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य की असंभावना को देखते हुए, निगम ने वाणिज्यिक कार्य प्रारम्भ किया, ताकि अपने नियमित मिल खरीददारों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । निगम द्वारा वाणिज्यिक कार्य के अंतर्गत, लगभग 0.48 लाख गाँठों का खरीद की तथा लाभ भी प्राप्त की ।

6. विकासशील गतिविधियाँः

जैसा कि आप जानते हैं, वृद्धित कपास उत्पादन, उत्पादकता और कपास की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उसके द्वारा कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि करना और वस्त्र मिलों को गुणवत्तावाली कपास की अत्याधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना निगम का सदैव प्रयास रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निगम विस्तार गतिविधियों के रूप में जैसे संविदा खेती, टीएमसी के मिनी मिशन II के अंतर्गत फ्रंट लाईन डिमोन्स्ट्रेशन, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व इत्यादि विभिन्न विकासशील गतिविधियाँ संचालित करता रहा है ।

directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs) announced by the Government of India.

For cotton season 2012-13, Government of India had increased the MSPs by around 18% to 28% in basic staple groups as compared to previous year.

From the start of the cotton season 2012-13, kapas prices had ruled at MSP level in almost all the Southern cotton growing states and some parts of Central cotton growing states in all the varieties. As a result, as per the role assigned, the Corporation had taken up massive MSP operations and had purchased around 22.86 lakh bales under MSP operations, with major coverage in A.P where we had procured around 22.75 lakh bales.

Commercial operations:

In the absence of MSP operations, the Corporation undertakes commercial operations entirely at its own risk to enable the cotton farmers to realize competitive prices for their produce as also to meet the requirement of its regular buyer mills, both under institutional and in private sector as also for exports.

Looking to the impossibility of MSP operations in Northern states in cotton season 2012-13, the Corporation had started commercial operations to cater the needs of its regular mill buyers. The Corporation had purchased around 0.48 lakh bales under commercial operations and made the profit.

6. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Increasing cotton production, productivity and improving the quality of cotton thereby increasing the income of cotton growers and ensuring abundant supply of quality cotton to the textile mills had always been the endeavor of the Corporation. To attain this objective, the Corporation had been undertaking various developmental activities in the form of extension activities such as Contract Farming, Frontline Demonstration under Mini Mission –II of TMC, Corporate Social Responsibility etc.

तकनीकी हस्तांतरण तथा नयी फार्म पद्धति के माध्यम से कपास की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भारत सरकार ने कपास किसानों को उसका लाभ पहुँचाने के लिए तथा ग्राहकों तक पहुँचने के लिए सघनित कपास खेती का प्रचार किया । कपास मौसम 2012-13 के दौरान, आपके निगम ने इस परियोजना को सभी कपास उत्पादक राज्यों में बढ़ाते हुए संविदा खेती के अंतर्गत 48,147 हैक्टर क्षेत्रफल लाया। इस कार्यक्रम में शामिल उपायों में किसान क्लब की संरचना, क्लब/ एसोसिएट खरीददार मिल/ जिनरीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे गुणवत्तावाले निवेशों की आपूर्ति की व्यवस्था करना, किसानों के प्रशिक्षण, उपज और कीटनाशकों के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए स्काउट लगाना तथा गांव/मार्केट यार्ड में कपास की खरीद और कीट प्रबंधन के बारे में उचित सलाह देना शामिल है । विभिन्न प्रयत्नों के कारण तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कपास किसानों की बदली हुई विचारधारा के कारण उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उत्पादन लागत में लगातार घटौती आयी तथा कपास किसनों की आय में वृद्धि हुई है ।

7 वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वर्ष के 1797.29 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के विरूद्ध 1797.00 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निगम ने (कर के पश्चात्) 32.70 करोड़ रूपये का लाभ प्राप्त किया जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कर के पश्चात् 179.89 करोड़ रूपये की हानि के विरूद्ध था ।

रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम का अल्पावधि ऋण सीएआरई ए1+(A one plus) रहा है यानि 4000 करोड़ रू. की अल्प अवधि बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में दी गयी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है, जो अल्पावधि ऋण देयता पर समय पर भुगतान के लिए दृढ़ क्षमता दिखाती है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखती है ।

लाभांश :

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त लाभ पर 20% पीएटी (कर के पश्चात् लाभ) यानि 655 लाख रूपये के लाभांश की सिफारिश की है ।

With a view to improve the quality of cotton through transfer of technology and improved farm practices, the Government of India has been propagating Contract Farming project, which has backward linkages with cotton farmers and forward linkages with the ultimate consumers. In cotton season 2012-13, the Corporation has extended the project in all the cotton growing States bringing an area of 48,147 hectares under contract farming. The steps involved in the program were formation of farmer's club, signing of Memorandum of Understanding with the Club/ ginneries, organizing supply of quality inputs such as seeds, fertilizers, pesticides, training to farmers, engagement of scouts for monitoring and management of crops and the pests, for proper advice of pest management and procuring of kapas at village/market yards. Due to various efforts and the changed mindset of cotton farmers in adopting latest technology, substantial increase in the yield, and reduction in cost of production has been seen which increased the income of the cotton farmers.

7. FINANCIAL RESULTS:

During the year under review, your Corporation could achieve a turnover of Rs. 1797.00 crores as against the previous year's turnover of Rs. 1797.29 crores.

During the financial year 2012-13, the Corporation has gained a profit of Rs. 32.70 crores (after tax) as against loss of Rs. 179.89 crores after tax during the financial year 2011-12.

During the year under report, your Corporation's short term debt is rated CARE A1 +(A One plus) i.e. the highest credit rating assigned in this category for short term bank borrowings of Rs. 4000/- crores which signifies strong capacity for timely payment of short term debt obligation and carry lowest credit risk.

DIVIDEND:

Your Director's recommend Dividend of 20% of the Profit After Tax (PAT) i.e. Rs. 655 lakhs (after round off) on the profit made during the financial year 2012-13.

8. निगमित सामाजिक दायित्वः

भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय और सामाजिक उद्यम (डीपीई) ने विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है, जिसके द्वारा उनके शुद्ध लाभ में से कुछ भाग को लाभकारी गतिविधियों तक पहुँचाने और सार्वजनिक एवं व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रतिस्पर्धी लाभ लंबे समय तक बना रह सके । तद्नुसार निगम ने सीएसआर के अधीन ग्राम अधिग्रहण कार्यक्रम परियोजना "एक ग्राम एक किस्म" का संकल्प तीन राज्यों में आरंभ करते हुए कार्यान्वित किया है, यानि महाराष्ट्र के दो गाँव (विदर्भ क्षेत्र), उड़ीसा में एक और तमिलनाडु में दो गाँव, जहाँ पहले के वर्षों में कपास की उत्पादकता कम थी तथा जो संशोधित और नयी उत्पादन एवं पैकेज प्रथाओं से वंचित थी । निगम ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सीएसआर परियोजना हेतु 35.00 लाख रूपये निश्चित किए हैं । वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 28.88 लाख रूपये का वास्तविक खर्च हुआ।

9. निगमित शासनः

भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए (सीपीएसई) जारी किये गये निगमित शासन हेतु जिसमें मार्गदर्शन निर्धारित किये हैं, निगम उनका अनुपालन करता है । निगम विश्वास करता है कि कंपनी को सफल बनाने के लिए, अपने सभी स्टेक होल्डर के लिए अच्छे शासन के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व आदि मूल सिद्धांत के पहलू है, जिस पर निगम विश्वास रखता है । कंपनी का अंतिम ध्येय उच्च स्तर का शासन जारी रखना तथा उसी क्षेत्र की अच्छी शासित कंपनियों के साथ बेंचमार्क बनाना है।

10. भावी योजनाः

निगम बीज तकनीकी उच्चीकरण/अद्यतन बआई पद्धति/कपास उत्पादकों को प्रदर्शन द्वारा कपास उत्पादकता में वृद्धि के लिए अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त योजना के अंतर्गत कार्य करने पर विचार कर रहा है। देश में उत्पादकता/उत्पादन में वृद्धि लाने के उेश्य से सीआयसीआर, सिरकॉट तथा आयसीएआर जैसी राष्ट्रीय

8. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE), has introduced the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in various Central Public Sector Enterprises (CPSE) mandating to expend some portion of the net profit to extend beyond philanthropic activities to reach out the integration of social and business goals to secure sustainable competitive advantage in long term. Accordingly, Corporation has implemented the project of “Village Adoption Programme” with “One village: One Variety” in three States i.e. two villages of Maharashtra (Vidharbha region), One Village in Orissa and Two villages in Tamil Nadu which had lesser productivity in the earlier years and were deprived of improved and innovative cultivation and package practices. Corporation had earmarked Rs. 35.00 lakhs for CSR projects for the FY 2013-14. The actual expenditure on FY 2012-13 is amounted to Rs. 28.88 lakhs.

9. CORPORATE GOVERNANCE:

CCI complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises, Government of India. The Corporation believes that for a company to be successful it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders and fairness, transparency and accountability are the basic principles of good governance. It is the Company’s endeavor to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

10. FUTURE PLANNING:

The Corporation is envisaging to work on Joint Action Plan for improvement of cotton productivity by upgrading seed technology/latest sowing methodology/demonstrations to the farmers etc. in the country in close association with the research institutes. It is also in the process of joint collaboration with national institutes like CICR,

स्तर के संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करने की प्रक्रिया भी जारी है ।

निगम ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा एमजीएनआरईजीएस के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में गोदाम निर्माण करने में संभाव्यता की तलाश कर रहा है ।

निगम एसपीवी (स्पेश्यल परपस वेहिकल) संयुक्त/सहयोग से किसी बड़े कपास उत्पादक राज्य में स्टेट ऑफ दि आर्ट जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज स्थापित करने के, विकल्प पर अध्ययन कर रहा है ।

निगम टीएमसी के अंतर्गत ठेकेदारों से प्रोटो-टाईप डीलिन्टिंग/हारवेस्टिंग मशीन विकसित करने पर भी विचार कर रहा है ।

CIRCOT and ICAR etc. so as to improve the production/yield in the country.

Corporation is also exploring the possibilities to construct own godowns in different states for storing the cotton bales with joint collaboration with Rural Development Ministry and MGNREGS.

CCI is also in the process of studying the option of establishing the state-of the-art ginning and pressing factories in any of the major cotton producing states of the country by creating SPV (Special Purpose Vehicle) through collaboration/ joint venture.

CCI is also envisaging the plans to develop proto-type delinting/harvesting machines through entrepreneurs under TMC.

11. आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए उपयोगी एवं बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ ।

मैं माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, मान.राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, सचिव (वस्त्र), संयुक्त सचिव (वस्त्र) तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त एवं उनके अधिकारियों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूँ जिन्होंने निगम को समय पर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समय पर सक्रिय समर्थन तथा सहायता दी ।

समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, लागत परीक्षक, सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा तथा सरकारी लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी, मैं उनका आभारी हूँ ।

मैं , राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलों तथा निजी क्षेत्र की वस्त्र मिलें तथा अन्य बहुमूल्य ग्राहक जिन्होंने कपास मौसम वर्ष 2012-2013 के दौरान नये रूप से प्रारंभ की गई बिक्री पद्धति (ई-सेल्स) द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार कपास की खरीद की है तथा इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी जानेवाली सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा है। भारतीय वस्त्र उद्योग संगठन

11. ACKNOWLEDGEMENTS

I take this opportunity to express my deep appreciation for the useful and valuable support given by the members of the Board from time to time.

I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India, Hon'ble State Minister of Textiles, Government of India, Secretary (Textiles), Joint Secretary (Textiles), Officials of Ministry of Textiles, Officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, the Textile Commissioner and his Officials whose timely and active support have always been helpful for the corporation to deliver better results.

I am also grateful for the valuable guidance by the Statutory Auditors, Cost Auditor, Member, Audit Board, Mumbai and Officials of Government Audit in the course of their conducting the audit of accounts of the Corporation for the year under review.

Sincere thanks are also due to National Textile Corporation, Cooperative Spinning Mills, Textile Mills in the private sector and all other esteemed customers, who have covered their cotton requirements from the Corporation through newly introduced sales system (E-sales) in the cotton season 2012-13 and reposed their faith and confidence in the quality, price competitiveness and services being rendered by

(सीआयटीअय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ ।

इस अवधि के दौरान निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये समर्पण, निष्ठा और वचनबद्धता पूर्ण सेवा के लिए भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ।

the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), Cotton Association of India (CAI), Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations for the cooperation extended to the Corporation.

I would also like to express my sincere appreciation for the dedication, devotion and commitment with which the staff and officers of the Corporation have worked during the period.

सधन्यवाद,

(बी.के.मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 05.12.2013

Thanking you,

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date : 05.12.2013

वर्ष 2012-13 के लिए निदेशक रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2012-13

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकगण **31 मार्च, 2013** को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के साथ आपके निगम के कार्य-संचालन पर **43वीं वार्षिक रिपोर्ट** सहर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के साथ प्रमाणित है ।

1. कपास स्थिति

1.1 कपास मौसम 2012-13 (अक्तूबर, 12 से सितंबर,13) की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :

(i) कपास मौसम (अक्तूबर,12 से सितंबर,13) का आरंभ 40.00 लाख गाँठों के अवशेष स्टॉक के साथ हुआ, जो मिल की 1½ माह की खपत के लिए ही काफी थी ।

(ii) दिनांक 23.1.2013 को आयोजित कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) की बैठक के अनुसार कपास मौसम 2012-13 के दौरान देश में कपास उत्पादन गत वर्ष की 355.00 लाख गॉठों के सामने 330.00 लाख गॉठें हैं । इस वर्ष की कपास स्थिति के मुख्य लक्षण नीचे दिये अनुसार हैं:-

(क) सभी कपास उत्पादक राज्यों में विशेषतः गुजरात राज्य में भी वर्षा में हुई देरी तथा उत्तरी राज्यों में गेहूँ की देरी से कटाई के कारण और मध्यवर्ती राज्यों में कपास की बुआई में लगभग 20-22 दिन का विलंब हुआ है । सभी कपास उत्पादक राज्यों में नीलम साइक्लोन के कारण आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भारी वर्षा को छोड़कर समग्र कृषि जलवायु स्थितियाँ अनुकूल रही ।

(ख) वर्ष 2012-13 में आंध्र प्रदेश को छोड़कर कपास के अंतर्गत क्षेत्र में मानसून के विलंब के कारण लगभग 3.5% से कमी आयी है यानि पिछले वर्ष के 121.78 लाख हैक्टर के सामने 117.73 लाख हैक्टर पायी गयी है । आंध्र प्रदेश में अन्य प्रतियोगी उपज की तुलना में व समय

To,

The Shareholders,
The Cotton Corporation of India Limited

Your Directors have immense pleasure in presenting the 43rd Annual Report on the working of your Corporation together with the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2013, as approved by the Board of Directors and certified by the Auditors alongwith their report thereon.

1. COTTON SITUATION

1.1 The highlights of the cotton season 2012-13 (Oct-12 to Sept-13) up to 31st March 2013 are as under:

(i) Cotton season 2012-13 (i.e. Oct-12 to Sept-13) was commenced with a carryover stock of 40.00 lakh bales, which was just enough to meet 1½ month's mill consumption.

(ii) Cotton production in the country in cotton season 2012-13, as per Cotton Advisory Board (CAB) meeting held on 23-01-2013, has been placed at 330.00 lakh bales as against 355.00 lakh bales in previous season. The salient feature of this year's cotton scenario is as follows:

(a) Cotton sowings in all the cotton growing States was delayed by around 20-22 days due to late harvesting of wheat in Northern States as also due to delayed monsoon rains in Central and Southern States, especially in Gujarat. Overall agro-climatic condit ions at the time of sowing were favorable in all the cotton growing States, except heavy rains across the coastal districts of Andhra Pradesh due to Neelam cyclone.

(b) Due to delayed monsoon across the cotton belt, the acreage under cotton in 2012-13, except Andhra Pradesh, has decreased by around 3.5% to 117.73 lakh hectares as against 121.78 lakh hectares in previous year. In Andhra Pradesh,

पर अच्छे मानसून के कारण एवं अच्छे मूल्यों की प्राप्ति से कपास के अंतर्गत क्षेत्र में पिछले वर्ष के 19 लाख हैक्टर्स की तुलना में 23 लाख हैक्टर्स रिकार्ड स्तर तक वृद्धि हुई ।

(ग) कपास मौसम 2012-13 में उत्तरी अंचल के क्षेत्रफल में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% की घटौती हुई यानि 16.71 लाख हैक्टर्स से 15.70 रह गई । क्षेत्र में यह कमी मकई चावल , दाल व जवार जैसे अन्य फसलों के बदलने से हुई है । क्षेत्र में यह कमी पंजाब में पिछले वर्ष में 5.60 हैक्टर के सामने लगभग 10% से यानि 5.06 लाख हैक्टर तथा हरियाणा में लगभग 4% (गत वर्ष के 6.41 लाख हैक्टर के विरूद्ध 6.14 लाख हैक्टर) राजस्थान (गत वर्ष 4.70 लाख हैक्टर के विरूद्ध 4.50 लाख हैक्टर) दर्शाती है ।

(घ) मध्य अंचल में कपास के अधीन क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के 77.93 लाख हैक्टर्स के सामने 2012-13 में 71.54 लाख हैक्टर स्तर तक कमी आई है । गुजरात में यह उल्लेखनीय घटौती लगभग 19% रही । विलंब तथा अपर्याप्त वर्षा के कारण तथा अन्य स्पर्धात्मक फसल जैसे मूंगफली, सोयाबीन व जवार में बदलने से हुई है जबकि गत वर्ष के मध्य प्रदेश में कपास के 7.6 लाख हैक्टर के विरूद्ध 6.08 लाख हैक्टर से 14% की कमी तथा महाराष्ट्र में कपास क्षेत्र में गत वर्ष के 41.46 लाख हैक्टर के लगभग समान रही ।

(ड) दक्षिण अंचल में भी समय पर वर्षा से गत वर्ष के 25.66 लाख हेक्टर के विरूद्ध क्षेत्रफल 12% बढ़कर 28.80 लाख हेक्टर पहुँच गया । क्षेत्रफल में यह उल्लेखनीय वृद्धि आंध्र प्रदेश में मिर्ची के फसल में बदलाव लाने से गत वर्ष के 18.79 लाख हेक्टर के विरूद्ध लगभग 21% बढ़कर 22.69 लाख हेक्टर हो गया तथापि कर्नाटक

with receipt of good prices for cotton as compared to other competing crops and timely monsoon rains enthused the cotton farmers in increasing acreage under cotton to a record level of around 23 lakh hectares as against around 19 lakh hectares in previous year.

(c) In Northern States, acreage under cotton in 2012-13 has declined by around 6% to 15.70 lakh hectares as against 16.71 lakh hectares in previous year. The reduction in acreage has mainly been due to switching over to other competing crops viz., maize, pulses and jawar. Acreage reduction has been significant in Punjab by around 10% to 5.06 lakh hectares as against 5.60 lakh hectares in previous year, and by 4% each in Haryana (6.14 lakh hectares as against 6.41 lakh hectares in previous year and Rajasthan (4.50 lakh hectares as against 4.70 lakh hectares in previous year).

(d) In Central zone, the cotton acreage has declined from the level of 77.93 lakh hectares in 2011-12 to 71.54 lakh hectares in 2012-13. The reduction in cotton acreage has been significant in Gujarat by around 19% due to delayed and inadequate rains and consequential switching over to other competing crops viz., groundnut, caster and jawar. While, the acreage reduction in Madhya Pradesh has been around 14% to 6.08 lakh hectares as against 7.06 lakh hectares in previous year, the cotton acreage in Maharashtra has been almost at par with previous year i.e. 41.46 lakh hectares.

(e) In Southern States, with timely monsoon rains, the acreage under cotton has increased considerably to 12% i.e. 28.80 lakh hectares as against 25.66 lakh hectares in previous year. The acreage increase has been significant in Andhra Pradesh by around 21% to 22.69 lakh hectares vis-à-vis 18.79 lakh hectares in previous year due

व तमिलनाडु में कपास क्षेत्रफल में क्रमशः लगभग 12% व 5% कमी आयी ।

(च) देश में बी.टी.कपास के अधीन क्षेत्रफल वर्ष प्रति वर्ष लगातार बढ़ रहा है । तथापि कपास मौसम 2012-13 में अपर्याप्त वर्षा तथा अन्य प्रतियोगी उपजों में बदलने से बी.टी.खेती के अधीन वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष के 91% के विरूद्ध 88% तक घटकर कुल एकरेज का लगभग 118 लाख हेक्टर रह गया ।

(छ) देश में उत्कृष्ट लंबे और अतिरिक्त लंबे तंतु की कपास में 8 से 10 लाख गॉठों के समग्र उपभोग के विरूद्ध इस स्टेपल ग्रुप में देशी कपास उत्पादन लगभग 5 से 7 लाख गॉठों पर रुका हुआ है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस स्टेपल ग्रुप में घटे हुए क्षेत्रफल के कारण है । इसके कारण वस्त्रोद्योग मिलों ने इस श्रेणी की कपास का यू.एस.पीमा, ईजिप्शियन गिजा आदि से 6 लाख गॉठों की सीमा तक कपास का आयात किया है ।

ज) वर्ष 2012-13 में कपास के अंतर्गत घटे हुए क्षेत्रफल के कारण उत्तरी राज्यों में कपास उत्पादन गत वर्ष की 62.00 लाख गॉठों की तुलना में 59.00 लाख गॉठों तक पहुँचकर लगभग 5% की उल्लेखनीय कमी दिखाता है। मुख्यतः हरियाणा में 16% तथा राजस्थान में 9% कपास उत्पादन में कमी पायी गयी है । तथापि वर्ष 2012-13 में पंजाब में कपास उत्पादन पिछले वर्ष 19.00 लाख गाँठों के समान है ।

अपर्याप्त वर्षा, शीत ऋतु की वर्षा न होने और ओस के कारण मंध्य अंचल में, विशेषकर गुजरात में कपास उत्पादन को प्रभावित किया है । इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में कपास उत्पादन गत वर्ष के 120 लाख गाँठों की तुलना में 85.00 लाख गाँठें होकर लगभग 29% की गिरावट आयी है। तथापि वर्ष 2012-13 में महाराष्ट्र व मध्य

to switching over from chili crops. However, the acreage in Karnataka and Tamil Nadu has declined by around 12% and 5% respectively.

(f) Acreage under BT cotton in the country is increasing continuously year after year. However, in cotton season 2012-13, due to inadequate rains and shifting over to other competing crops, acreage under Bt cultivation in 2012-13 has declined to 88% of the total acreage of around 118 lakh hectares as against 91% in last year.

(g) In superior long and extra long staple cottons, as against the overall consumption of around 8 to 10 lakh bales in the country, the domestic cotton production in this staple group remained stagnant at around 5 to 7 lakh bales, mainly due to reduced acreage in this staple group in Andhra Pradesh and Karnataka. This has led to imports of cotton in this category by the textile mills mainly for US Pima, Egyptian Giza etc. to the extent of 6 lakh bales.

(h) With decreased acreage under cotton, the cotton production in the Northern States in 2012-13 has declined by around 5% to 59.00 lakh bales as against 62.00 lakh bales in previous year. The decline in cotton production has mainly been in Haryana by around 16% and in Rajasthan by around 9%. However, the cotton production in Punjab in 2012-13 has been placed at par with previous year i.e. 19.00 lakh bales.

Inadequate rains, absence of winter rains/dews coupled had affected the cotton production in Central zone, particularly in Gujarat. As a result, cotton production in Gujarat has declined significantly by around 29% to 85.00 lakh bales as against 120 lakh bales in previous year.

प्रदेश में कपास मौसम पिछले वर्ष के समान होने की अपेक्षा है । यानि क्रमशः 74.00 तथा 18.00 लाख गाँठें होने की संभावना है ।

दक्षिण अंचल में आंध्र प्रदेश में कपास क्षेत्र में 23 लाख हैक्टर के रिकार्ड स्तर तक सार्थक वृद्धि तथा उगाई के समय कृषि-जलवायु स्थितियाँ अनुकूल होने के कारण कपास मौसम 2012-13 में कपास उत्पादन गत वर्ष की 56.00 लाख गाँठों की तुलना में 29% यानि बढ़कर 72.00 लाख गाँठों के रिकार्ड स्तर तक बढ़ने की संभावना है । तथापि कर्नाटक व तमिलनाडु में अपर्याप्त वर्षा तथा कपास क्षेत्र में कमी के कारण कपास उत्पादन क्रमशः 14% तथा 23% गिरावट आयी है ।

(झ) कपास मौसम 2012-13 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य देशी कपास मूल्यों से ऊँचे रहे । कपास मौसम 2012-13 के आरंभ में कॉटलुक ए इंडेक्स जो 81.65 यू.एस.सेन्टस् प्रति एलबी था, जो मार्च, 2013 में 98.85 यू.एस.सेन्टस् प्रति एलबी के उच्च स्तर तक पहुँच गया। अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों के इस प्रवाह का श्रेय चायना के बाहर माँग -आपूर्ति संतुलन कसाव को जाता है । वर्ष 2012-13 में चीन में कपास के री-बिल्डिग रिजर्व की धीमी गति से बढ़ने की संभावना है । तथापि वर्ष 2012-13 में उच्च देशी मूल्य तथा संचयी नीलामी के निकासी की धीमी गति ने, चीन द्वारा आयात को बढ़ावा मिला, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 में देश से कपास निर्यात पिछले वर्ष 129 लाख गाँठों की तुलना में 80.00 लाख गाँठों का अनुमान लगाया गया है । वर्तमान में अधिसूचना सं. 74 (आरई-2010)/2009-14 दि.12.9.2011 द्वारा कपास निर्यात को ओजीएल के अधीन रखा गया है, बशर्ते कि डीजीएफटी के साथ पूर्व पंजीकृत किया गया है ।

However, cotton production in Maharashtra and Madhya Pradesh in cotton season 2012-13 is expected to be at par with previous year i.e. 74.00 and 18.00 lakh bales respectively.

In Southern zone, in Andhra Pradesh, with significant increase in cotton acreage to a record level of 23 lakh hectares and favorable agro-climatic conditions at the time and during sowing period, cotton production in cotton season 2012-13 is expected to increase substantially by around 29% to a record level of 72.00 lakh bales as against 56.00 lakh bales in previous year. However, with reduction in cotton acreage and inadequate rains, cotton production in Karnataka and Tamil Nadu has declined by around 14% and 23% respectively.

(i) The international cotton prices in cotton season 2012-13 had been higher than the domestic cotton prices. The Cotlook A index, which was 81.65 US Cents per lb at the beginning of cotton season 2012-13 rose to a season high level of 98.85 US Cents per lb in March 2013. The surge in international cotton prices has been attributed to tightening supply-demand balance outside of China. The rebuilding of Chinese cotton reserve in 2012-13 was expected to grow at a slower rate. However, high domestic prices and a low clearance rate of reserve auctions have fueled imports by China in 2012-13. As a result, cotton exports from the country in 2012-13 have been estimated at 80.00 lakh bales as against 129 lakh bales in previous year. At present vide Notification No.74 (RE-2010)/2009-14 dated 12-09-2011, cotton exports are under OGL subject to prior registration with DGFT.

1.2 कपास मौसम 2012-13 के लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मध्यम स्टैपल ग्रुप के लिए 29% (यानि 2800/-रू. प्रति क्विंटल से 3600/-रू. प्रति क्विंटल) और लंबे स्टैपल ग्रुप के लिए 18% (यानि 3300/-रू. प्रति क्विंटल से 3900/-रू. प्रति क्विंटल तक बढ़ाया है । ।

1.3 वर्ष 2010-11 में अभूतपूर्व मूल्यों के अस्थिरता के पृष्ठपट के परिणामस्वरूप कपास की कम माँग तथा यार्न की उठान की गति धीमी होने के कारण इसकी माँग पर प्रभाव पड़ा तथा 2012-13 के कपास की वर्तमान दरों पर भी उसका प्रभाव पड़ा । कपास मौसम 2012-13 के आरंभ से ही विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में कपास के मूल्यों में गिरावट जारी रही । तथापि अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तन यानि रूपये के मूल्यह्रास के साथ, सीड के ऊंचे दरों ने कपास के मूल्य को मजबूती दी, जिसके कारण अन्य राज्यों में कपास के दर न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से ऊपर रहे ।

1.4 समीक्षाधीन वर्ष के पहले भाग में यानि अप्रैल से सितंबर, 2012 में मालसूची जमा होने के साथ यार्न की मांग, देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कम रही । इसके अलावा ऋण पाने में कठिनाई, कॉटन यार्न के गिरते मूल्य और केमिकल फाईबर से प्रतिस्पर्धा ने भी इस पर प्रभाव डाला । इसके परिणामस्वरूप मांग में कमी के साथ और तैयार माल के जमा होने से कताई मिलों की उपयोग क्षमता उनकी उपयोग क्षमता के एक तिहाई पर गिर गयी, जिससे कताई कर्ताओं (स्पीनर्स) के लाभ मार्जिन में आगे और गिरावट आयी ।

1.5 तथापि कपास तथा कपास यार्न के मूल्यों को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निर्यात को डीजीएफटी से पंजीकरण के पूर्व कपास निर्यात को ओजीएल के अधीन रखा । फिर भी, कतई कर्ताओं के लाभ परिचालन पर दबाव बना रहा, जिसने कपास की देशी और अंतर्राष्ट्रीय समग्र मांग को प्रभावित किया और मिलों ने लीन मौसम की आवश्यकता को जमा करने के स्थान पर तत्काल आवश्यकता के लिए कपास खरीदना उचित समझा ।

1.2 For cotton season 2012-13, the Government of India has increased the Minimum Support Prices (MSPs) by 29% in case of medium staple group (i.e. from Rs. 2800/- per quintal to Rs.3600/- per quintal) and 18% for long staple group (i.e. from Rs.3300/- per quintal to Rs.3900/- per quintal).

1.3 In the backdrop of unprecedented price volatility in 2010-11 resulting into subdued demand for cotton and poor off-take of yarn there had been demand restrictions and financial tightness which has impacted the prevailing kapas prices in 2012-13. Since beginning of cotton season 2012-13, the seed cotton prices had started showing downward pattern, especially in the State of Andhra Pradesh. However, the unforeseen economic change i.e. devaluation of Rupee coupled with higher seed prices contributed to firmness in the prices of seed cotton (kapas) due to which the seed cotton prices in other States had ruled higher than the MSP level.

1.4 In the first half of the year under review i.e. April to September 2012, with piling up of inventory, the demand for yarn both domestically and internationally had been subdued besides difficulties to access credit by the spinners, declining prices of cotton yarn and competition from chemical fibres. Subsequently, with slowdown in demand and large finished goods inventory, capacity utilization by spinning mills dropped down to one-third of optimal utilization, thereby further declining the operating profit margin of spinners.

1.5 However, with a view to stabilize the prices of cotton and cotton yarn, the Government of India had placed cotton exports under OGL with prior registration with DGFT. Still the operating profitability of the spinners remained under pressure which had affected the overall demand for cotton domestically & internationally and the mills preferred to purchase cotton to meet immediate requirements rather than building lean season requirement.

2. वित्तीय परिणाम

2.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वर्ष के 1797.29 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के विरूद्ध 1797.00 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है ।

2.2 समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :-

	2012-13	2011-12
देशी बिक्री (लाख गांठों में)	3.72	8.02
निर्यात बिक्री (लाख गांठों में)	0.00	0.19
टर्न-ओवर (करोड़ रूपयों में)	1797.00	1797.29
कर के बाद लाभ/(हानि) (करोड़ रूपयों में)	32.70	(179.89)

2.3 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम का अल्पावधि ऋण सीएआरई ए1+(A one plus) रहा है यानि 4000 करोड़ रू. की अल्प अवधि बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में दी गयी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है, जो अल्पावधि ऋण देयता पर समय पर भुगतान के लिए दृढ़ क्षमता दिखाती है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखती है ।

2.4 लाभांश :

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त लाभ पर 20% पीएटी (कर के पश्चात् लाभ) यानि 655 लाख रूपये के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश का भुगतान कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा ।

3. वर्ष 2012-13 में कपास उत्पादन तथा उपभोग :

कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) ने अपनी 23 जनवरी, 2013 को आयोजित बैठक में कपास मौसम 2012-13 के दौरान 330 लाख गॉठों के अनुमानित कपास उत्पादन तथा उसके साथ 40.00 लाख गॉठों के अवशेष स्टॉक और 20.00 लाख गॉठों के अनुमानित आयात से कपास मौसम 2012-13 में कपास उपलब्धता का अनुमान सीएबी द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के अनुसार 390.00 लाख गाँठें

2. FINANCIAL RESULTS:

2.1 During the year under review, your Corporation could achieve a turnover of Rs. 1797.00 crores as against the previous year's turnover of Rs. 1797.29 crores.

2.2 The highlights of the financial results during the financial year under review were as follows:

	2012-13	2011-12
Domestic sales (in lakh bales)	3.72	8.02
Export sales (in lakh bales)	0.00	0.19
Turnover (in Rs. crores)	1797.00	1797.29
Profit / (Loss) after tax (in Rs. crores)	32.70	(179.89)

2.3 During the year under report, your Corporation's short term debt is rated CARE A1+[A One Plus] i.e. the highest credit rating assigned in this category for short term bank borrowings of Rs. 4,000/- crores which signifies strong capacity for timely payment of short term debt obligation and carry lowest credit risk.

2.4 DIVIDEND:

Your Directors recommend Dividend of 20% of the PAT (profit after tax) i.e. Rs. 655 lakhs (after round off) on the profit made during the Financial Year 2012-2013. The dividend shall be paid after seeking approval of the Shareholders at the Annual General Meeting of the Company

3. COTTON PRODUCTION AND CONSUMPTION DURING 2012-13

With cotton production of 330 lakh bales estimated by Cotton Advisory Board (CAB) in its meeting held on 23rd January 2013 added with carryover stock of 40.00 lakh bales and estimated imports of 20.00 lakh bales, the total availability in cotton season 2012-13, as per cotton balance sheet drawn by CAB has been estimated at 390.00 lakh

रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह 412.77 लाख गाँठे थी ।

देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेतर उपभोग शामिल है) का अनुमान 276.00 लाख गॉठें लगाया गया है और 80.00 लाख गाँठों के अनुमानित कपास निर्यात के साथ कपास मौसम 2012-13 में कपास की कुल विलुप्तता 356.00 लाख गॉठें बतायी गयी है, जबकि पिछले वर्ष के 383.77 लाख गाँठें थे ।

इस प्रकार कपास मौसम 2012-13 के अंत में अवशेष स्टॉक का अनुमान 34.00 लाख गॉठे लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 40.00 लाख गाँठें (पिछले वर्षो के शेष स्टॉक के समायोजन के पश्चात्) था । कपास सलाहकार मंडल ने अपनी 23 जनवरी, 2013 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार तुलन-पत्र प्रस्तुत किया है:-

bales as against 412.77 lakh bales in previous year.

With total estimated cotton consumption in the country (including mill, small mill and non-mill consumption) at 276.00 lakh bales and estimated exports of 80.00 lakh bales, total disappearance in cotton season 2012-13 has been estimated at 356.00 lakh bales as against 383.77 lakh bales in previous year.

The carry over stock, at the end of cotton season 2012-13 has been estimated at 34 lakh bales as against 40 lakh bales (after adjustment in spill-over stock over the years) in previous year. The cotton balance sheet as drawn by CAB on 23rd January 2013 is as follows:

मात्रा लाख गॉठों में - 170 कि.ग्रा.प्रति		
	2012-13	**2011-12**
आपूर्ति		
आरंभिक स्टॉक	40.00*	45.77
कपास फसल	330.00	355.00
आयात	20.00	12.00
कुल उपलब्धता	**390.00**	**412.77**
मांग		
मिल उपभोग	234.00	223.09
छोटी मिल उपभोग	22.00	21.09
मिलेतर उपभोग	20.00	10.00
कुल उपभोग	**276.00**	**254.18**
निर्यात	80.00	129.59
कुल विलुप्तता	**356.00**	**383.77**
आगे लाया गया	**34.00**	**29.00**

* पिछले वर्षो के शेष स्टॉक के समायोजन के कारण आरंभिक स्टॉक में वृद्धि की प्रवृत्ति रही । स्रोतः कपास सलाहकार मंडल

Quantity in lakh bales of 170 kgs		
	2012-13	**2011-12**
SUPPLY		
Opening stock	40.00*	45.77
Cotton crop	330.00	355.00
Imports	20.00	12.00
Total availability	**390.00**	**412.77**
DEMAND		
Mill consumption	234.00	223.09
Small Mill consumption	22.00	21.09
Non-Mill consumption	20.00	10.00
Total consumption	**276.00**	**254.18**
Exports	80.00	129.59
TOTAL DISAPPEARANCE	**356.00**	**383.77**
CARRY FORWARD	**34.00**	**29.00**

* Upward revision in opening stock due to adjustment in spillover stock over the years. Source: CAB

4. देशी मूल्य प्रवृत्ति :

कपास, यार्न और वस्त्रोद्योग उत्पाद की देशीय तथा अंतर्देशीय घटी हुई मांग के कारण कपास मौसम 2012-13 में कपास के आरंभिक मूल्य गत वर्ष के आरंभिक मूल्यों से नीचे रहे । तथापि मार्च, 2013 के प्रथम सप्ताह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट विशेषतः पड़ोसी देशों जैसे चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश इत्यादि से बढ़ती हुई मांग के कारण देशीय मूल्य स्थिर होने शुरू हो गए । महत्वपूर्ण किस्मों के लिए कपास रूई मूल्य की गति नीचे दिए अनुसार हैं :-

4. DOMESTIC PRICE TREND :

In the backdrop of sluggish demand for cotton, yarn and textile domestically and internationally, the opening lint cotton prices in the cotton season 2012-13 had been lower as compared to the opening prices of previous year. However, since first week of March 2013, with picking up of demand in international market, especially from neighboring countries viz., China, Pakistan, Bangladesh etc., the domestic cotton prices have started firming up. The movements of cotton lint prices for important varieties are as follows:

(मूल्य-रू.प्रति कैंडी स्पॉट / Prices in Rs.per candy spot)

दिनांक Date	जे-34 J-34	एच-4 H-4	एस-6 S-6	बीबी BB	डीसीएच-32 DCH-32
1-10-2012	31800	33400	33700	--	48000
1-11-2012	31300	31600	33800	34200	45500
1-12-2012	32300	32500	33800	34500	45200
1-01-2013	32700	32900	33900	33900	45200
1-02-2013	33600	33800	34100	34600	45000
1-03-2013	37600	38100	37600	37900	47300
1-04-2013	38500	38900	39200	40500	50000

स्रोतः कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई / Source: Cotton Association of India, Mumbai

5. निगम का कार्य-कलाप :

5.1 भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1986 में जारी किया गया नीति मार्गदर्शन आपके निगम की खरीद नीति को नियंत्रित करता रहा और इसकी भूमिका पिछले वर्ष की तरह जारी रही यानि,

- जब कभी कपास के मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को छूने लगें, तब किसी मात्रात्मक सीमा के बिना समर्थन मूल्य पर कार्य करना ।

5. OPERATIONS OF THE CORPORATION:

5.1 The policy guidelines issued by the Government of India in October 1986 continued to govern the purchase policy of your Corporation and its role continued to be the same as reported last year viz.,

- To undertake price support operations whenever the market prices of kapas touch the support prices announced by the Government of India without any quantitative limit:

- भारतीय कपास निगम के अपने स्वयं के जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद कार्य करना ।
- निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने के लिए खरीद कार्य करना ।

5.2 जब कभी कपास के प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच जाते हैं, तब आपका निगम भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के अनुसार कपास उत्पादकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद के लिए बाजार में प्रवेश करता है । भारत सरकार ने कपास मौसम 2012-13 के लिए मीडियम स्टेपल ग्रुप के मामले में (24.5 एमएम से 25.5 एमएम के साथ 4.3 से 5.1 मायक्रोनेयर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 29% बढ़ा दिया है (यानि 2800 रू. प्रति क्विंटल के स्तर से 3600 रू. प्रति क्विंटल तक) बढ़ा दिया तथा लंबे रेशेवाले समूह के लिए (29.5 एमएम से 30.5 एमएम के साथ 3.5 से 4.3 मायक्रोनेयर के लिए 3300 रू. प्रति क्विंटल से 3900 रू. प्रति क्विंटल) तक बढ़ा दिया यानि उसमें 18% की वृद्धि ।

आपके निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य परिचालन के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपने लगभग 300 खरीद केंद्रों के नेट-वर्क द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यों का संचालन करने के लिए अपने आप को तैयार रखा है ताकि कपास के मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर पहुँचने की स्थिति में संचालन किया जा सकें ।

5.3 फिर भी, आंध्र प्रदेश व अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच गये, जिसके परिणामस्वरूप आपके निगम ने भारत सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में इन राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कार्य किया तथा कपास मौसम 2012-13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन 22.80 लाख गाँठें खरीदी है ।

आगे कपास किसानों को प्रतियोगी मूल्य सुनिश्चित करने तथा नियमित मिल खरीददारों की अवश्यकता

- To undertake commercial operations, only at CCI's own risk and;
- To purchase cotton to fulfill export commitments.

5.2 As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs). For cotton season 2012-13, the Government of India had increased the MSPs by 29% in case of medium staple group (24.5 mm to 25.5 mm staple length with micronnaire 4.3 to 5.1) (i.e. from the level of Rs.2800 per quintal in 2011-12 to Rs.3600 per quintal) and by 18% in case of long staple group (29.5 mm to 30.5 mm with micronnaire 3.5 to 4.3) (i.e. Rs.3900 per quintal to Rs.3300 per quintal).

In the wake of subdued demand for cotton domestically and internationally, your Corporation, as the nodal agency of the Government of India for MSP operations had fully geared up itself for undertaking MSP operations through a network of more than 300 procurement centers in the event of prevailing kapas prices touching the MSP level.

5.3 However, in cotton season 2012-13, the prevailing seed cotton (kapas) prices had touched MSP level, especially in Andhra Pradesh and partially in other States viz., Maharashtra, Karnataka, Orissa and Madhya Pradesh. As a result, your Corporation, being a nodal agency of the Government of India had carried out MSP operations in these States and had procured 22.80 lakh bales under MSP operations in the cotton season 2012-13.

Further, with a view to ensure competitive prices to the cotton farmers as also to

की पूर्ति के लिए आपके निगम ने वाणिज्यिक खरीदी के अंतर्गत 0.48 लाख गाँठें खरीद की है ।

5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कपास की मांग धीमी रही तथापि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार आपके निगम ने जनवरी, 2013 माह में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य स्टॉक का 1.5 लाख गाँठों के साथ-साथ वाणिज्यिक खरीदी के अंतर्गत खरीदी गयी लगभग 0.48 लाख गाँठों का परिसमापन किया । वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम की खंडवार ब्रिक्री कार्य-निष्पादन नीचे दिये अनुसार हैं:

मात्रा लाख गॉठों में

	2012-13	कुल बिक्री पर प्रतिशत	2011-12	कुल बिक्री पर प्रतिशत
एनटीसी	0.54	14.52	0.85	10.35
एसटीसी /को-आप.	0.30	08.06	0.17	2.07
निजी	2.88	77.42	7.00	85.27
निर्यात	0.00	00.00	0.19	2.31
कुल	**3.72**	**100.00**	**8.21**	**100.00**

5.5 कपास मौसम 2012-13 के आरंभ से भारत सरकार ने कपास निर्यात को पहले डीजीएफटी से पंजीकरण के साथ इसे ओजीएल के अधीन रखा । चीन सरकार द्वारा निरंतर संचयी निर्माण से पडोसी देशों से भारतीय कपास के लिए मांग रही तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट विशेषतः चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश इत्यादि में भारतीय कपास की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आपके निगम ने भारत सरकार से 10 लाख गाँठों के निर्यात कोटा के आबंटन का अनुरोध किया । मार्च, 2013 की समाप्ति तक देश से 81 लाख गाँठों का निर्यात के लिए पंजीकरण किया गया । भारत सरकार द्वारा निर्यात कोटा जारी करने की अपेक्षा में आपके निगम ने बडे आयात करने वाले देशों जैसे चीन, बंगलादेश इत्यादि देशों से निर्यात संभावनाएं खोजने के लिए व्यापारिक बातचीत द्वारा निर्यात प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी रखे ।

cater the needs of its regular buyers, your Corporation had purchased 0.48 lakh bales under commercial operations..

5.4 During the year under review, the demand for cotton has remained subdued. However, as per the mandate given by the Ministry of Textiles, Government of India, your Corporation could liquidate MSP stock of 1.5 lakh bales alongwith around 0.48 lakh bales under commercial operations in the month of January 2013 itself. The segment-wise sales performance of your Corporation during the financial year was as follows:

Quantity in lakh bales

	2012-13	% to total sales	2011-12	% to total sales
NTC	0.54	14.52	0.85	10.35
STC/COOP	0.30	08.06	0.17	2.07
PRIVATE	2.88	77.42	7.00	85.27
EXPORT	0.00	00.00	0.19	2.31
TOTAL	**3.72**	**100.00**	**8.21**	**100.00**

5.5 For cotton season 2012-13, since beginning, the Government of India had placed cotton exports under OGL with prior registration with DGFT. With continuation of building reserve by Chinese Government, there had been demand for Indian cotton from neighbouring countries. With increasing demand for Indian cotton in international market, especially from China, Pakistan, Bangladesh etc., your Corporation has requested Government of India for allocation of exclusive export quota of 10 lakh bales. Till end-March 2013, almost 81 lakh bales had been registered to exports from the country. In anticipation of release of export quota by the Government of India, your Corporation has continued efforts to boost exports by holding trade talks with major importing countries viz., China, Bangladesh etc., to explore export possibilities.

6. अंतर्राष्ट्रीय कपास स्थिति :

6.1 पिछले दो कपास मौसम की तुलना में, कपास के मूल्य कम रहने की वजह से अधिक लाभप्रद वैकल्पिक उपज जैसे सोयाबीन, मकई आदि में बदलने की वजह से वर्ष 2012-13 में विश्व कपास एकरेज में 5% की कमी यानि गत वर्ष के 36.04 मिलियन हैक्टर्स की तुलना में 34.25 मिलियन हैक्टर्स रहा। कपास क्षेत्रफल में कमी से वर्तमान कपास मौसम 2012-13 में विश्व कपास उत्पादन पिछले वर्ष के 27.44 मिलियन टन्स के विरूद्ध लगभग 5% गिरकर 26.01 मिलियन टन्स पर पहुँचने की संभावना है। विश्व अर्थव्यवस्था में धीमी सुधार के आधार पर वर्ष 2012-13 में विश्व कपास उपभोग पिछले वर्ष 22.78 मिलियन टन्स के विरूद्ध लगभग 3% वृद्धि के साथ 23.40 मिलियन टन्स तक पहुँचने की आशा है। जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2013 की समाप्ति पर कपास स्टॉक 16.7 मिलियन टन्स रिकार्ड पर 19% बढ़ने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आयसीएसी) द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के पिछले 3 वर्ष के ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं :-

मेट्रिक टन में

	2010-11	2011-12*	2012-13**
विश्व का आरंभिक स्टॉक	8.67	9.58	14.08
विश्व उत्पादन	25.36	27.44	26.01
विश्व उपभोग	24.50	22.78	23.40
विश्व निर्यात	7.63	9.99	8.74
विश्व आयात	7.72	9.82	8.74
विश्व का अंतिम स्टॉक	9.58	14.08	16.68

स्रोतः आयसीएसी (कॉटन दिस मन्थ, 1, अप्रैल 2013)
*अनुमानित **प्रक्षेपित

6. INTERNATIONAL COTTON SITUATION:

6.1 The world cotton acreage in 2012-13 has declined by around 5% to 34.25 million hectares as against 36.04 million hectares in previous year mainly because of switching over to more lucrative alternatives such as soyabeans, maize etc., in response to lower cotton prices compared with previous two seasons. With reduction in world cotton acreage, world cotton production in current cotton season 2012-13 is expected to decline by around 5% to 26.01 million tons as against 27.44 million tons in 2011-12. On the basis of timid recovery in global economy, world cotton consumption in 2012-13 is expected to increase by around 3% to 23.40 million tons as against 22.78 million tons in previous year. As a result, cotton stocks at the end of July 2013 are forecast up by 19% to a record of 16.7 million tons. The details of cotton balance sheet, as drawn by the International Cotton Advisory Committee (ICAC) for the last three years are as under:-

In million metric tons

	2010-11	2011-12*	2012-13**
World beginning stocks	8.67	9.58	14.08
World Production	25.36	27.44	26.01
World consumption	24.50	22.78	23.40
World exports	7.63	9.99	8.74
World imports	7.72	9.82	8.74
World ending stocks	9.58	14.08	16.68

Source: ICAC (Cotton This Month, 1st April 2013)
* Estimated **Projected

6.2 अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तिः

कपास मौसम 2012-13 का आरंभ 14.1 मिलियन टन कपास के रिकार्ड स्टॉक से हुआ तथा काटलुक ए सूचकांक का आरंभ 81.65 यूएस सेन्ट प्रति एलबी के साथ हुआ । 2012-13 के पहले पाँच महीनों के दौरान कपास के मूल्य में सामान्य स्तर पर अस्थिरता नहीं दिखायी दी । तथापि जनवरी 2013 के मध्य में कपास मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई । मार्च, 2013 में काटलुक ए सूचकांक में मार्च, 2013 के अंतिम सप्ताह में 93.15 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी कम होने से पूर्व 98.85 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी तक बढ़ गया । अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य में प्रवाह चीन के बाहर मांग और आपूर्ति के संतुलन के कसाव का कारण चीन में संचयी निर्माण है । आईसीएसी ने काटलुक ए सूचकांक 90 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी पर प्रक्षेपित की है, जो लगभग 100 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी के औसत के विरूद्ध है ।

3 वर्ष के लिए कॉटलुक ए इंन्डेक्स का माहवार औसत नीचे दिये अनुसार हैं :-

यूएस सेन्टस् प्रति एलबी में

माह	2010-11	2011-12	2012-13
अगस्त	90.35	114.10	84.40
सितंबर	104.73	116.90	84.15
अक्तूबर	126.55	110.61	82.17
नवंबर	155.47	104.75	80.87
दिसंबर	168.22	95.45	83.37
जनवरी	178.93	101.11	85.51
फरवरी	213.18	100.75	89.71
मार्च	229.67	99.50	94.45
अप्रैल	216.62	100.10	92.68
मई	165.52	88.79	92.74
जून	167.16	82.18	93.08
जुलाई	---	83.97	92.62
वर्ष औसत	**165.13**	**99.85**	**87.98**

6.2 International price trend:

Cotton season 2012-13 began with a record stock of 14.1 million tons of cotton and the Cotlook A index at 81.65 US Cents per lb. Cotton prices during the first five months of 2012-13 did not exhibit the usual level of volatility. However, cotton prices rose in mid-January 2013. In March 2013, the Cotlook A index rose to 98.85 US Cents/lb before receeding to 93.15 US Cents per lb in the last week of March 2013. The surge in international cotton prices is attributed to concerns about the tightening supply-demand balance outside China as China continues to build reserves. The ICAC has projected Cotlook A Index to average at 90 US Cents per lb as against average of around 100 US Cents per lb.

The details of month-wise average Cotlook A Index for three years is given as follows:

In US Cents/lb

Month	2010-11	2011-12	2012-13
August	90.35	114.10	84.40
September	104.73	116.90	84.15
October	126.55	110.61	82.17
November	155.47	104.75	80.87
December	168.22	95.45	83.37
January	178.93	101.11	85.51
February	213.18	100.75	89.71
March	229.67	99.50	94.45
April	216.62	100.10	92.68
May	165.52	88.79	92.74
June	167.16	82.18	93.08
July	---	83.97	92.62
Yearly Avg.	**165.13**	**99.85**	**87.98**

7. संदूषण-मुक्त कपास का संसाधन

आलोच्य वर्ष के दौरान निर्यातोन्मुख इकाईयों तथा गुणवत्ता के प्रति जागरूक मिलों से संदूषण मुक्त कपास की मांग पूरी करने के लिए आपके निगम ने पिछले वर्ष की 88% उपलब्धि के विरूद्ध कुल खरीद का लगभग 80% न्यूनतम संदूषण के साथ संसाधित किया है । मिलों से प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और निगम आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में संसाधित कपास, प्रीमियम के साथ बेचने में सफल रहा है । आपका निगम आगामी वर्षों में अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे जारी रखने और मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ।

8. भंडारणगृह परिसर

आपके निगम के पास निर्यात प्रयोजन के लिए गॉठों के भंडारण हेतु कलंबोली में निर्मित एक भंडारण गृह परिसर है। वर्ष के दौरान निगम द्वारा कपास के निर्यात को देखते हुए एक गोदाम की भंडारण क्षमता को, जिसमें दो कंपार्टमेन्ट है, निर्यात प्रयोजन के लिए अभिचिन्हित कर दिया है । जबकि शेष क्षमता प्रतिस्पर्धी दरों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए लीज पर दी गयी है, रेलवे स्लाईडिंग दीर्घावधि लीज. पर एक पार्टी को लीज. किराया प्राप्ति के लिए दी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 4.80 करोड़ रू. की सीमा तक राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 5.00 करोड़ रू. का राजस्व था।

9. विकासात्मक गतिविधियाँ

जैसा कि आप जानते हैं, वृद्धित कपास उत्पादन, उत्पादकता और कपास की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उसके द्वारा कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि करना और वस्त्र मिलों को गुणवत्तावाली कपास की अत्याधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना आपके निगम का सदैव प्रयास रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका निगम विस्तार गतिविधियों के रूप में विभिन्न विकासशील गतिविधियाँ संचालित करता रहा है । तथापि, फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के आरंभ के साथ कई गतिविधियाँ टीएमसी के मिनी मिशन I और II में शामिल हो गयी हैं । इसलिए आपके निगम ने, सघनित कपास खेती(संविदा खेती) जैसी सीमित विकासशील गतिविधियों को भारत सरकार और राज्य कृषि विभागों के प्रयत्नों को समर्थन देने के लिए जारी रखा है ।

7. PROCESSING OF CONTAMINATION FREE COTTON

In order to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills during the year under review, your Corporation had processed around 88% as against 80% of the total procurement last year with least contamination as against achievement during the last year. The response of the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium. Your Corporation proposes to increase the quantity to meet the growing demand of its customers in the coming years as well.

8. WAREHOUSING COMPLEX

Your Corporation is having warehousing complex at Kalamboli constructed for storage of bales meant for export purpose. Looking to the opportunities for export of cotton by the Corporation from Navi Mumbai ports, storage capacity of only one godown comprising two compartments had been earmarked for export purpose. While the balance capacity has been leased for commercial utilization at competitive rates, railway sliding has been given on long-term lease to one party fetching lease rental. During the year under review, your Corporation has generated revenue to the tune of Rs. 4.80 crores as against the revenue of Rs.5.00 crores generated in previous year.

9. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES

Increasing cotton production, productivity and improving the quality of cotton thereby increasing the income of cotton growers and ensuring abundant supply of quality cotton to the textile mills had always been the endeavor of your Corporation. To attain this objective, your Corporation had been undertaking various developmental activities in the form of extension activities. However, with the launching of Technology Mission on Cotton in February 2000, many of these activities have been covered under Mini Mission I and II of TMC. Your Corporation has, therefore, continued with limited developmental activities like Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming) to supplement the efforts of the Government of India and the State Agriculture Departments.

10. सघनित कपास खेती (संविदा खेती) :

सघनित कपास खेती के संकल्प को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय करने के लिए यानि किसानों के बीच संविदा खेती को लोकप्रिय बनाने तथा उसका लाभ कपास किसानों और खरीददार मिलों /ग्राहकों को पहुँचाने के लिए आपके निगम ने वर्ष 2002-03 के दौरान, आरंभ में सुविधाकर्ता के रूप में चार राज्यों में सधनित कपास खेती आरंभ की।

कपास मौसम 2012-13 के दौरान, आपके निगम ने इस परियोजना को सभी कपास उत्पादक राज्यों में बढ़ाते हुए संविदा खेती के अंतर्गत 48,147 हैक्टर क्षेत्रफल लाया, जबकि पिछले वर्ष यह 47,246 हैक्टर था । इस कार्यक्रम में शामिल उपायों में किसान क्लब की संरचना, क्लब/एसोसिएट खरीददार मिल/जिनरीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे गुणवत्तावाले निवेशों की आपूर्ति की व्यवस्था करना, किसानों के प्रशिक्षण, उपज और कीटनाशकों के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए स्काउट लगाना तथा गांव/मार्केट यार्ड में कपास की खरीद और कीट प्रबंधन के बारे में उचित सलाह देना शामिल है । विभिन्न प्रयत्नों के कारण तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कपास किसानों की बदली हुई विचारधारा के कारण उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उत्पादन लागत में लगातार घटौती आयी तथा कपास किसनों की आय में वृद्धि हुई है ।

11. कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन - II के अंतर्गत फ्रन्ट लाईन डिमोन्स्ट्रेशन(एफएलडी)

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने अन्य कार्यान्वयन एजेन्सीज जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आयसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय(एसएयू), राज्य कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) इत्यादि जो कृषि मंत्रालय के पहले ही एक एफएलडी योजना कार्यान्वयन कर रहे थे उनके साथ आपके निगम को 2005-06 से एक नोडल एजेन्सी के रूप में पहचान दी है । कृषि मंत्रालय के अनुसार एफएलडी कार्यक्रम मिनी मिशन -II के अंतर्गत है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के कपास किसानों को आधुनिक तकनीकी का प्रचार करना है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने सभी मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में उत्पादन तकनीकी पर 2000 एफएलडी कार्यक्रम आयोजित किए है , जिस पर 40.00

10. INTEGRATED COTTON CULTIVATION (CONTRACT FARMING):

With a view to improve the quality of cotton through transfer of technology and improved farm practices, the Government of India has been propagating Contract Farming project, which has backward linkages with cotton farmers and forward linkages with the ultimate consumers. Your Corporation has been undertaking Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming), as a facilitator, initially in four States during 2002-03.

In cotton season 2012-13, your Corporation has extended the project in all the cotton growing States bringing an area of 48,147 hectares under contract farming as against 47,246 hectares in the previous year. The steps involved in the programme were formation of farmer's club, signing of Memorandum of Understanding with the Club/ginneries, organizing supply of quality inputs such as seeds, fertilizers, pesticides, training to farmers, engagement of scouts for monitoring and management of crops and the pests, for proper advice of pest management and procuring of kapas at village/market yards. Due to various efforts and the changed mindset of cotton farmers in adopting latest technology, there has been substantial increase in the yield, lower cost of production and increased income to the cotton farmers.

11. FRONT LINE DEMONSTRATIONS (FLD) UNDER MM–II of TMC

The Ministry of Agriculture, Government of India had identified your Corporation as one of its Nodal Agencies since 2005-06 for implementing the component of Front Line Demonstration (FLD) in cotton along with other implementing agencies like Indian Council of Agriculture Research (ICAR), State Agriculture Universities (SAUs), State Departments of Agriculture, Krishi Vigyan Kendras (KVKs) etc, which were earlier implementing the FLD Project of Ministry of Agriculture. Front Line Demonstration, according to Ministry of Agriculture, is one of the components of MM-II and is a major break-through in disseminating modern farm technology to the cotton-growing farmers of the country.

During the year under review, your Corporation had conducted 2000 FLDs on Production Technology in all the major cotton growing States

लाख रू. बजट आबंटन के विरूद्ध 35.42 लाख रू. का व्यय किया है ।

12. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) ने अपने दिनांक 9 अप्रैल 2010 के पत्र द्वारा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है, जिसके द्वारा उनके शुद्ध लाभ में से कुछ भाग को लोकोपकारी गतिविधियों तक पहुँचाने विस्तार करने और सार्वजनिक एवं व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि लंबे समय तक प्रतियोगी लाभ बना रह सके।

(i) ग्राम अभिग्रहण योजना

डीपीई के मार्गदर्शन के अनुसार आपके निगम ने सीएसआर के अधीन ग्राम अधिग्रहण कार्यक्रम परियोजना " एक ग्रामः एक किस्म " का संकल्प तीन राज्यों में आरंभ करते हुए कार्यान्वित किया है, यानि महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र) के दो गाँव, ओडिसा में एक और तामिलनाडु में दो गाँव, जहां पहले के वर्षों में कपास की उत्पादकता कम है तथा जो संशोधित और नये उत्पादन और पैकेज प्रथाओं से वंचित हैं। निगम ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सीएसआर परियोजना हेतु 35.00 लाख रू निश्चित किये हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान 30.00 लाख रू. का कुल बजट आबंटन के विरूद्ध निगम ने 28.88 लाख रू. खर्च हुआ, जबकि पिछले वर्ष 36.45 लाख रू था ।

(ii) कपास किसानों के लिए स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम

एमओयु 2012-13 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके निगम ने औरंगाबाद (अक्तूबर, 2012 में) तथा वारंगल (नवंबर, 2012 में) प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र /ग्रामपंचायत के माध्यम से स्वास्थ्य जाँच के कार्यक्रम आयोजित किए है जिसमें 5.00 लाख रूपये की आबंटित राशि के विरूद्ध 4.50 लाख रू. की राशि का कुल व्यय हुआ ।

13. मानव संसाधन विकासः

13.1 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2013 को 1029 थी, जिसमें 111अधिकारी तथा 918 कर्मचारी

and incurred an expenditure of Rs. 35.42 lakhs against the budget allocation of Rs.40.00 lakhs.

12. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE) vide their letter dated 9th April 2010 had introduced the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in various Central Public Sector Enterprise (CPSE) mandating to expend some portion of their net profit to extend beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of social and business goals to secure sustainable competitive advantage in long term.

(i) Village Adoption programme:

As per the guidelines of DPE, your Corporation had taken up CSR in the year 2010-11 on long term sustainable basis under Village Adoption Programme with "One Village: One Variety" concept in three States viz., two villages of Maharashtra (Vidarbha region), one village in Orissa and two villages in Tamil Nadu having lesser productivity of cotton in the earlier years and are deprived of improved and innovative cultivation and package practices. In the year under review, your Corporation had earmarked Rs.35.00 lakhs for CSR project for F.Y 2012-13. Out of the total Budget allocation of Rs.30.00 lakhs during the year 2012-13, Corporation has incurred an expenditure of Rs. 28.88 lakhs as against the expenditure of Rs.36.45 lakhs out of the budgeted provision of 40.00 lakhs in previous year.

(ii) Health check up programme for cotton farmers

As per MoU 2012-13, during the period under review, your Corporation had organized health check up programmes through preliminary health centres/Grampanchayats in Aurangabad (in October 2012) and in Warangal (in November 2012). As against allocated fund of Rs.5.00 lakhs, a total expenditure of Rs.4.50 lakhs has been incurred.

13. HUMAN RESOURCE DEVELOMENT:

13.1 The total strength of your Corporation during the year under report was 1029 as on 31st March 2013 consisting of 111 officers and

शामिल है, जबकि पिछले वर्ष कुल संख्या 1113 थी । इस में से 112 महिला कर्मचारी है जिनमें 13 महिला अधिकारी, 99 महिला यूनियन कैडर है । आपका निगम भर्ती और पदोन्नति दोनों के मामलों में अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि. के अनुरक्षण के बारे में भारत सरकार के नीति मार्गदर्शन का अनुपालन कर रहा है । अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग /शा.वि. के लिए संपर्क अधिकारी आपके निगम के अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग/शा. वि.के कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए प्रबंधन को सहायता देती रही है । समीक्षाधीन अवधि में आपके निगम ने 1 लेखाधिकारी, 1 कनिष्ठ सहायक (सामान्य) (ओबीसी श्रेणी), 1 कनिष्ठ सहायक (लेखा) तथा 1 मैन्टेनेन्स स्टॉफ-कम-ड्राईवर (ओबीसी श्रेणी) की भर्ती की है। आपके निगम ने फील्ड कर्मचारियों तथा अधिकारियों के रोटेशनल स्थानांतरण भी किये हैं ।

13.2 आपका निगम विकलांगता अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के प्रावधान विशेषतः विकलांगतावाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की धारा 33 के कार्यान्वयन का अनुपालन कर रहा है । चूंकि आपके निगम के कार्य-कलापों में फील्ड कार्य-कलाप शामिल है, जिसमें शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है, शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए नियुक्ति का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है । इस प्रकार की सीमाओं के बावजूद आपके निगम में वर्तमान में 13 शारीरिक विकलांगतावाले व्यक्ति कार्यरत है । योग्य व्यक्तियों को कैरियर विकास के अवसर देने के लिए आपके निगम ने ग्रेड-V यानि का.प्र.(सा./ले.)/व.क.क्र.अ. के लिए अर्हता परीक्षा रखी और 4 सफल उम्मीदवारों (3 सहायक प्रबंधक (जिसमें 1 एससी श्रेणी की है) तथा 1 लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया ।

13.3 आपके निगम द्वारा वर्ष, 1975-76 में आरंभ की गई प्रबंधन व्यवस्था में कर्मचारियों की सहभागिता योजना निगमित और शाखा दोनों स्तरों पर सहज रूप से चल रही है । निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी मानव दिन की हानि नहीं हुई है ।

918 unionized staff as compared to the total strength of 1113 employees during the last year. Out of the strength of 1029 employees, there are 112 women employees comprising of 13 women officers and 99 unionized staff. Your Corporation continued to follow the policy /guidelines of the Govt. of India in respect of the reservation of SC/ST/ OBC/PH categories both in recruitment as well as promotion. The liaison officer for SC/ST/OBC/PH continued to function to safeguard the interest of SC/ST/OBC/ PH employees of your Corporation. During the period under review your Corporation recruited 1 Accounts Officer, 1 Jr. Assistant (Gen), (OBC category), 1 Jr. Asstt. (A/c) and 1 Maintenance staff-cum-Driver (OBC Category). Your Corporation effected rotational transfer of field staff and officers.

13.2 Your Corporation is observing the provision of implementation of the Persons with Disabilities Act 1995, especially on implementation of Section 33 of reservation of vacancies for persons with disabilities. As the work of your Corporation involves field operations – which requires a lot of physical exertion – the scope for employment of physically handicapped person is extremely limited. Despite such limitation your Corporation presently has strength of 13 physically handicapped persons. With a view to give career development opportunity to the deserving person, your Corporation conducted Qualifying Test for Gr. V i.e. OM (Gen & A/c's)/Sr.CPO and promoted 4 successful candidate to the post of Accounts Officers and Assistant Manager (3 Assistant Managers (Out of which 1 is SC Category) and 1 Accounts Officer

13.3 The Scheme for workers participation in Management introduced by your Corporation since 1975-76 continues to function smoothly, both at the corporate level and also at the branches. The industrial relations in your Corporation continued to remain very cordial and there was no loss of man-days.

14. विदेशी दौरे :

समीक्षाधीन वर्ष में आपके निगम ने अधिकारियों के विदेश दौरे पर 3.35 लाख रू खर्च किये, जो ढाका तथा ताशकंद में भारतीय कपास निगम के मार्फत दौरे पर थे ।

15. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शनों के आधार पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार आपके निगम ने मैन्युअल संग्रहण/प्रकाशन, केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहा. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने तथा प्रत्येक लोक प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए आंतरिक पद्धति को स्ट्रीमलाईन करने के बारे में कार्रवाई की है।

1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के दौरान विभिन्न आवेदकों से 84 अनुरोध प्राप्त हुए थे । 84 प्राप्त आवेदन के सामने एक मामले को छोड़कर जो रद्द किया गया, शेष सभी मामलों में आवेदन कर्ताओं को सूचना उपलब्ध करवायी गयी । 7 आवेदको ने अपीलियेट प्राधिकारी के सामने प्रथम अपील भेजी तथा किसी भी आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग के सामने दूसरी अपील नहीं भेजी।

सूचना अधिकार अधिनियम की तिमाही रिपोर्ट को वस्त्र मंत्रालय के दि.08 जून 2011 के पत्र के निदेश के अनुसार निगम की वेबसाईट के साथ-साथ केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है ।

16. सतर्कता संरचना तथा गतिविधियाँ - 2012-13

16.1 आपके निगम के सतर्कता कोष्ठ के प्रधान, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जिनके साथ मुख्यालय में उप प्रबंधक तथा शाखा कार्यालयों में उप प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक कार्यरत हैं ।

16.2 मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों (मुख्यालय/शाखाओं में तैनात) ने मुख्यालय तथा शाखाओं में आकस्मिक जाँच/निरीक्षण किए ।

16.3 शिकायतें :

वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से सतर्कता कोष्ठ में 21शिकायतें प्राप्त हुई । गत वर्ष से 13 शिकायतें आगे लायी गयीं । कुल 34 शिकायतों में से 1 मामले

14. FOREIGN TOUR:

During the year under Review, Rs.3.35 lakhs was spent on foreign tour for the officials of your Corporation for visit to Dhaka & Tashkent on behalf of CCI.

15. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your Corporation has taken action regarding compilation/publishing of manuals, appointments of Central Assistant Public Information Officers, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

During the period from 1st April 2012 to 31st March 2013, 84 requests were received from different applicants. Out of 84 applications, information was made available in all cases to the applicant except in 1 case which was rejected. 7 applicants preferred for the First Appeal before the Appellate Authority and no applicant made Second Appeal with Central Information Commission (CIC).

The Quarterly Report of RTI is uploaded on the website of the Corporation and also uploaded on the website of Central Information Commission(CIC) as instructed by the Ministry of Textiles vide its letter dated 8th June,2011.

16. VIGILANCE SET-UP AND ACTIVITIES 2012-13

16.1 The vigilance Cell of the Corporation is headed by a Chief Vigilance Officer assisted by Dy. Manager at the Head Office and Deputy Manager/Assistant Managers in the Branches.

16.2 The Chief Vigilance Officer and other officials posted at Head Office/Branches conducted Surprise Checks/Inspections.

16.3 Complaints:

The Vigilance Cell in all received 21 complaints during the year from various sources. 13 complaints were brought forward from the previous year. Out of these

5 अधिकारियों के विरूद्ध बड़े दंड की कार्रवाई की गई । एक मामले में संबंधित अधिकारी को चेतावनी पत्र जारी किया गया । एक मामले में निविदा रद्द कर, उसे पुनः री-टेंडर/री-फ्लोट किया गया । 1 मामले में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध निंदा का छोटा दंड लगाया गया। 13 मामले जाँच के स्तर पर बंद किये गये । दि.31.03.2013 को शेष 17 मामले जाँच पड़ताल/अंतिम निर्णय हेतु लंबित है, अतः अगले वर्ष के लिए आगे लाये गये ।

16.4 विभागीय जांच :

बड़े दण्ड की कार्यवाही

गत वर्ष से बड़े दंड की कार्यवाही के 8 मामले आगे लाये गये तथा वर्ष के दौरान सतर्कता कोष्ठ द्वारा 2 मामलों पर कार्रवाई की गई । इन 10 मामलों में से 3 मामलों में 6 अधिकारियों के विरूद्ध बड़े दंड की कार्रवाई की गई । 3 मामलों में 1 अधिकारी के विरूद्ध निंदा का छोटा दंड लगाया गया । दिनांक 31.3.2013 को शेष 4 मामलों पर अनुशासनिक प्राधिकारी की विभागीय कार्रवाई/निर्णय चल रही है, अतः इन 4 मामलों को आगामी वर्ष में आगे लाया गया ।

16.5 छोटे दंड की कार्यवाही :

वर्ष के दौरान सतर्कता कोष्ठ द्वारा 6 मामलों पर छोटे दंड की कार्रवाई शुरू की गयी । इन 6 में से 3 मामलों पर 3 कर्मचारियों पर छोटा दंड लगाया गया । 1 मामले में एक अधिकारी के विरूद्ध 1 वेतनवृद्धि को रोकने का छोटा दंड लगाया गया । एक मामले में, एक अधिकारी के विरूद्ध निंदा का छोटा दंड लगाया गया । एक मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले को बंद किया ।

16.6 निलंबन :

दि.31.3.2013 को 1 लेखाधिकारी और 2 यूनियनाईज्ड कर्मचारी निलंबन के अधीन हैं ।

16.7 सीबीआई द्वारा खोजे गये मामले :

सीबीआई द्वारा 3 अधिकारियों के विरूद्ध 4 मामले खोजे और पंजीकृत किये गये । इन चार मामलों में सीबीआई द्वारा माननीय न्यायालय, सीबीआई के मामलों के विशेष न्यायाधीश के सामने तीन

total 34 complaints, 1 case being major penalty was imposed on 5 officials. In 1 case, warning letter had been issued to one official. In 1 case, tender had been cancelled and it was again re-tendered/ refloated. In 1 case, minor penalty of censure was imposed on one official.13 cases are closed at the investigation stage. Balance 17 cases are pending for investigation/final decision as on 31.03.2013, hence, carried forward for the next year.

16.4. Departmental Enquiries:

Major Penalty Proceedings

8 cases of Major Penalty proceedings were carried forward from previous year and 2 cases instituted during the year were dealt with by the Vigilance Cell. Out of these total 10 cases: In 3 cases, Major Penalty were imposed on 6 officials. In 3 cases, Minor Penalty of Censure was imposed on 1 official. Departmental proceedings/decision of Disciplinary Authority is in process on the remaining 4 cases as on 31.03.2013, hence, these 4 cases are carried forward for the next year.

16.5 Minor Penalty Proceedings:

6 cases of minor penalty proceedings instituted during the year are dealt with by the Vigilance Cell. Out of these 6 cases: In 3 cases Minor Penalty was imposed on 3 officials. In 1 case Minor Penalty of withholding of 1 increment was imposed upon 1 official. In 1 case Minor Penalty of Censure was imposed upon 1 official. In 1 case, the Disciplinary Authority has closed the case.

16.6 Suspension:

1 Accounts Officer and 2 Unionised Staff are placed under suspension as on 31.03.2013.

16.7 Cases detected by CBI:

4 cases were detected & registered by CBI against 3 officials. In these four cases, CBI has filed charge sheet against three officials before the Hon'ble Court, Special Judge for

अधिकारियों के विरूद्ध जोधपुर और विशाखापट्नम में चार्ज-शीट दायर की गयी । दिनांक 31.3.2013 को सीबीआई के पास कुल चार मामले लंबित हैं ।

16.8 सतर्कता निवारक और के.स.आ. मार्गदर्शन :

सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार है :-

(i) नियंत्रक/सर्वेक्षक अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि जहाँ आवश्यक हो सुधार के उपायों के द्वारा कार्य-पद्धति में सुधार के लिए शाखा कार्यालयों तथा केन्द्रों के दौरों में वृद्धि की जाए ।

(ii) शाखा /केन्द्रों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन तथा मुख्यालय के अनुदेशों के अनुसार खरीद, संसाधन, तुलन आदि कार्य उचित और पारदर्शी रूप से करने के लिए कहा गया ।

सतर्कता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित मदों पर अधिक बल दिया गया जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :-

(i) अग्नि-शमन के लिए एसओपी मार्गदर्शन का कड़ाई से अनुपालन करना ।

(ii) सीवीओ के साथ कार्यकारी एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखने के साथ-साथ भाकनि के सभी प्रचालन केंद्रों पर बेहतर विश्लेषण के लिए क्रय, संसाधन व भंडारण सुविधाओं की विभिन्न अवस्थाओं पर दौरा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है ।

खरीदः

- कपास खरीद एपीएमसी/एपीएमसी घोषित यार्ड से होना चाहिए । केन्द्र प्रभारी को एपीएमसी यार्ड में कपास खरीद कार्य करने के लिए एपीएमसी से प्रमाणित लाईसेंस प्राप्त करना चाहिए ।
- वजन पर्ची, बिडिंग पर्ची को एपीएमसी अधिकारी/संबंधित केन्द्र अधिकारी/किसान/प्रतिनिधि द्वारा पूरी तरह भरा जाये और हस्ताक्षरीत किया जाये ।
- आवक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सही, सच और पूर्ण होना चाहिए । किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, पता, वाहन नंबर जैसी प्रविष्टियाँ सही रूप से भरी जायें ।

CBI cases, Jodhpur and Visakhapatnam. As on 31.03.2013, total four CBI cases are pending.

16.8 Preventive Vigilance and CVC Guidelines :

For safety and security of CCI's stock, the corrective action taken as under:-

(i) Controlling /supervisory Officers were advised to enhance tours to Branch Office and its centers for improving the system by performing corrective surgery wherever necessary.

(ii) Branch/centers were emphasized to do the procurement, processing, Weighment etc. in fair and transparent manner and according to the CVC guidelines and H.O. instructions.

For further strengthening of the Vigilance Set-up, following points were stressed upon, the details of which are as under:-

(i) Strict compliance of S.O.P. guidelines for fire prevention.

(ii) The formats of tour reports are changed at various stages of purchase, processing and storage facilities at all the CCI operating centers for better analysis as well as functional and administrative control kept with Chief Vigilance Officer.

Procurement:

- Kapas procurement through APMC/APMC declared yards. Centre-In-charge to obtain an authentic licence from APMC for conducting kapas procurement in APMC yard.
- Weighment slips, bidding slips should be filled in completely and signed by APMC Official /respective Centre-In-charge, Farmer/Representative.
- Inward register's entries should be truthful, correct and complete. Entries like Farmers Name, Farmer's Father's Name, Address, Vehicle Number should be correctly entered.

- कपास की गुणवत्ता निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए ।

संसाधनः

- जी & पी फैक्टरियाँ को कार्य देने के लिए निविदा प्रक्रिया का अनुपालन पूरी तरह से किया जाये ।
- ईओटी उचित और पारदर्शी परिणामों के लिए किया जाये ।
- गांठों की पैकिंग निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाये ।
- गांठों का प्रेस वजन और सुपुर्दगी वजन की प्रभावी जांच की जाये ।

(iii) सतर्कता अधिकारियों को मार्केट यार्ड, जि.एवं प्रे.फैक्टरियों आदि में अग्नि /चोरी आदि को रोकने के लिए उचित अग्नि-शमन मशीनरी का अनुरक्षण करने तथा सतर्क रहने की सलाह दी गयी ।

(iv) सतर्कता अधिकारियों को केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम, एपीएमसी गोदाम भंडारण सुविधा तथा निजी गोदामों में तथा परिवहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ताकि सीसीआई की पूर्ण-बंधित गॉठों को अग्नि, चोरी आदि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके । सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को इन क्षेत्रों में दौरे करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

(v) महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक/प्रबंधकों से जिला प्रशासन, अग्नि-शमन सेवा, पुलिस विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क रखने की सलाह दी गयी, जिससे सीसीआई के स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। उन्हें आगे, अग्नि घटनाओं से बचाव के लिए मानक परिचालन कार्यविधि (एस. ओ.पी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ।

(vi) शाखा प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों को सलाह दी गयी है कि ट्रकों में उनकी क्षमता तथा ट्रक के आकार के अनुसार सामान भरा जाए तथा तारपोलीन के साथ उचित रूप से उसे कवर भी किया जाए ।

(vii) सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा रात्रि में निगरानी, जाँच और पहरेदारी करने की सलाह दी गयी ।

- Quality of kapas should be maintained as per prescribed parameters.

Processing

- For engagement of G&P Factories tender procedure should be followed in to.
- EOT should be taken extensively for fair and transparent results.
- Packing of bales should be as per the prescribed norms.
- Press weight and delivery weight of bales should be checked effectively.

(iii) Advised the Vigilance Officers to be proactive and advocate the maintenance of adequate fire fighting machinery at market yard, ginning & pressing factories and various godowns etc. to prevent fire/theft etc.

(iv) Vigilance officers were advised to ensure and supervise the safety and security mechanism at CWC,SWC,APMC,GSF and private godowns and during transit to avert the incidents of fire, theft etc. in the F.P. Bales of CCI. Vigilance Officers and other officers were motivated to visit these areas and ensure compliance.

(v) Advised the G.M., Dy. G.M., B.M., to be in live contact with Dist. Administration, Fire Service, Police Department for obtaining support, which could help in ensuring safety of CCI stock. They were further advised to ensure strict compliance of Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of fire incidents.

(vi) Advised B.M. and other officials to supervise that the trucks were loaded according to the capacity and size of truck and were properly covered with tarpaulins.

(vii) Night surveillance, checking, patrolling by various committees was advised to ensure safety and security of CCI stock.

(viii) सुरक्षा मानदंडों के सर्वेक्षण के लिए मजदूरों में से सुरक्षा रक्षक बनाये जायें ।

(ix) सतर्कता अधिकारियों को सौंपे गए जाँच कार्य को पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जिम्मेदारी से करने का निदेश दिया गया ।

(x) शाखा प्रबंधकों और अधिकारियों को माल सत्यापन/रिकार्ड के मिलान/विभिन्न गोदामों/जीएसफ गोदाम में रखा गया माल के निरंतर सीसीआई अधिकारियों और गोदाम अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की सलाह दी गयी ।

(xi) गांठे, भुगतान की रसीद/लिखित सुपुर्दगी आदेश के बिना न दी जाये।

(xii) बीमा कवरेज वर्तमान माल के मूल्य के अनुसार होनी चाहिए ।

(xiii) रिवॉलविंग क्रेडिट, गाठों की सुपुर्दगी, बीमा आदि के बारे में मुख्यालय को जानकारी भेजी जाये ।

17. हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आपके निगम ने वर्ष 2012-13 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है । वर्ष 2010-11 के दौरान "ख" क्षेत्र में हिंदी कार्यान्वयन में की गयी प्रगति के लिए निगम के मुख्यालय को 14 सितंबर, 2012 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । निगम को यह पुरस्कार लगातार 20वीं बार प्राप्त हुआ है । इसके अलावा वर्ष 2011-12 के दौरान शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए हिंदी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय राजभाषा विभाग द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित शा.का.भीलवाड़ा को तृतीय पुरस्कार और "ख" क्षेत्र में स्थित शा.का. औरंगाबाद को प्रथम पुरस्कार तथा "ग" क्षेत्र में स्थित शा.का. कोलकाता को तृतीय पुरस्कर प्रदान किया गया है । इसके अलावा वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों (छोटे) की श्रेणी में हिंदी में सर्वाधिक कामकाज करने के लिए मुंबई महानगर की सुप्रसिद्ध साहित्यिक आशीर्वाद संस्था द्वारा" प्रथम पुरस्कार" से सम्मानित किया गया तथा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री बी.के.मिश्र को हिंदी के कार्यान्वयन में विशेष योगदान देने के लिए "आशीर्वाद राजभाषा रत्न" से सम्मानित किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के

(viii) Safety wardens from among the labourers be made to supervise safety and security norms.

(ix) Vigilance Officers were directed to conduct the enquiries given to them with transparency, probity and accountability.

(x) Advised to Branch Managers and other officials to conduct stock verification/reconciliation of records/stocks stored in various godowns/GSF godowns, jointly by CCI Officials and Godown Officials frequently.

(xi) Bales should not be delivered without receipt of payment/written delivery order.

(xii) Insurance coverage should be appropriate as per value of the existing stock.

(xiii) Every working, such as, Revolving credit, delivery of bales, insurance, etc. should be reported to Head Office.

17. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Your Corporation has achieved all the targets laid down in annual programme for the year 2012-13 by Department of Official Languages, Home Ministry. Head Office has been honoured Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the 20th time on 14th September, 2012 for the year 2010-11 in "B " Region by Hon'ble President of India. Apart from this, B.O. Bhilwara has been awarded Third prize in "A " Region, B.O. Aurangabad has been awarded First prize in "B " Region and B.O. Kolkata has been awarded Third prize in "C " Region by Regional Official Language Department for the progress made in Hindi implementation for the year 2011-12. In addition to this Corporation has also been awarded with 1st prize by Ashirwad –a Socio-Cultural Organisation for excellent work in Hindi among Public Sector (small) category and our CMD, Shri B.K. Mishra has also been awarded with 1st prize for Excellent Hindi implementation by TOLIC, Hubli/Dharwar. So far Head Office and

दौरान राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हुबली/धारवाड़ की ओर से शाखा कार्यालय हुबली को प्रथम पुरस्कर से सम्मानित किया गया । राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अब तक निगम का मुख्यालय तथा 14 शाखा कार्यालय अधिसूचित किए जा चुके हैं ।

मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों में कंप्यूटर पर द्विभाषी प्रोग्रामिंग करायी जा चुकी है । निगम में सी-डैक की सहायता से हिंदी में ई-मेल भेजने की व्यवस्था की गई है तथा यूनिकोड फॉन्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है । वर्ष, 2003 से निगम की वेब-साईट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । निगम की गृह पत्रिका "राजभाषा रश्मि" का वर्ष 1984 से नियमित रूप से त्रैमासिक प्रकाशन किया जा रहा है । जुलाई 2009 से "राजभाषा रश्मि" ई-जर्नल हमारे वेबसाईट पर प्रदर्शित की जा रही है । 31 मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही में मूल पत्राचार में हिंदी पत्रों का प्रतिशत लगभग 94.22% रहा है ।

निगम के मुख्यालय को नवी मुंबई नगर राजभाषा समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान नवी मुंबई नराकास के तत्वावधान में दो बैठकें, एक राजभाषा संगोष्ठी, एक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य मंचन तथा एक आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है । नवी मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से "समन्वय" नामक पत्रिका के अंक-12 तथा 13 का भी प्रकाशन किया गया है । इसके अलावा, हमारे शाखा कार्यालय आदिलाबाद और औरंगाबाद भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं ।

14 branches of the Corporation have been notified under Official Languages Rule 10(4).

Bilingual computer programming is made available at Head Office as well as all Branch Offices. Corporation has also arranged to transmit E-Mail in Hindi with the help of C-Dac and facility of Unicode Font is also made available. Website is available in bilingual form, since 2003 and it is updated from time to time. Corporation is also regularly publishing House Journal name “Rajbhasha Rashmi” since 1984. E- Journal “Rajbhasha Rashmi” is being hosted on our website since July, 2009. Correspondence in Hindi stands at 94.22% as on 31st March, 2013.

Head Office of the Corporation has been entrusted with the responsibility of heading Town Implementation Committee. Two meetings, One Rajbhasha seminar, One translation training programme , One Drama based on the stories of Munshi Premchand and One Extempore Speech (Ashubhashan) competition were conducted under aegis of Navi Mumbai Tolic during the year. Navi Mumbai Tolic has also published 12th and 13th issue of “Samanvay” magazine. Apart from this our B.O. Adilabad and Aurangabad are also heading their respective Town Official Languages Implementation Committee.

18. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, आपके निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सुधार करने में सफलता प्राप्त की है :-

18.1 ईआरपी कार्यान्वयन

i) वित्त, विपणन व मासंवि/पेरोल मॉडूल्स की वर्तमान रिपोर्टस्/फार्मस को उपयोगकर्ता/व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार सुधार किया है ।

18. PROGRESS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY:

During the financial year 2012-13, your Corporation has achieved a number of improvements in the field of information Technology:-

18.1 ERP IMPLEMENTATION

i) The existing reports/forms of Finance, Marketing & HR/Payroll Modules have been modified as per users/business requirements.

ii) उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक ईआरपी जोनल को-ओर्डिनेटर तथा मध्य क्षेत्र के लिए दो ईआरपी जोनल को-ओर्डिनेटर्स को नामांकित किया गया है जो प्रत्येक क्षेत्र की शाखाओं के ऑपरेशनल इशूज. को देखेंगे । उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के कर्मचारियों को भी शाखाओं से दैनिक आधार पर प्राप्त आपरेशनल इशूज को देखने का कार्य दिया गया है ।

iii) मुख्यालय में शाखाओं में ईआरपी के कार्यान्वयन/ चलाने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए एक ईआरपी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है ।

iv) प्रत्येक शाखा से एक व्यक्ति को नामांकित किया गया है जो ईआरपी के मॉड्यूल के सभी कार्यों के प्रचालन से परिचित हो ताकि वह शाखा के अन्य कर्मचारियों को सहायता प्रदान करें ।

v) ईआरपी की कठिनाईयों के एस्कलेशन मैट्रिक्स ऑफ इश्यू को निम्नानुसार नियत किया गया है:

स्तर एक	शाखाओं के ईआरपी क्षेत्रीय समन्वयक	ईआरपी की कठिनाईयोंके बारे में शाखाएँ पहले संबंधितक्षेत्रीय समन्वयक को रिपोर्ट करें
स्तर दो	मुख्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग	ईआरपी समन्वयक यदि शाखाओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग को रिपोर्टकरें ।
स्तर तीन	मुख्यालय के केपजेमिनी टीम	मुख्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग यदि समस्याओंका समाधाननहीं कर सकते तो समस्याओं केसमाधानके लिए मुख्यालय के केपजेमिनी टीम को रिपोर्टकरें ।

ii) One ERP zonal co-ordinator for North & South Zone and Two ERP Zonal coordinator for Central Zone has been nominated to look after the operational issues of branches of each zone. In addition to above IT Section employees at HO has also been assigned to look after the operational issues being received on daily basis from branches.

iii) One ERP Help Desk has been setup at Head Office for help in case of any difficulty in implementation/running of ERP at branches.

iv) One person from each Branch has been nominated who are conversant with the operation of all the functional module of ERP so that first level help to other employees of the Branch may be provided by him.

v) The escalation matrix of issue resolution of ERP issues are fixed under:

Level One	ERP Zonal Coordinator	BOs should report ERP issues at BOs first with respective Zonal ERP coordinators
Level Two	IT Section at HO	ERP Coordinator, who is unable to resolve the BOs issue would report the issue to IT Section at HO for resolution
Level Three	Capgemini Team at HO	IT Section at HO, if unable to resolve the issue would report the issue to Capgemini Team at HO for resolution

vi) मुख्यालय में ईआरपी के वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 हेतु वित्तीय डाटा के समाधान के लिए लेखा को अंतिम रूप देने के लिए एक समर्पित टीम स्थापित की गई है ।

18.2 वेबसाईटः

i) हमारे वेबसाईट का उच्चीकरण, वृद्धि और री-डिजाईनिंग का कार्य पूरा हो गया है । नया वेब-साईट हिंदी में भी उपलब्ध है जहाँ अंग्रेजी में दी हुई सूचना हिंदी में भी उपलब्ध है । आगे गतिशील मदों को भी हिंदी में उपलब्ध करवाया गया है जो आरंभ में नहीं थे ।

ii) मुख्यालय और शाखा कार्यालय द्वारा जारी निविदा और नीलामी के ब्यौरे हमारी वेबसाईट www.cotcorp.gov.in पर और सरकारी निविदा पोर्टल www.tenders.gov.in और www.eprocure.gov.in पर प्रदर्शित किये जा रहे है और उसके लिए आवश्यक प्राधिकारण शाखाओं को दिया गया है ।

18.3 ई-मेल पत्र व्यावहारः

मुख्यालय और शाखा कार्यालयों का ई-मेल पता सिंगल डोमेन यानि @cotcorp.com दिया गया है, जो सिंगल सर्वर पर प्रदर्शित है । आगे मुख्यालय के अधिकारियों और शाखा प्रधानों, वित्त प्रधान और सर्तकता अधिकारियों को वैयक्तिक ई-मेल आयडी दिया गया है, ताकि वे निगम के अंदर सहजता से पत्र व्यवहार कर सके ।

18.4 हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर उच्चीकरणः

जहां कही आवश्यक था मुख्यालय और शाखा कार्यालयों में वर्तमान हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर का उच्चीकरण किया गया है और नया हार्डवेअर भी स्थापित किया गया है।

18.5 सीईआरटी-ईन मार्गदर्शनः

सीईआरटी-ईन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन का निगम में सूचना प्रौद्योगिकी डाटा सिक्यूरीटी, वाईरस अलर्ट, सुरक्षा उपायों और सावधानियों के बारे में अनुपालन किया जाता है ।

vi) A dedicated Accounts Finalisation Team has been formed at HO for reconciliation of Finance Data for FY 2011-2012 and 2012-13 in ERP.

18.2 WEBSITE:

i) The upgradation, enhancement and redesigning our website is complete. The new website is also available in Hindi, where all the items listed in English website is available in Hindi. Further, the dynamic moving items are also made available in Hindi, which is not implemented initially.

ii) The details of tenders and auctions floated by Branches are being published on our website www.cotcorp.gov.in and on Government Tenders portal www.tenders.gov.in & www.eprocure.gov.in by HO and respective BOs on their own, the necessary authorization for the same is provided to each BOs.

18.3 EMAIL COMMUNICATION:

The email addresses to HO and Branches have been provided with Single domain i.e.@cotcorp.com which is hosted on a single server. Further, the officers at HO and Branch Heads, Finance Head and Vigilance Officers at BOs have been provided with individual emails IDs to ease and make the communication faster within the Corporation.

18.4 HARDWARE & SOFTWARE UPGRADATION

Wherever found necessary, the upgradation of the existing hardware and software and installation of new hardware has been completed at H.O. and Branches.

18.5 CERT-IN GUIDELINES:

The guidelines received from Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IT/ Data Security, Virus Alerts, related security measures and precautions etc. are being implemented in the Corporation from time to time.

18.6 आईपीवी6 अनुपालनः

आईपीवी6 के बारे में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन का निगम में अनुपालन किया जाता है । आगे, निगम ने आईपीवी6 शिकायत हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर भी खरीदना आरंभ किया गया है ।

19. निगमित शासन :

आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्वीय मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

20. निदेशक मंडल :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री सी.एस.तेवतिया, निदेशक (विपणन) दि.31.08.2012 को अधिवर्षिता प्राप्त करने के कारण निदेशक मंडल में नही रहे और उनके स्थान पर श्री एम.एम.चोक्कलिंगम को निदेशक (विपणन) के रूप नियुक्त किया गया है ।

21. मंडल की बैठकें :

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए मंडल की 7 बैठकें 19 मई, 2012, 11 जून, 2012, 10 जुलाई, 2012, 25 जुलाई, 2012, 15 अक्तूबर, 2012, 31 दिसंबर, 2012, तथा 25 मार्च, 2013 को हुई ।

22. निदेशकों के दायित्वों की विवरणी :

कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में निदेशकों के दायित्वों की एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं ।

22.1 यह कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, माल की सुपुर्दगी से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू मानकों और कंपनीज अधिनियम 1956 की अनुसूची VI का अनुपालन किया गया है ।

18.6 IPv6 COMPLIANCE:

The guidelines received from Ministry of Textiles, Government of India and Department of Information Technology/ Department of Telecommunication, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IPv6 are being implemented in the Corporation. Further, the Corporation has started procuring only IPv6 complaint hardware and software in the Corporation.

19. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

20. BOARD OF DIRECTORS:

During the year, under review Shri C.S. Teotia, Director (Marketing), who superannuated on 31.8.2012 ceased to be Director on the Board and Shri M.M. Chockalingam was appointed as Director (Marketing) in his place.

21. BOARD MEETINGS:

During the year ended 31st March 2013, 7 Board meetings were held on 19th May 2012, 11th June 2012, 10th July 2012, 25th July 2012, 15th October 2012, 31st December 2012 and 25th March, 2013.

22. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to the requirement under Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors' Responsibilities Statement, it is hereby confirmed.

22.1. That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March,2013 the applicable accounting standards and Revised Schedule VI of the Companies Act, 1956 had been followed along with proper explanation relating to material departures;

22.2 यह कि निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है और उसे कड़ाई से लागू किया है तथा ऐसे औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य - व्यवहार का तथा आलोच्य वर्ष के लाभ -हानि खाते का सही चित्रण देते हैं ।

22.3 यह कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पकडने और रोकने के लिए कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त एवं उचित सावधानी बरती है ।

22.4 यह कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों को निदेशकों ने "गोइंग कन्सर्न" के आधार पर तैयार किया है ।

23. लेखा परीक्षा समिति :

23.1 आपके निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के अनुपालन में तथा निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति की शर्तों के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की ।

23.2 आपके निगम की लेखा परीक्षा समिति में 3 निदेशक शामिल हैं यानि श्री वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लिमिटेड और श्री के. रामचंद्रन पिल्लै जिन्हें निगम के निदेशक मंडल द्वारा नामित किया गया था।

24. सांविधिक लेखा परीक्षकः

वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स चौक्सी एंड चौक्सी, सनदी लेखापाल तथा मेसर्स प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखापाल को नियुक्त किया गया । वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निदेशक रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट में दिया गया है । कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट के परिशिष्ट में दी गई है ।

22.2. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the year under review;

22.3. That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities

22.4 That the directors had prepared the accounts for the financial year ended 31st March, 2013 on a “going concern” basis.

23. AUDIT COMMITTEE:

23.1 During the year under review your Corporation held two meetings of Audit Committee in compliance with Section 292A of Companies Act, 1956 and Terms of reference of the Audit Committee given by the Board of Directors.

23.2 The Composition of Audit Committee of your Corporation during the year comprise of three Directors viz. Shri V. Srinivas, Joint Secretary, Ministry of Textiles, Shri B.K. Mishra, Chairman cum Managing Director, Cotton Corporation of India Ltd., and Shri K. Ramachandran Pillai who were nominated by the Board of Directors of your Corporation.

24. STATUTORY AUDITORS:

M/s. Chokshi & Chokshi, Chartered Accountants and M/s. Prem Gupta & Co., Chartered Accountants were appointed as Joint Statutory Auditors of the Company for the year 2012-2013. Management’s Reply on the Auditors Report of Company for the year 2012-2013 is annexed to the Directors Report. The comments on the accounts for the year ended 31st March 2013 by the Comptroller & Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956 are given in the addendum to this Auditors Report..

25. लागत लेखा परीक्षकः

निगमित कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दि. 3.6.2011 द्वारा यह अनिवार्य किया है कि लागत रिकार्डों का रखरखाव, अनुपालन रिपोर्ट तथा लागत लेखा परीक्षा लागत लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित करवाकर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व उसे निदेशक मंडल से अनुमोदन करवाया जाये । इसीलिए आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए मेसर्स राकेश मिश्र एंड कंपनी को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है । लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के अधीन है तथा इसे निगमित कार्य मंत्रालय को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा ।

26. वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन :

26.1 वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ वास्तविक परिणाम के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने "अच्छा" श्रेणी प्रदान की है ।

26.2 आपके निगम तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए समझौता ज्ञापन पर 26 मार्च, 2013 को हस्ताक्षर किए गए ।

27. कर्मचारियों के ब्यौरेः

कंपनी के किसी कर्मचारी को कंपनीज़ अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित (कर्मचारियों का ब्यौरा) कंपनीज़ नियमावली 1975 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है ।

28. आभार :

28.1 आपके निदेशकगण माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी हैं । माननीय राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के प्रति भी आभारी हैं । आपके निदेशक सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और उनके अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, जिसके अभाव में आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की सफलता बनाये रखने में सफल नहीं हो पाता ।

28.2 आपके निदेशकगण बैंक ऑफ बड़ौदा और संकाय के अन्य सदस्य बैंकों द्वारा निगम को समय पर दिए गए

25. COST AUDITOR:

The Ministry of Corporate Affairs vide Notification dated 3.6.2011 has mandated that the maintenance of Cost records, compliance report and cost audit duly certified by a Cost Accountant and the same shall be approved by Board of Directors before submitting the same to Central Govt. Therefore, your Corporation appointed M/s Rakesh Mishra & Co., as Cost Auditor for the Financial Year 2012-13. The report of the Cost Auditors is under finalization and will be submitted to the Ministry of Corporate Affairs within the prescribed period.

26. MOU WITH THE MINISTRY OF TEXTILES:

26.1. The achievement based on actual results vis-à-vis targets for the year 2011-12 had been rated "Good" by Department of Public Enterprises.

26.2. The Memorandum of Understanding between your Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2013-14 was signed on 26th March 2013.

27. PARTICULARS OF EMPLOYEES:

There was no employee of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

28. ACKNOWLEDGEMENT:

28.1 The Directors wish to place on record their grateful thanks for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India. Thanks are also placed on record to Hon'ble Minister of State for Textiles, Govt. of India. The Directors also wish to thank the Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Textile Commissioner and his officials, but for which, to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to working of the Corporation, would not have been possible in the year under review.

28.2. Thanks are also due to Bank of Baroda and other member banks of the Consortium for

उनके सहयोग तथा मदद के प्रति आभारी हैं । आगे आपके निदेशकगण प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा मंडल - IV और उनके कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान निगम को दिए गए उनके सहयोग के प्रति आभारी हैं ।

28.3 समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स चौकसी एंड चौकसी कंपनी सनदी लेखापाल, मुंबई और मैसर्स प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपके निदेशक आभारी हैं तथा हम लागत लेखा परीक्षक मेसर्स राकेश मिश्र एवं कंपनी, लागत लेखापाल, कानपुर के मूल्यवान सहयोग के लिए भी आभारी हैं ।

28.4 आपके निदेशक नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन और उनकी सहायिकाओं, राज्य वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलें तथा विभिन्न निजी मिलों के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष, 2012-13 के दौरान अपनी आवश्यकता की अधिकांश कपास, निगम से खरीदी और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी गई सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा हैं। कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य भंडार निगम और केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी हम आभारी हैं ।

28.5 आपके निदेशक निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भी आभारी हैं, जिन्होंने सभी स्तरों पर अपना सहयोग, सघन प्रयत्न और कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखी ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(बी.के. मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 11.10.2013

extending timely help and support to the Corporation. The Directors further desire to place on record their sincere thanks to the Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member Audit Board–IV for their co-operation.

28.3. Your Directors gratefully acknowledge valuable suggestions and guidance given by the Statutory Auditors M/s Chokshi & Chokshi Co. Chartered Accountants, Mumbai and M/s Prem Gupta & Co. Chartered Accountants, New Delhi during the course of their audit of the accounts of the Corporation for the year under review and we are also thankful to the Cost Auditor M/s. Rakesh Misra & Co.,Cost Accountant, Kanpur for their valuable support .

28.4. Our grateful thanks are also due to the National Textile Corporation and its subsidiaries, the State Textile Corporations, Co-operative Spinning Mills and various Private Sector Mills who covered their cotton requirements from your Corporation during 2012-13 thus placing their faith in the quality, price competitiveness and service being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India, SWCs, CWC for the co-operation extended by these organization to the Corporation.

28.5. Your Directors thank all the Officers and staff of the Corporation for their co-operation, concerted efforts and dedication at all levels.

For and on behalf of the Board of Directors.

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 11.10.2013

वर्ष 2012 -13 के लिए निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट
ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2012-13

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का उत्तर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणी

2. *कंपनी द्वारा "आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियों" पर इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक 29 (एएस.29) का अनुपालन नहीं किया गया है । जैसा कि नीचे पैरा 4(ख) में दर्शाया गया है:*

कंपनी ने पंजाब संरचना विकास तथा विनियमन अधिनियम 2002 (संशोधित) के अंतर्गत कपास खरीद के उपकर पर 2123.37 लाख रूपये के ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है । इसके परिणामस्वरूप 715.04 लाख रूपये की लाभों का अंडर स्टेटमेंट और वर्तमान देयताओं (नोट 7) के 2123.37लाख रूपये का अंडरस्टेटमेंट तथा आरक्षित और अधिशेष में 1408.33 लाख रूपये का ओवर स्टेटमेंट हुआ है । (लेखा के नोट सं. 26.1 (iv) से नोट 26 देखें) ।

प्रबंधन का उत्तर :

पंजाब राज्य ने दिनांक 11.7.2002 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक डीलर को कृषि उत्पाद की खरीद पर, जिसमें कपास भी शामिल है, 1% उपकर देना बाध्यकर होगा । इसे पंजाब संरचना विकास अधिनियम, 1998 तथा पंजाब संरचना विकास उपकर (कलेक्शन नियम) 1998 द्वारा अधिनियमित किया गया है । यह दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी हो गया है । इस उपकर को दिनांक 1.4.2008 से 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है । इसे पंजाब तथा हरियाणा, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में निगम द्वारा सिविल रिट पिटिशन-3713-2008 कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब तथा अन्य द्वारा चुनौती दी गई है । पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने सीडब्ल्यूपी 6676 /1999 फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब तथा अन्य के मामले में अपने दिनांक 22.6.2009 के निर्णय द्वारा इसका निपटान करते हुए, यह कहा है कि यह जजमेंट इस बैच से संबंधित सभी 112 रिट पिटिशन्स, जिसमें निगम भी शामिल है, को डिसपोज किया जाता है ।

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के निर्णय के विरूद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी दायर किया गया है, जो अंतिम निर्णयन के लिए लंबित है ।

Reply to comments of Joint Statutory Auditors:

Comment of the Auditors:

2. *The Company has not complied with the requirements of Mandatory Accounting Standard 29 (AS-29) issued by the Institute of Chartered Accountants of India on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets."*

The Company has not provided for interest towards cess on purchase of cotton under Punjab Infrastructure Development and Regulation Act, 2002 (Amended) amounting to Rs.2123.37 lakhs. This has resulted into understatement of losses by Rs. 715.04 lakhs and understatement of Other Current liabilities (Note 7) by Rs. 2123.37 lakhs and overstatement of Reserves and Surplus (Note 2) by Rs. 1408.33 Lacs (Also refer Note No.26.1(iv) to the Note 26)

Reply of the Management:

Punjab State issued Notification dated 11.7.2002 vide which it was provided that every Dealer shall be liable to pay infrastructure cess @1% on purchase of agricultural produce including cotton. It was enacted vide Punjab Infrastructure Development Act, 1998 and the Punjab Infrastructure Development Cess (Collection Rules), 1998. It was effective from 1.4.2005. The cess was increased from 1% to 2% with effect from 1.4.2008. It was challenged in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh by the Corporation in Civil Writ Petition – 3713-2008 titled Cotton Corporation of India Vs. State of Punjab & Others. The High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh, vide decision dated 22.6.2009 disposed off CWP 6676 of 1999 titled Food Corporation of India Vs. State of Punjab and another stating that this judgment shall also dispose of the connected batch of 112 writ petitions including that of the Corporation.

Against the judgment of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, SLP has been filed in the Hon'ble Supreme Court of India which is pending for final adjudication.

पंजाब संरचना उपकर से संबंधित 4034.35 लाख रूपये का बही खातों में प्रावधान किया गया है । ब्याज की राशि 2838.67 लाख रूपये बनती है, जिसमें 2451.78 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य परिचालन से और 386.89 लाख रूपये वाणिज्यिक कार्य परिचालन से संबंधित है, जिसका प्रावधान आकस्मिक देयताओं में नोट-26, पैरा सं.26 में लेखा का भाग बनाने वाले नोट्स के अधीन पैरा 26(v) का प्रावधान नहीं किया गया है । न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन पर ब्याज की, यदि कोई वसूली योग्य होगा, तो उसकी प्रतिपूर्ति, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हानियों के भाग के रुप में की जायेगी ।

6 जनवरी 2011 को हुई लेखा परीक्षा बैठक में संयुक्त लेखा परीक्षकों की सलाह के अनुसार यह मामला उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भेजा गया था, जिसमें उनकी भी राय है कि ब्याज अपने स्वरूप में आकस्मिक है और निगम ने उसका आकस्मिक देयता में प्रावधान सही रुप में किया है । ब्याज की देयता पीआईडीआरए अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधानों के रूप में उपार्जित नहीं होगी, जिसके अनुसार पंजाब वैट अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार किया गया है, जो ब्याज के भुगतान का प्रावधान बिल्कूल नहीं करते हैं । आगे ब्याज के शुल्क के लिए प्रावधान किए गए अधिनियम के अधीन कोई स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में, पंजाब वैट अधिनियम के प्रावधान लगाते हुए कर अधिनियम के अधीन ब्याज की राशि वसूल नही की जा सकती है । इस मामले में 106-एसटीसी-460 में रिपोर्ट किए गए इंडिया कार्बन लि. बनाम असम राज्य (1997) मामले में मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर रहा जा सकता है ।

मामला 25 जुलाई 2012 को हुई लेखा परीक्षा समिति के मंडल की 22वीं बैठक के सामने रखा गया और समिति की भी यही राय थी कि इसी प्रकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उदाहरण को देखते हुए, ब्याज का बही खातों में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। निदेशक मंडल ने भी पंजाब संरचना कर के ब्याज के गैर-प्रावधान पर लेखा परीक्षा समिति की स्फिारिशों को स्वीकार किया है ।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

(बी.के. मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 11.10.2013

Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.4034.35 lakhs has been provided in the Books of Accounts. The amount of interest which works out to Rs. 2838.67 lakhs comprising of Rs.2451.78 lakhs pertaining to MSP operations and Rs. 386.89 lakhs of CP operations have not been provided in the Books but shown as Contingent Liability, in the Note – 26 Notes forming part of accounts under Para No. 26.1(v). Interest if any leviable on MSP operations would be reimbursable by Govt. of India as part of MSP losses

As advised by the Joint Statutory Auditors in the Audit Committee Meeting held on 06th January 2011, the matter was referred to two Senior Advocates of High Court, wherein, they also opined that the interest on the Cess amount is contingent in nature and the Corporation has correctly provided for the same in the contingent liability. The liability for the interest may not accrue as provisions of section 25(3) of the PIDRA Act, according to which the provisions of the Punjab VAT Act have been extended, do not provide for the payment of interest at all. Further, there is no independent provision under the act provided for the levy of interest and in the absence of the same, the amount of interest cannot be recovered under the Cess Act by applying provisions of the Punjab VAT Act. Reliance in this regard is placed upon the Judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of India Carbon Ltd. vs State of Assam reported in (1997) 106-STC460.

The matter was placed before the Audit Committee of Board in its 22nd meeting held on 25th July 2012 and committee was also of the opinion that in view of precedent of Supreme Court judgment in another similar type of case, interest need not to be provided in the books of accounts. The Board of Directors has also accepted the recommendations of Audit Committee's on non provision of interest on Punjab Infrastructure Cess.

For and on behalf of the Board of Directors.

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 11.10.2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
INDEPANDENT AUDITOR'S REPORT

सदस्य
भारतीय कपास निगम लि.
नवी मुंबई

1. *वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट:*

हमने भारतीय कपास निगम लिमिटेड (दि कंपनी), नवी मुंबई की 31 मार्च, 2013 को संलग्न वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च 2013 का तुलन पत्र, लाभ तथा हानि खाते की विवरणी तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना आदि शामिल है, की लेखा परीक्षा की है ।

2. *वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी प्रबंधन की :*

कंपनी अधिनियम 1956("दि एक्ट") की धारा 211 की उपधारा (3सी) के संदर्भ में वित्तीय विवरणियों को तैयार करना, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और उपयुक्त सूचना देने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है । इस जिम्मेदारी में डिजाईन, अनुपालन तथा वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति तथा आंतरिक नियंत्रण पद्धति का रखरखाव तथा उसका अनुपालन भी शामिल है ताकि वित्तीय विवरणियाँ छलकपट या त्रुटि के कारण मेटीरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त हो ।

3. *लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी*

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है । हमने 'इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेन्टस् ऑफ इंडिया 'द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसरण में लेखा परीक्षा की है । इन मानकों के अपेक्षानुसार हम इस प्रकार से योजना बनाते है और लेखा परीक्षा करते है कि क्या वित्तीय विवरणियाँ नीतिपरक तथा मेटीरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त है ।

लेखा परीक्षा की जाँच, परीक्षा के आधार पर राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणियों में उसकी अभिव्यक्ति शामिल है । चयनित पद्धति में,

The Members
The Cotton Corporation of India Limited
Navi Mumbai.

1. *Report on the Financial Statements*

We have audited the accompanying financial statements of The Cotton Corporation of India Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

2. *Management's Responsibility for the Financial Statements*

The Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. *Auditor's Responsibility*

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's

लेखा परीक्षकों का निर्णयों में वित्तीय विवरणियों मेटीरियल मिस-स्टेटमेंटों के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है । उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा तैयार किये गये संबंधित आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर तथा उचित वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उचित लेखा पद्धति का डिजाईन तैयार करने पर विचार करता है । लेखा परीक्षा में उपयोग में लाये गये उचित लेखा नीति और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण आकलन के साथ-साथ समर्ग वित्तीय विवरणी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है ।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के समर्थन में, हमने पर्याप्त और हमारे विचारों को उचित आधार देती है ।

4. *अर्हक राय का आधार*

(क) कंपनी ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेन्टस् ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए अनिवार्य लेखा मानदंड 29(एएस-29) की आवश्यकताओं का अनुपालन "प्रावधानों, समाहित दायित्व और समाहित संपत्ति पर नहीं किया है, जो निम्न पैरा 4(ख) में दिया गया है ।

(ख) कंपनी ने पंजाब संरचना विकास और विनियम अधिनियम 2002(संशोधित) के अंतर्गत कपास की खरीद पर, कर और ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया है, जो 2838.67 लाख रूपये की राशि है । इसके फलस्वरूप 715.30 लाख रूपये की ओवर स्टेटमेंट का लाभ होता है और 2838.67 लाख रूपये की राशि द्वारा वर्तमान देयताओं (नोट 7) की ओवर स्टेटमेंट आती है तथा 2838.67 लाख रूपये की राशि द्वारा आरक्षित और अधिशेष (नोट 2) की ओवर स्टेटमेंट आती है । लेखा का नोट 26 (V) देखें ।

5. *अर्हक राय :*

हमारे राय में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अर्हक पैरा राय में दिए गए आधार को छोडकर उपर्युक्त वित्तीय विवरणियाँ, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी देते

judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

4. *Basis for Qualified Opinion*

(a) The Company has not complied with the requirements of Mandatory Accounting Standard 29 (AS-29) issued by the Institute of Chartered Accountants of India on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets." as mentioned in para 4(b) below.

(b) The Company has not provided for interest towards cess on purchase of cotton under Punjab Infrastructure Development and regulation Act, 2002(Amended) amounting to Rs. 2838.67 lakhs. This has resulted into over statement of profits by Rs. 715.30 lakhs and understatement of Other Current liabilities (Note 7) by Rs. 2838.67 lakhs and overstatement of Reserves and Surplus (Note 2) by Rs. 2838.67 lakhs (Also refer Note No. 26 (v))

5. *Qualified Opinion*

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, *except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph,* the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair

है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही और उपयुक्त चित्र देते हैं ।

(क) 31 मार्च, 2013 को निगम के काम-काज की स्थिति के तुलन-पत्र के मामले में,

(ख) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ एवं हानि के खाता विवरणी के मामले में लाभ, तथा

(ग) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी के नकदी प्रवाह मामले में ।

6. *मामले का महत्वः*

हमारे अभिमत पर विचार किये बिना, वित्तीय विवरणी के नोट 28 की ओर ध्यान आकर्षित करते है जो बफर स्टॉक परिचालन का 3173.08 लाख रूपये कंपनी द्वारा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के पास किये गये दावे के बारे में है, इस दावे की प्राप्ति, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पूर्णतः अनुपालन और अनुमोदन पर निर्भर है ।

7. *विधिक तथा विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट*

7.1 कंपनीज. अधिनियम (लेखा परीक्षक रिपोर्ट / आदेश) 2003 के आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम 227 के उप नियम (4ए) के अनुसार, हम आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक विवरणी में दे रहे है ।

7.2 अधिनियम की धारा 227(3) की आवश्यकतानुसार हम निम्न रिपोर्ट करते हैं:-

(क) हमने अपनी लेखा परीक्षा के उेश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये है, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है ,

(ख) हमारे विचार में निगम ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित बहियाँ रखी है, जो हमारे द्वारा परीक्षित बहियों से ज्ञात होता है ,

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी कंपनी के लेखा बहियों के साथ मेल खाते है ,

(घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी "अर्हक अभिमत के आधार

view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2013;

(b) In the case of the Statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and

(c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

6. *Emphasis of Matter*

Without qualifying our opinion, attention is invited to Note 28 to the financial statements regarding buffer stock operations claim of Rs. 3173.08 lakhs made by the company with the Ministry of Textiles, Government of India. The receipt of the said claim is dependent on full compliance and approval of Government of India.

7. *Report on Other Legal and Regulatory Requirements*

7.1 As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.

7.2 As required by section 227(3) of the Act, we report that:

(a) We have obtained all the information andexplanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

(c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts;

(d) *Except for the effects of the matter described in para 4 above, "Basis for*

पर" उपर्युक्त पैरा 4 में दिए गए मामले के प्रभाव को छोड़कर कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानक का अनुपालन करते हैं ।

(इ) वित्त मंत्रालय (कंपनी कार्य-कलाप विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः जी.एस.आर.829(ई) दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 को देखते हुए कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

Qualified Opinion", in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in subsection (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 and;

(e) The provisions of Section 274(1) (g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Company in view of Notification No.G.S.R. 829(E) dated 21st October 2003, issued by the Ministry of Finance (Department of Company Affairs).

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं 000425N)
हस्ता/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता क्र. 80245

दिनांक : 11-10-2013
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली

For PREM GUPTA & CO.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000425N)
Sd/-
(Prem Behari Gupta)
Partner
M. No. 80245

Date: 11-10-2013
Place of Signature: New Delhi

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं 101872W)
हस्ता/-
(कनु चौक्सी)
भागीदार
सदस्यता क्र. 17085

दिनांक : 11-10-2013
हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई

For CHOKSHI & CHOKSHI
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 101872W)
Sd/-
(Kanu Chokshi)
Partner
M. No. 17085

Date: 11-10-2013
Place of Signature: Mumbai

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम के समसंख्यक रिपोर्ट की धारा ' अन्य विधि तथा नियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत पैरा 1 में संदर्भित)

1. (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक विवरण के साथ पूरे ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है ।

(ख) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंध व्यवस्था ने वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया था । इस प्रकार के सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति नहीं पायी गयी है ।

(ग) हमारी राय और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी उल्लेखनीय भाग का निपटान नहीं किया गया ।

2. (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्ष के अंत में स्वतंत्र सत्यापक द्वारा मालसूची का उचित अंतराल पर वास्तविक सत्यापन किया गया है । हमारी राय में, मालसूची की मात्रा को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है ।

(ख) प्रबंधन व्यवस्था द्वारा मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अपनायी गयी कार्यविधि कंपनी के आकार तथा इसके कार्य-कलाप के स्वरूप के अनुसार उचित तथा पर्याप्त है ।

(ग) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कंपनी मालसूची का उचित रिकार्ड रख रही है । जहां तक मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पायी गयी विसंगतियों का संबंध है, हमें यह जनकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है कि कंपनी के परिचालन से संबंधित कोई विसंगतियाँ नहीं पायी गयी थी और उन्हें बही लेखों में उचित रूप से किया गया है ।

3. कंपनी ने कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में निहित के अनुसार कंपनियों, फर्मस् या अन्य पार्टियों को/से किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण न तो प्रदान किया है और न ही लिया है । तद्नुसार, आदेश का खंड (iii) (क) से (iii) (छ) कंपनी पर लागू नहीं है ।

ANNEXURE TO AUDITOR'S REPORT

(Referred to in Paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date of Cotton Corporation of India for the year ended 31st March 2013)

1. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) As explained to us, the management has carried out physical verification of fixed assets at the year end. No material discrepancies were noticed on such verification.

(c) In our opinion and according to the information and explanation given to us, a substantial part of fixed assets has not been disposed off by the Company during the year.

2. (a) As explained to us, the inventories have been physically verified by the Independent Stock Verifiers at the year end. In our opinion, having regard to the volume of the inventories, the frequency of verification is reasonable.

(b) The procedure of physical verification of inventory followed by the management is reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

(c) As explained to us and in our opinion the Company is maintaining proper records of inventory. So far as the discrepancies noticed during the course of physical verification of inventories are concerned it has been informed and explained to us that the discrepancies were not material in relation to the operation of the Company and the same have been properly dealt with in the books of accounts.

3. The Company has not granted or taken any loans, secured or unsecured to/from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly clauses (iii) (a) to (iii) (g) of the Order are not applicable to the Company.

4. *हमारी राय तथा हमें दी गई जनकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद और माल बिक्री के संबंध में आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियों को तथा सेवाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है । आगे, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऐसी कोई बात न तो ध्यान में आयी है और न ही सूचित की गई है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमजोरी बताती हो ।*

5. हमारी राय तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ है जिसे कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि की आवश्यकता हो । तद्नुसार आदेश के पैरा (v) (ख) कंपनी पर लागू नहीं है ।

6. कपनी ने अधिनियम की धारा 58ए तथा 58एए या अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

7. *हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखा पद्धति को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वह कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय स्वरूप के अनुरूप हो, विशेषतः आंतरिक लेखा परीक्षा स्टाफ ईआरपी लेखा पद्धति पर लेखा परीक्षा करने के लिए इतना प्रशिक्षित नहीं है तथा अन्य कार्यालयीन कार्य में काफी व्यस्त है जिसके फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।*

8. हमने कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनीज. (लागत लेखाविधि रिकार्ड) नियमावली 2011 के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारी राय में निर्धारित रिकार्ड प्रथम दृष्टिया अनुरक्षित किया गया है । तथापि हमने लागत रिकार्ड का विस्तृत परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए नहीं किया है कि क्या वे सही या पूर्ण है ।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड के आधार पर हमारी राय में कंपनी भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, कार्यसंविदा कर, शुल्क तथा अन्य प्रमुख सांविधिक देय राशि, अविवादित सांविधिक देय

4. *In our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control procedures with regard to the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services needs to be further strengthened. Further during the course of our audit, we have neither come across nor informed of any major weakness in the internal controls.*

5. In our opinion, and accordingly to the information and explanations given to us, there is no transaction during the year under audit that need to be entered into the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly para (v) (b) of the Order is not applicable to the Company.

6. The Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of Sections 58A and 58AA of the Act or any relevant provisions of the Act.

7. *In our opinion, Internal Audit System of the Company needs to be further strengthened with respect to Independence of Auditors and Scope of Audit, to make it commensurate with the size of the Company and nature of its business, more particularly the internal audit staff is not trained enough to conduct audit on ERP Accounting System and is occupied with other office work resulting into conflict of interest.*

8. We have broadly reviewed the Cost Records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Accounting Record) Rules,2011 prescribed by the Central Government under Section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956 and are of the opinion that *prima facie* the prescribed records has been maintained. We have, however, not made a detailed examination of the Cost Records with a view to determine whether they are accurate or complete.

9. (a) According to the information and explanation given to us and on the basis of the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, Income tax, sales tax, Work contract tax, cess and other

राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास, जैसा कि लागू हो, सामान्यतः नियमित रूप से जमा कर रही है और संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर कोई अविवादित बकाया सांविधिक राशि नहीं है जो देय तारीख से 6 माह से अधिक समय के लिए बकाया हो ।

(ख) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर/वैट/ सेवा कर / आयकर/ संरचना कर के मामलों के खाते पर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार बकायों को विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हैं :-

materials statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities and there are no outstanding undisputed statutory dues as at the last day of the financial year concerned, for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the following are the particulars of dues on account of Sales Tax/VAT/Service Tax/ Income Tax/Infrastructure Cess matters that have not been deposited on account of dispute.

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	देय राशि का प्रकार **Nature of dues**	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) **Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakh)**	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) **Period to which the amount relates (Assess-ment Year)**	किस फोरम पर विवाद लंबित है **Forum where dispute is pending.**
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax	60.29	1996-97	बिक्री कर ट्रिबुनल, विशाखापटनम में अपील Appeal in Sales Tax Tribunal, Visakhapatnam
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	4.06	1980-81. 1981-82 1989-90 & 1992-93	पुनः निर्धारण के लिए अपील दुबारा भटिंडा बिक्री कर कार्यालय भेजी गयी Appeal remanded back for reassessment at Bhatinda Sale Tax Office
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	आरंभिक स्टॉक पर इन्पुट क्रेडिट अस्वीकृत Disallowance of input Credit on opening stock	53.36	2006-07	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के पास अपील Appeal with Rajasthan Tax Board, Ajmer
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत ब्याज की मांग Interest demand under Sales Tax	1.17	2001-02	बिक्री कर अपीलेट ट्रिबुनल विशाखापटनम के पास अपील Appeal with Sales Tax Appellate Tribunal, Vishakapatnam
पंजाब इन्फ्रास्ट्रैक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2002 Punjab Infrastructure (Developoment & Regulation) Act 2002	पंजाब इन्फ्रास्ट्रैक्चर सेस Punjab Infrastructure Cess	4034.35**	2005-06 to 2011-12	सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष छुट्टी याचिका दायर की है . Special Leave Petition filed with Hon'ble Supreme Court.
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	0.88	2008-09	संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर, कोलकाता के पास अपील Appeal with Joint Commissioner of Sales Tax, Kolkata
राज्य और केन्द्र State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग बिक्री कर अधिनियम Demand under Sales Tax	3.97	2005-06	आयुक्त, बिक्री कर, उड़ीसा, कटक के पास अपील Appeal with Commissioner of Sales Tax, Orissa, Cuttack
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales Tax	1.53	2006-07	आयुक्त, बिक्री कर, उड़ीसा, कटक के पास अपील Appeal with Commissioner of Sales Tax, Orissa, Cuttack

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय राशि का प्रकार Nature of dues	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है (रु. लाख में) Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakh)	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) Period to which the amount relates (Assess-ment Year)	किस फोरम पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending.
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत U/s 271(1)(c)	41.97	2003-04	आयकार आयुक्त, मुंबई के पास अपील Appeal with Commissioner of Income Tax, Mumbai
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	धारा 200 ए के अंतर्गत U/s 200A	179.94	2006-07 to 2010-11	आयकार आयुक्त, मुंबई के पास अपील Appeal with Commissioner of Income Tax, Mumbai
राज्य और केन्द्र बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	नियम 44 तथा 45 के अंतर्गत गलत गणना Wrong calculation Under rule 44 and 45	201.95*	1994-95	उप आयुक्त, व्यापार कर, अहमदाबाद के पास अपील Appeal with Dy. Commissioner, Commercial Tax, Ahmedabad
	कुल / Total	**4583.47**		

* यह राशि बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए निगम को देय वापसी राशि के विरूद्ध समायोजित की गयी है ।

* The amount has been adjusted by the sales tax authorities against the refund due to the Corporation for the Assessment Year 1995-96 and 1996-97

** ब्याज को छोड़कर सेस पर कुल राशि 2838.67 लाख रू. है ।

** The amount is exclusive of interest on cess amounting to Rs. 2838.67 lakhs.



10. 31 मार्च, 2013 को कंपनी को कोई संचयी हानि नहीं है । कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है तथापि 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष में 17935 लाख रू. की नकद हानि हुई थी ।
11. हमारे द्वारा कंपनी के जाँच किए गए रिकार्ड और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचर्स को देय राशि की चुकौती में तुलन-पत्र की तारीख तक कोई चूक नहीं की है ।
12. कंपनी ने शेयर्स, डिबेंचर्स तथा अन्य सिक्यूरिटीज को गिरवी रखकर किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया है ।
13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है । अतः आदेश के खंड (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।
14. जैसी सूचना दी गई है, कंपनी शेयर्स में कार्य या व्यापार नहीं कर रही है, सिक्यूरिटीज, डिबेंचर्स तथा अन्य निवेश में डीलिंग या व्यापार नहीं करती है । अतः आदेश के खण्ड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।
15. हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है ।
16. जैसे हमें सूचित किया गया कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई आवधिक ऋण नहीं लिया गया है/उठाया गया है ।
17. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र रूप से जाँच के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि के आधार पर लिए गए ऋणों को प्रत्यक्षतः दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है ।
18. कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी गई पंजियों में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिमानी शेयर्स का आबंटन नहीं किया है ।
19. कंपनी ने कोई डिबेंचर्स जारी नहीं किये हैं । अतः सिक्यूरिटी का सृजन या डिबेंचर्स के संबंध में चार्ज करने का प्रश्न नही उठता है ।

10. As at 31st March 2013, there are no accumulated losses of the Company. The Company has not incurred cash loss during the year ended 31st March 2013, however, there were cash losses in the year ended 31st March 2012 of Rs. 17935 lakhs.
11. According to the records of the company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to any financial institution or banks or debenture holders as at the Balance sheet date.
12. The Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
13. The Company is not a Chit fund or a Nidhi/Mutual Benefit Fund/Society. Therefore, the provisions of clause (xiii) of the Order are not applicable to the Company.
14. As informed, the Company is not dealing or trading in Shares, securities, Debentures and other investments. Therefore, the provisions of clause (xiv) of the Order are not applicable to the Company.
15. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year.
16. As informed to us, No term loans has been taken/raised by the Company during the year.
17. According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company, we report that funds raised on short term basis, have prima facie, not been used for long term investment.
18. The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
19. The Company has not issued any debentures. Therefore, the question of creation of security or charge in respect of debentures does not arise.

20. पब्लिक इश्यू से संबंधित प्रावधान कंपनी के लिए लागू नही है, क्योंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू द्वारा किसी प्रकार की राशि प्राप्त नही की है ।

21. हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी प्रकार की जालसाजी/फ्रॉड, कंपनी पर या द्वारा न सूचित की गयी और न ही रिपोर्ट की गयी है ।

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं 000425N)
हस्ता/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता क्र. 80245

दिनांक : 11-10-2013
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं 101872W)
हस्ता/-
(कनु चौक्सी)
भागीदार
सदस्यता क्र. 17085

दिनांक : 11-10-2013
हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई

20. The provisions relating to Public issue are not applicable to the Company, since the Company has not raised any money by way of public issues during the year.

21. According to the information and explanation given to us, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit.

For PREM GUPTA & CO.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000425N)
Sd/-
(Prem Behari Gupta)
Partner
M. No. 80245

Date: 11-10-2013
Place of Signature: New Delhi

For CHOKSHI & CHOKSHI
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 101872W)
Sd/-
(Kanu Chokshi)
Partner
M. No. 17085

Date: 11-10-2013
Place of Signature: Mumbai

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महानिदेशक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निधारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लि., की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है । कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक, द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो लेखा परीक्षा के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेन्टस् ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित है । यह उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 11 अक्तूबर, 2013 द्वारा यह बताया गया है कि यह कार्य उनके द्वारा किया गया किया गया है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है और इसलिए कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन कोई टिप्पणी नहीं है ।

कृते और नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल - II , नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.11.2013

The preparation of financial statement of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on the independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11th October 2013

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to review the report of the Statutory Auditors` on the accounts of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2013 and as such have no comments to make under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

sd/-
(Naina A. Kumar)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board - II,
New Delhi

Place: New Delhi
Date : 06.11.2013

31 मार्च, 2013 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2013

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	नोट Note	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
(I) ईक्विटी एवं देयताएँ EQUITY AND LIABILITIES			
(1) शेयरधारकों की निधि / Shareholders' Funds			
(क) शेयर पूँजी / (a) Share Capital	1	2500.00	2500.00
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष / (b) Reserve and Surplus	2	17,486.77	14,977.96
(ग) शेयर वारंटस के विरूद्ध प्राप्त धन (c) Money Received against Share Warrants			
(2) आबंटन लम्बित शेयर आवेदन राशि Share Application Money Pending Allotment		-	-
(3)) गैर-चालू देयताएँ Non-current Liabilities			
(क) दीर्घावधिक उधार / (a) Long-Term Borrowings		-	-
(ख) अस्थिगित कर देयताएँ / (b) Deferred tax Liabilities		-	-
(ग) अन्य दीर्घावधिक देयताएँ / (c) Other Long Term liabilities	3	339.72	372.05
(घ) दीर्घावधिक प्रावधान / (d) Long term Provisions	4	2,228.51	2,650.39
(4) वर्तमान दायित्व Current Liabilities			
(क) अल्पावधिक उधार / (a) Short-term borrowings	5	405,199.02	6,575.00
(ख) व्यापारिक देयताएँ / (b) Trade Payables	6	3,554.46	3,366.73
(ग) अन्य वर्तमान देयताएँ / (c) Other current liabilities	7	18,733.96	9,565.96
(घ) अल्पावधिक प्रावधान / (d) Short-term provisions	8	2,392.92	1,679.31
कुल / TOTAL		**452,435.36**	**41,687.40**
(II) परिसंपत्तियाँ ASSETS			
(1) गैर चालू परिसंपत्तियॉ Non-current Assets			
(क) अचल परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) (a) Fixed Assets (Net)	9		
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ / Tangible Assets		5,433.03	5,274.57
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ / Intangible Assets		96.98	191.10
(iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर / Capital Work-in-progress		-	276.09
(iv) विकास अधीनअमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets under Development		-	-
(ख) गैर चालू निवेश (b) Non-Current Investments	10	0.01	0.01
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) (c) Deferred Tax Assets (Net)	11	1,675.45	1,671.77

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	नोट Note	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम (d) Long-term Loans and Advances	12	950.85	913.61
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियॉ (e) Other Non-Current Assets	13	188.00	190.48
(2) वर्तमान परिसंपत्तियॉ Current Assets			
(क) वर्तमान निवेश / (a) Current Investments		-	-
(ख) माल सूचियाँ / (b) Inventories	14	408,926.42	21,813.54
(ग) व्यापार प्राप्य / (c) Trade Receivables	15	5,472.65	7,269.17
(घ) नकद और नकद समकक्ष (d) Cash and cash equivalents	16	1,161.40	367.73
(च) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम (e) Short-term Loans and Advances	17	2,542.39	2,443.57
(छ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (f) Other Current Assets	18	25,988.18	1,275.76
कुल / TOTAL		**452435.36**	**41687.40**

1 से 41 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 41, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	(प्रदीप कुमार अग्रवाल)	(एम. एम. चोक्कलिंगम)	(मोहम्मद ज़फर रिजवानी)
(B. K. Mishra)	(Pradeep Kumar Agarwal)	(M. M. Chockalingam)	(Mohd. Zaffar Rizwani)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	कंपनी सचिव
Chairman-cum-Managing Director	Director (Finance)	Director (Marketing)	Company Secretary

दिनांक : 11-10-2013 Date : 11-10-2013
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 11-10-2013
Date : 11-10-2013

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
Place of Signature : Mumbai

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

दिनांक : 11-10-2013
Date : 11-10-2013

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की लाभ और हानि विवरणी
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	नोट Note	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012
I. परिचालनों से राजस्व Revenue from Operations	19	200720.59	176560.52
II. अन्य आय Other income	20	2721.46	3621.90
III. कुल राजस्व (I+II) Total Revenue (I+II)		**203442.05**	**180182.42**
IV. व्यय Expenses			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत			
(a) Cost of Material Consumed			
- कच्चा माल / Raw Material		529641.57	44242.62
- पैकिंग माल / Packing Materials		837.65	122.20
- तारपोलीन / Tarpulins		270.94	504.88
(ख) व्यापार के माल की खरीद			
(b) Purchase of Stock In Trade		229.14	21.45
(ग) तैयार माल, व्यापारिक स्टॉक तथा प्रक्रियागत स्टॉक की माल सूचियों में परिवर्तन			
(c) Changes in Inventories of Finished Goods, W.I.P. , Stock In Trade	21	(382946.19)	135865.74
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय			
(d) Employee Benefit Expenses	22	6205.74	7780.08
(च) वित्त लागत			
(e) Finance Cost	23	10982.99	5823.20
(छ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय			
(f) Depreciation and Amortization Expenses		352.75	343.12
(ज) अन्य व्यय			
(g) Other Expenses	24	33847.51	3928.47
कुल व्यय / Total Expenses		**199422.10**	**198631.76**
V. अपवादत्मक और असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि) तथा कर (III-IV) Profit/ (Loss) before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		4019.95	(18449.34)
VI. अपवादत्मक मदें Exceptional items		0	0
VII. अपवादत्मक मदों से पहले लाभ/(हानि) और कर (V-VI) Profit/(Loss) before Extraordinary items and Tax (V-VI)		4019.95	(18449.34)
VIII.असाधारण मदें Extraordinary Itmes		0	0

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	नोट Note	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012
IX. कर से पहले लाभ Profit Before Tax		4019.95	(18449.34)
X. कर व्यय Tax Expenses			
(क) वर्तमान कर / (a) Current Tax		750.00	0.00
(ख) आस्थगित कर / (b) Deferred Tax		(3.68)	(288.49)
(ग) पुनरांकन खाते के कर के लिए अधिक प्रावधान (c) Excess Provision For Taxation Written Back		3.58	(171.57)
XI. कर के बाद लाभ/(हानि) (IX-X) Profit/(Loss) after Tax (IX-X)		3270.05	(17989.28)
100% प्रति के अंकितमूल्य की प्रति ईक्विटी शेयर आय/(हानि) Earnings/(Loss) per equity share of face value of Rs. 100 each			
मूलभूत और तनुकृत Basic and Diluted		130.80	(719.57)

1 से 41 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 41, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (बी. के. मिश्र) (B. K. Mishra) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	Sd/- (प्रदीप कुमार अग्रवाल) (Pradeep Kumar Agarwal) निदेशक (वित्त) Director (Finance)	Sd/- (एम. एम. चोक्कलिंगम) (M. M. Chockalingam) निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	Sd/- (मोहम्मद ज़फर रिजवानी) (Mohd. Zaffar Rizwani) कंपनी सचिव Company Secretary

दिनांक : 11-10-2013 Date : 11-10-2013
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 11-10-2013
Date : 11-10-2013

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
Place of Signature : Mumbai

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

दिनांक : 11-10-2013
Date : 11-10-2013

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(A) Cash Flow from Operating Activities		
कराधान के पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें Net Profit Before Taxation and extraordinary items	4,019.95	(18,449.34)
समायोजन के लिए **Adjustment for**		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय Depreciation & Amortization Expenses	352.75	343.12
ब्याज व्यय Interest Expenses	10,982.99	5,823.20
ब्याज आय Interest Income	512.52	(1,312.38)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/निकालने पर हानि Loss on Sale/Discard of Fixed Assets	4.01	2.60
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ **Operating Profit Before Working Capital Changes**	**15,872.22**	**(13,592.80)**
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन **Adjustment for change in Working Capital**		
व्यापार प्राप्ति योग्य में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Trade Receivables	1,796.52	11,638.22
मालसूची में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Inventories	(387,112.88)	135,311.24
अल्पावधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Short Term Loans and Advances	(98.82)	627.59
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Current Assets	(24,712.42)	2,320.67
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Long Term Loans and Advances	(422.24)	(24.21)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियॉ में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Non-current Assets	2.48	(3.23)
व्यापार भुगतान योग्य में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Trade Payables	187.73	1,631.26
अन्य वर्तमान देयताएँ में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	9,168.00	(11,949.50)
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Short term Provisions	(797.63)	84.08

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012
अन्य गैर चालू देयताएँ में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Other Non- current Liabilities	(32.33)	(70.65)
दीर्घावधि प्रावधान में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Long term Provisions	(421.88)	831.61
परिचालन से निर्मित नकद / (उपयोग में) **Cash Generated from / (used in) Operations**	**(386,571.25)**	**126,804.28**
प्रदत्त कर (वापसी का शुद्ध) Taxes Paid (Net of Refund)	385.00	(51.50)
आय कर पुनरांकन के लिए अधिक प्रावधान Excess Provision for Income Tax written back	(3.58)	171.57
परिचालन गतिविधियाँ से शुद्ध नकद प्रवाह **Net Cash from Operating Activities**	**(386,189.83)**	**126,924.35**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह **(B) Cash Flow from Investing Activities**		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी कार्य प्रगति पर और पूँजी अग्रिम शामिल है Purchase of Fixed Assets, Including Intangible assets, Capital Work in Progress and Capital advances	(147.51)	(682.84)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियाँ, पूँजी कार्य प्रगति पर और पूँजी अग्रिम शामिल है Sale of Fixed Assets, Including Intangible assets, Capital Work in Progress and Capital advances	2.50	1.60
प्राप्त ब्याज Interest Received	(512.52)	1,312.38
शुद्ध नकद प्रवाह (उपयोग में) निवेश गतिविधियाँ (ख) **Net Cash Flow/ (Used in) Investing Activities (B)**	**(657.53)**	**631.14**
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह **(C) Cash Flow from Financing Activities**		
अल्पावधिक उधार (शुद्ध) से प्राप्त राशि / (की चुकौती) Proceed from / (Repayment of) Short Term Borrowings (Net)	398,624.02	(171,925.00)
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	(10,982.99)	(5,823.20)
ईक्विटी शेयर पर प्रदत्त लाभांश Dividend Paid on Equity Share	-	-
वितरित लाभपर प्रदत्त कर Tax paid on Distributed Profit	-	-
शुद्ध नकद प्रवाह / (उपयोग में) वित्तीय गतिविधियाँ (ग) **Net Cash Flow / (Used in) Financing Activities (C)**	**387,641.03**	**(177,748.20)**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी) Net Increase/ (Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	793.67	(50,192.71)
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष Cash and Cash Equivalent as at the beginning of the year	367.73	50,560.44
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष Cash and Cash Equivalent as at the Close of the year	**1,161.40**	**367.73**

1 से 41 तक लेखा नीतियाँ और नोटस वित्तीय विवरणियों का एक समाकलित भाग बनाते हैं
Accounting Policies and Notes 1 to 41, form an integral part of the Financial Statements.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (बी. के. मिश्र) (B. K. Mishra) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	Sd/- (प्रदीप कुमार अग्रवाल) (Pradeep Kumar Agarwal) निदेशक (वित्त) Director (Finance)	Sd/- (एम. एम. चोक्कलिंगम) (M. M. Chockalingam) निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	Sd/- (मोहम्मद ज़फर रिजवानी) (Mohd. Zaffar Rizwani) कंपनी सचिव Company Secretary

दिनांक : 11-10-2013 Date : 11-10-2013
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 11-10-2013
Date : 11-10-2013

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
Place of Signature : Mumbai

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

दिनांक : 11-10-2013
Date : 11-10-2013

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

31 मार्च, 2013 को तुलन-पत्र का भाग बनानेवाली अनुसूची
SCHEDULES FOR THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2013

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012

नोट 1
NOTE 1

शेयर पूँजीः
Share Capital :

प्राधिकृतः
Authorised :

प्रत्येक 100रू. के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स (पिछले वर्ष 100 रू के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/-Each (Previous Year 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each)	7,500.00	7,500.00

निर्गमित अभिदत्त और प्रदत्तः
Issued, Subscribed & Paid Up:

प्रत्येक 100 रू के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष 100 रू. के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 25,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each Fully Paid Up (Previous Year 25,00,000 Equity Shares of Rs. 100/- Each	2,500.00	2,500.00
कुल Total	**2,500.00**	**2,500.00**

5% से अधिक शेयर धारकों के ब्यौरे
The details of Shareholders holding more than 5% shares

शेयर धारक का नाम Name of the Share holder	शेयर्स की संख्या (धारित प्रतिशत) दि.31.03.2013 को No of shares (% held) As at 31.03.2013	शेयर्स की संख्या (धारित प्रतिशत) दि.31.03.2012 को No of shares (% held) As at 31.03.2012
भारत के राष्ट्रपति President of India	24,99,997 (99.99%)	24,99,997 (99.99%)

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
बकाया शेयरों का समाधान निम्नानुसार है The reconciliation of Shares outstanding is set out below		
ब्यौरे **Particulars**	**शेयर्स की संख्या** **No of Share**	**राशि (लाख रूपयों में)** **Amount (Rs. In Lakh)**
वर्ष के आरंभ में ईक्विटी शेयर्स Equity Shares at the beginning of the Year	2500000 (2500000)	2500.00 (2500.00)
जोडेः वर्ष के दौरान जारी किये शयर्स Add: Shares issued during the year	-	-
घटाईयेंः वर्ष के दौरान मोचन गये शेयर्स Less: Shares redeemed during the year	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स Shares Outstanding at the end of the year	2500000 (2500000)	2500.00 (2500.00)
(कोष्टक में दिये गये आंकडे गत वर्ष के है ।) (Figures in bracket relates to previous year)		

नोट 2
NOTE 2

आरक्षित और अधिशेष
Reserves And Surplus

क. सामान्य आरक्षित / a. General Reserve		
आरंभिक शेष / Opening Balance	1,647.58	1,647.58
(+) चालू वर्ष में अंतरण (+) Current Year Transfer	327.00	-
(-) चालू वर्ष में प्रतिलेखन किया गया (-) Written Back in Current Year	-	-
अंतिम शेष / Closing Balance — कुल (क) / Total (A)	1,974.58	1,647.58
ख. अधिशेष / b. Surplus		
Opening balance	13,330.38	31,319.66
(+) चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (शुद्ध हानि) (+) Net Profit/(Net Loss) For the current year	3,270.05	(17,989.28)
(-) प्रस्तावित लाभांश (-) Proposed Dividends	655.00	-
(-) रिजर्व में अंतरण (-) Transfer to Reserves	327.00	-
(-) प्रस्तावित लाभांश पर कर (-) Tax on Proposed Dividends	106.24	-
अंतिम शेष / Closing Balance — कुल (ख) / Total (B)	15,512.19	13,330.38
कुल (क + ख) / Total (A + B)	**17,486.77**	**14,977.96**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012

नोट 3
NOTE 3

अन्य दीर्घावधिक देयताएँ
Other Long Term Liabilities

प्रतिभूति निक्षेप/ प्रतिधारण धन Security Deposits /Retention Money	144.34	168.66
अन्य देय * Other Payables*	195.38	203.39
कुल Total	**339.72**	**372.05**

टिप्पणः

* अन्य शामिल देय

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 वर्ष के लिए कपास आयात से संबंधित मामलों पर प्राप्त 88-15 लाख रूपये (गत वर्ष 95-71 लाख रूपये) और भारत सरकार को देय । यह राशि पुराने कपास आयात निधि मामलों के निपटान के अधीन (ब्यौरे के लिए नोट 32) देखें)

(ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान कपास आयात के संबंध में लंबित विधिक मामलों के सामने ग्राहकों से अग्रिम के ओर प्राप्त 105.87 लाख रूपये (गत वर्ष 105.87 लाख रूपये) (ब्यौरे के लिए नोट 32 देखें)

Foot Note :

*Other Payable includes

(a) Rs. 88.15 lakhs (Previous year Rs. 95.71 lakhs) received on account of Import of Cotton cases pertaining to the year 1976-77 and 1977-78 and payable to the Government of India. This amount is subject to settlement of old cotton import legal cases. (for detail see note 32)

(b) Rs. 105.87 Lakhs (Previous Year Rs 105.87 Lakhs) towards advance received from customers against which the legal cases are pending in respect of import of cotton during the year 1976-77 and 1977-78 (for detail see note 32)

नोट 4
NOTE 4

दीर्घावधिक प्रावधान
Long Term Provisions

छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान Provisions for Leave Encashment	2,228.51	2,650.39
कुल Total	**2,228.51**	**2,650.39**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
नोट 5 NOTE 5		
अल्पावधिक ऋण Short Term Borrowings		
बैंकों से मांग पर ऋणों का प्रतिदेय Loans repayable on demand		
बैंकों से From Banks		
रक्षित Secured		
अनुसूचित बैंको से (संकाय) * From Schedule Banks (Consortium) *	405,199.02	6,575.00
अरक्षित Unsecured		
अुनसूचित बैंको से (गैर-संकाय) ** From Schedule Banks (Non - Consurtium)**	-	-
कुल Total	**405,199.02**	**6,575.00**

टिप्पणः

* संकाय बैंकों से ऋण अनुबंध के अनुसार 10.15%-10.30 प्रति वर्ष की दर से 335875.00 लाख रूपये ऋण 180 दिनों के भीतर देय (गत वर्ष 10.75% प्रति वर्ष दर से 3600 लाख रूपये), 10.20% की दर से 9600.00 लाख रूपये ऋण 120 दिनों के भीतर देय (गति वर्ष शून्य) और 10.00% -10.25% की दर से 57400.00 लाख रूपये ऋण 90 दिनों के भीतर देय (गत वर्ष 10.75% प्रति वर्ष के दर से 2975 लाख रूपये), कच्चा माल स्टोअर्स और स्पेअर्स, अर्ध तैयार माल, तैयार माल और व्यापार प्राप्य के दृष्टिबंधक पर समगति से समरूप चार्ज द्वारा रक्षित ।

** माल, स्टोर्स व स्पेयर्स, अर्ध तैयार माल, तैयार माल तथा व्यापार प्राप्य दृष्टि बंधक पर समगति से समरूप चार्ज द्वारा रक्षित बैक ऑफ बड़ौदा से नकद ऋण सीमा हेतु 232.40 लाख पिछले वर्ष (शून्य) शामिल है । -

** गैर-असंकाय बैंको से अरक्षित उधार ऋण "शून्य" है (गत वर्ष शून्य)

Foot Note :

* Rs. 335875.00 lakhs borrowed @ 10.15%-10.30 % p.a. payable within 180 days (Previous Year Rs. 3600 lakhs @10.75% p.a.), Rs. 9600.00 lakhs borrowed @10.20% p.a. (Previous Year Nil) payable within 120 days and Rs. 57400.00 lakhs borrowed @ 10.00%-10.25 % p.a. payable within 90 days (Previous Year Rs. 2975 lakhs @10.75% p.a.) as per Loan Agreement from Consortium of Banks, secured by pari-passu charge on Hypothecation of Raw Materials, Stores and Spares, Semi Finished Goods, Finished Goods and Trade Receivables.

* Include Cash Credit Limit from Bank of Baroda (Overdraft) of Rs. 232.40 lakh (Previous Year Nil) secured by pari-passu charge on Hypothecation of Raw Materials, Stores and Spares, Semi Finished Goods, Finished Goods and Trade Receivables.

** Unsecured Loan borrowed from Non-consortium banks Nil (Previous year Nil).

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012

नोट 6
NOTE 6

व्यापार देय
Trade Payables

व्यापार देय Trade Payables		
(i) मायक्रो, स्मॉल और मिडियम उद्यमों Under Micro, Small and Medium Enterprises	2,733.02	205.88
(ii) अन्य Others	821.44	3,160.85
कुल / Total	**3,554.46**	**3,366.73**

नोट 7
NOTE 7

अन्य चालू देयताएँ
Other Current Liabilities

कर्मचारी लाभ देय Employee Benefits Payable	11.34	7.19
ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज और देय Interest accrued and due on Loans	-	3.94
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advance Received from Customers	7,176.81	3,970.90
बयाना धन/प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धन Earnest Money / Security Deposits / Retention Money	2,787.16	461.90
पंजाब इंफ्रास्ट्रकचर सेस देय Punjab Infrastructure Cess Payable	4,034.35	3,946.62
अन्य देय : Other Payables :		
- सांविधिक देय / Statutory Dues	1,642.08	391.88
- अन्य / Others	3,082.22	783.53
कुल / Total	**18,733.96**	**9,565.96**

नोट 9 : अचल परिसंपत्तियाँ / NOTE 9 : FIXED ASSETS

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

क्र. सं Sl. No.	ब्योरे Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block				मूल्य ह्रास / Depreciation				शुद्ध ब्लॉक / Net Block	
		दि. 1.4.2012 को As At 1.4.2012	वृद्धियाँ Additions	कटौतियाँ/ समायोजन Deductions / Adjustment	दि.31.3.2013 को As At 31.3.2013	दि.1.4.2012 को As At 1.4.2012	वृद्धियाँ Additions	कटौतियाँ/ समायोजन Deductions / Adjustment	दि.31.3.2013 को As At 31.3.2013	दि.31.3.2013 को As At 31.3.2013	दि.31.3.2012 को As At 31.3.2012
I	**मूर्त परिसंपत्तियाँ / Tangible Assets**										
a	भूखण्ड (पूर्ण स्वामित्व) भूखण्ड (पट्टे पर) Land (Free Hold)	126.38	-	0.15	126.23	-	-	-	-	126.23	126.38
	Land (Lease Hold)	316.46	-	-	316.46	88.84	3.20	-	92.04	224.42	227.62
b	भवन (पूर्ण स्वामित्व) भवन (पट्टे पर) Buildings (Free Hold)	4,661.83	276.37	3.90	4,934.30	1,009.38	77.48	0.70	1,086.16	3,848.14	3,652.45
	Buildings (Lease Hold)	244.68	-	-	244.68	35.06	2.61	-	37.67	207.01	209.62
c	रेल्वे साईडिंग / Railway Sidings	380.44	-	-	380.44	258.68	18.07	-	276.75	103.69	121.76
d	एअर कंडिशन संयंत्र / Air-Condition Plant	276.55	-	-	276.55	180.27	13.14	-	193.41	83.14	96.28
e	विद्युत संस्थापन-लिफ्ट एवं इलेवेटर्स Electrical Installation Lifts and Elevators	448.05	86.35	-	534.40	255.60	22.30	-	277.90	256.50	192.45
f	प्रयोगशाला उपकरण / Lab Equipments	91.36	0.08	-	91.44	37.99	4.15	-	42.15	49.29	53.37
g	कंप्यूटर उपकरण / Computer Equipments	478.75	31.72	13.55	496.92	230.41	57.62	13.59	274.44	222.48	248.34
h	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स Furniture and Fixtures	576.80	16.68	5.81	587.67	431.90	33.66	5.26	460.30	127.37	144.90
i	वाहन / Vehicles	152.32	0.06	0.29	152.09	65.82	14.17	0.12	79.87	72.22	86.50
j	कार्यालय उपकरण / Office Equipment	241.04	10.55	7.35	244.24	126.14	10.04	4.48	131.70	112.54	114.90
	कुल I / Total I	**7,994.66**	**421.81**	**31.05**	**8,385.42**	**2,720.09**	**256.44**	**24.15**	**2,952.39**	**5,433.03**	**5,274.57**
II	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ / Intangible Assets**										
a	कंप्यूटर सॉफ्टवेअर / Computer Software	319.95	2.19	0.14	321.99	128.85	96.31	0.14	225.01	96.98	191.10
	कुल II / Total II	**319.95**	**2.19**	**0.14**	**321.99**	**128.85**	**96.31**	**0.14**	**225.01**	**96.98**	**191.10**
III	**पूँजीगत कार्य प्रगति पर Capital Work in Progress**										
a	भवन / Buildings	276.09	69.22	345.31	-	-	-	-	-	-	276.09
	कुल III / Total III	**276.09**	**69.22**	**345.31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**276.09**
IV	**विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets Under Development**										
	कुल IV / Total IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	सकल कुल (I+II+III+IV) Gross Total (I+II+III+IV)	**8,590.70**	**493.22**	**376.50**	**8,707.41**	**2,848.94**	**352.75**	**24.29**	**3,177.40**	**5,530.01**	**5,741.76**
	गत वर्ष / PREVIOUS YEAR	**7,936.46**	**927.48**	**273.24**	**8,590.70**	**2,530.22**	**343.12**	**24.40**	**2,848.94**	**5,741.76**	

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
नोट 8 **NOTE 8**		
अल्पावधिक प्रावधन **Short Term Provisions**		
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान Provision For Employee's Benefit	1,243.69	1,594.01
सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया देय पर ब्याज के लिए प्रावधान (ब्यौरे के लिए कृपया नोट सं.31देखे) Provision for Interest on Ouststanding dues to Micro,Small and Medium Enterprises (for detail please refer note no 31)	130.76	60.75
करों के लिए प्रावधान Provision For Taxes	257.23	24.55
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान Provision For Proposed Dividend	655.00	-
प्रस्तावित लाभांश पर कर का प्रावधान Provision For Tax on Proposed Dividend	106.24	-
कुल / Total	**2,392.92**	**1,679.31**

नोट 10 **NOTE 10**		
गैर चालू निवेश (लागत पर) **Non Current Investment (At Cost)**		
गैर व्यापारिक **Non Trade**		
ईक्विटी इंस्ट्रूमेन्ट्स में निवेश (अनुद्धृत) **Investment in Equity Instruments (Unquoted)**		
राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग तथा जिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. के प्रत्येक 1000/- रूपये के 500 ईक्विटी शेयर्स 500 Equity Shares of Rs. 1000/- Each of Rajasthan State Co-Op. Spg. & Ginning Mills Federation Ltd.	5.00	5.00
घटाईयें: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Less: Provision for Diminution in Value of Investment	4.99	4.99
कुल **Total**	**0.01**	**0.01**

टिप्पण : गैर चालू निवेश को कमी द्वारा घटायी गयी लागत पर मूल्यांकन किया गया है ।
Foot Note : Non Current Investments are valued at Cost as reduced by diminution.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012

नोट 11
NOTE 11

आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)
Deferred Tax Assets (Net)

(क) आस्थगित कर देयताएँ
(A) Deferred Tax Liability

अचल परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास के खाते में Related to Fixed Assets on Account of Depreciation	842.33	843.69
कुल (क) **Total (A)**	**842.33**	**843.69**

(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ
(B) Deferred Tax Assets

I) आयकर अधिनियम के अंतर्गत नामंजूर Disallowance Under The Income Tax Act	2,390.96	2,390.73
II) संदिग्ध ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Debts and Advances	125.20	123.11
III) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Value of Investment	1.62	1.62
कुल (ख) **Total (B)**	**2,517.78**	**2,515.46**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (क-ख) **Net Defered Tax Assets (Net) (A-B)**	**1,675.45**	**1,671.77**

टिप्पणः
लेखा मानक-22 के अनुसार आय पर करों की गणना 3.68 लाख रूपये आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी गयी है (गत वर्ष 288.49 लाख रूपये) कंपनी की हानियों और प्रूडेंस कन्सेप्ट पर विचार करते हुए अग्रेषित हानि 4497.97 लाख रूपये गत वर्ष 5773.15 लाख रूपये) और संचित मूल्यह्रास पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गयी है।

Foot Note:
In accordance with Accounting Standard - 22 "Accounting for Taxes on Income", the Deferred Tax Assets (Net) of Rs. 3.68 lakh (Previous year Rs. 288.49 lakh) has been recognized. Considering losses of the Company and prudence concept, no deferred tax asset of Rs 4497.97 lakh (P.Y Rs 5773.15 lakh) is recognized on carry forward losses and accumulated depreciation.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
नोट 12 **NOTE 12**		
दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम **Long Term Loans and Advances**		
पूँजीगत अग्रिम **Capital Advances**		
- अरक्षित शोध्य माने गये		
- Unsecured Considered Good	-	0.63
प्रतिभूति निक्षेप / अग्रिम **Security Deposits / Advances**		
- अरक्षित शोध्य माने गये		
- Unsecured Considered Good	95.18	52.50
अन्य ऋण और अग्रिम **Other Loans and Advances**		
- रक्षित		
- Secured		
कर्मचारियों को ऋण Loans to Employees	237.62	248.90
- अरक्षित शोध्य माने गये		
- Unsecured Considered Good		
कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	58.58	59.97
अग्रिम आय कर (शुद्ध प्रावधान) Advance Income Tax (Net of Provisions)	541.67	551.61
प्राप्य आय कर की वापसी Income Tax Refund Receivable	17.80	-
- संदिग्ध		
- Doubtful	9.35	5.93
घटाईयें: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Less: Provisions for Doubtful Advances	(9.35)	(5.93)
कुल **Total**	**950.85**	**913.61**
नोट 13 **NOTE 13**		
अन्य गैरचालू परिसंपत्तियाँ **Other Non-Current Assets**		
दावे और अन्य वसूली योग्य **Claims & Other Recoverable**		
निदेशकों के ऋण अग्रिम पर प्राप्य योग्य ब्याज Interest receivable on Loans and Advances to Directors	0.09	-
कर्मचारियों के ऋण अग्रिमों पर प्राप्य योग्य ब्याज Interest receivable on Loans and Advances to Employees	187.91	190.48
कुल **Total**	**188.00**	**190.48**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
नोट 14 **NOTE 14**		
मालसूची **Inventories**		
कच्चा माल Raw Material	7,140.09	2,957.51
तैयार माल Finished Goods	400,249.52	17,294.80
अन्य मदें Others Items	1,536.81	1,561.23
कुल **Total**	**408,926.42**	**21,813.54**
नोट 15 **NOTE 15**		
व्यापार प्राप्य राशि **Trade Receivables**		
- **6 माह से अधिक** - **Exceeding Six Months**		
रक्षित योग्य माने गये Secured Considered Good	-	-
अरक्षित योग्य माने गये Unsecured Considered Good	2,058.48	190.74
संदिग्ध माने गये Considered Doubtful	376.53	360.47
घटाईयें: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	(376.53)	(360.47)
कुल (क) **Total (A)**	**2,058.48**	**190.74**
- **अन्य** - **Others**		
रक्षित योग्य माने गये Secured Considered Good	-	-
अरक्षित शोध्य माना गया माल * Unsecured Considered Good*	3,414.17	7,078.43

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
संदिग्ध माने गये Considered Doubtful	-	13.03
घटाईयें : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	-	(13.03)
कुल (ख) Total (B)	3,414.17	7,078.43
कुल (क + ख) / Total (A + B)	**5,472.65**	**7,269.17**

टिप्पणः

* एनटीसी, सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार सुपुर्दगी के लिए बकाया राशि की वसूली एनटीसी मिलों से 844.63 लाख रूपये (गत वर्ष 2477.58 लाख रूपये) की राशि देय ऋण शामिल है ।

Foot Note:

* Include debts due from NTC mills amounting to Rs. 844.63 lakhs (Previous year Rs. 2477.58 lakhs) for delivery as per Memorandum of Understanding reached amongst NTC, CCI and Ministry of Textiles for recovery of amount outstanding.

नोट 16
NOTE 16

नकद और नकदी समकक्ष
Cash and cash equivalents

बैंक में शेष Balance with Banks		
चालू खाते में In Current Accounts	1,125.79	262.22
अल्पावधि जमाराशि खाते में In Short term Deposit Accounts *	34.10	-
हाथ में चैक्स, ड्राफ्टस् Cheques, Drafts on hand	1.06	105.41
हाथ में रोकड़ Cash on Hand	0.45	0.10
कुल Total	**1,161.40**	**367.73**

टिप्पण :

माननीय उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर के अनुसार आंध्रा बैंक के पास जमा 29.10 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य) तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के पास 5.00 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य) सुरक्षा राशि जमा शामिल।

Foot Note:

* Include Rs. 29.10 lakh (previous year Nil) deposited with Andhra Bank as per Hon'ble High Court stay order and Rs. 5.00 lakh (previous year Nil) deposited with State Bank of Hyderabad as Security Deposit.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	दि 31.3.2013 को As at 31.03.2013	दि.31.3.2012 को As at 31.03.2012
नोट 17 **NOTE 17**		
अल्पावधि ऋण और अग्रिम **Short-term loans and advances**		
अन्य ऋण और अग्रिम **Other Loans and Advances**		
- रक्षित - Secured		
कर्मचारियों को चालू परिपक्व ऋण Current Maturity of Loans to Employees	52.04	50.07
- अरक्षित शोध्य माने गये - Unsecured Considered Good		
निदेशकों को चालू परिपक्व अग्रिम Current Maturity of Advances to Directors	0.05	-
कर्मचारियों को चालू परिपक्व अग्रिम Current Maturity of Advances to Employees	35.05	27.86
अन्य अग्रिम / जमा राशि Other Advances / Deposits	2,455.25	2,365.64
कुल **Total**	**2,542.39**	**2,443.57**

नोट 18 **NOTE 18**		
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ **Other Current Assets**		
अरक्षित शोध्य माने गये **Unsecured Considered Good**		
भारत सरकार से प्राप्य एमएसपी हानि Losses on Minimum Support Price Operations Receivable From Govt. of India	20,569.05	453.00
भारत सरकार से बफर स्टॉक परिचालन पर प्राप्य हानि Losses on Buffer Stock Operations Receivable From Govt. Of India	3,173.08	-
निदेशकों को ऋण और अग्रिमों पर प्राप्य होनेवाले ब्याज के चालू परिपक्वता Current Maturity of Interest receivable on Loans and Advances to Directors	-	0.03
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिमों पर प्राप्य होनेवाले ब्याज के चालू परिपक्वता Current Maturity of Interest receivable on Loans and Advances to Employees	15.80	23.15
अन्य प्राप्य राशि / Other Receivables	2,230.25	799.58
कुल **Total**	**25,988.18**	**1,275.76**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	समाप्त वर्ष 31.3.2013 Year Ended 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.3.2012 Year Ended 31.03.2012
नोट 19 **NOTE 19**		
परिचालन से राजस्व **Revenue from Operations**		
(क) उत्पाद की बिक्री / (a) Sale of products		
पूर्ण बंधित गांठे, बिनौले, रूई और विविध की बिक्री Sale of Fully Pressed Bales, Cotton Seed, Lint, and Miscellaneous	175,330.25	166,338.14
(ख) सेवा बिक्री / (b) Sale of Services	-	-
(ग) अन्य परिचालन राजस्व / (c) Other Operating Revenues		
रखरखाव प्रभार और देरी से उठाने के प्रभार Carrying Charges & Late Lifting Charges	1,442.92	4,873.20
संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति Compensation For Cancellation of Contracts*	205.29	4,837.12
संविदा / पुनः बिक्री के र करने के लिए क्षतिपूर्ति Compensation For Cancellation of Contracts -Resale	-	-
शुल्क वापसी (निर्यात)/ निर्यात प्रोत्साहन Duty Drawback (Export) / Export Incentive	-	59.06
एमएसपी परिचालन पर हानियों की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Losses on Minimum Support Price Operations	20,569.05	453.00
बफर स्टॉक परिचालन पर हानियों की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Losses on Buffer Stock Operations	3,173.08	-
	25,390.34	10,222.38
कुल / Total (a+b+c)	**200,720.59**	**176,560.52**

टिप्पणः * कंपनी द्वारा अपनायी महत्वपूर्ण लेखा नीति 1(क) में परिवर्तन के कारण संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति में शून्य रूपये (गत वर्ष 4496.44 लाख रूपये) की राशि शामिल है (ब्यौरे के लिए नोट 25.1 (क) देखें)

Foot Note: *Compensation For cancellation of contract includes amount of Rs. Nil (Previous Year Rs. 4496.44 lakh) due to change in significant accounting policy 25.1 (a) adopted by the company.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	समाप्त वर्ष 31.3.2013 Year Ended 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.3.2012 Year Ended 31.03.2012
नोट 20 **NOTE 20**		
अन्य आय **Other Income**		
किराया आय Rent Income	799.35	771.35
अल्पावधिक जमाराशि पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Short Term Deposits	2.60	883.86
अन्य ब्याज आय Other Interest Income	509.92	428.52
प्रावधान की आवश्यक्ता नही है Provision No Longer Required	16.59	89.94
वसूल किये अशोध्य ऋण Bad Debts Recovered	-	690.05
बीमा दावें Insurance Claims	1,317.22	498.00
विदेशी विनिमय लाभ (शुद्ध) Foreign Exchange Gain (Net)	(8.26)	86.26
अन्य विविध आय Other Miscellaneous Income	84.04	173.92
कुल **Total**	**2,721.46**	**3,621.90**

नोट 21 **NOTE 21**		
तैयार माल, कार्य प्रगति पर, व्यापार में स्टॉक की परिसंपत्तियाँ में परिवर्तन **Changes in Inventories of Finished Goods, Work in Progress, Stock In Trade**		
तैयार माल का आरंभिक स्टॉक Opening Stock of Finished Goods	17,294.80	153,160.54
घटाईयेः तैयार माल का अंतिम स्टॉक Less : Closing Stock of Finished Goods	400,240.99	17,294.80
परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) **Decrease / (Increase) in Inventories**	**(382,946.19)**	**135,865.74**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	समाप्त वर्ष 31.3.2013 Year Ended 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.3.2012 Year Ended 31.03.2012
नोट 22 **NOTE 22**		
कर्मचारी लाभ व्यय **Employee Benefits Expense**		
वेतन, भत्ते, बोनस और अन्य प्रोत्साहन Salaries, Allowances, Bonus & Other Incentives	4,756.12	4,721.95
छुट्टी का नकदीकरण (ब्यौरे के लिए नोट 33- ख देखें Encashment Of Leave (for detail refer note 33 B)	136.80	1,529.87
अंशदायी भविष्य निधि एवं पेंशन निधी में अंशदान (ब्यौरे के लिए नोट 33- क देखें) Contribution To Provident Fund & Pension Fund (for detail refer note 33 A)	489.48	480.94
उपदान निधी में अंशदान (ब्यौरे के लिए नोट 33 ख देखें) Contribution To Gratuity Fund (for detail refer note 33 B)	223.92	698.06
अधिवर्षिता निधि में अंशदान (ब्यौरे के लिए नोट 33 क देखें) Contribution To Super Annuation Fund(for detail refer note 33 A)	362.54	125.35
कर्मचारी कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses	236.88	223.91
कुल **Total**	**6,205.74**	**7,780.08**

नोट 23 **NOTE 23**		
वित्तीय लागत **Finance cost**		
(क) बैंक ऋणों पर A) On Bank Loans	10,982.99	5,823.20
(ख) अन्य B) Others	-	-
कुल **Total**	**10,982.99**	**5,823.20**

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	समाप्त वर्ष 31.3.2013 Year Ended 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.3.2012 Year Ended 31.03.2012
नोट 24 **NOTE 24**		
अन्य व्यय **Other Expenses**		
(क) जिनिंग एवं प्रेसिंग व्यय **(A) Ginning and Pressing Expenses**		
जिनिंग प्रभार Ginning Charges	14,741.61	873.72
प्रेसिंग प्रभार Pressing Charges	7,459.31	450.18
श्रम और अन्य संसाधन प्रभार Labour and Other Processing Charges	5,826.34	307.41
कुल (क) **Total (A)**	28,027.26	1,631.31
(ख) अन्य परिचालन व्यय **(B) Other Operating Expenses**		
गोदाम किराया Godown Rent	1,627.72	827.83
बीमा Insurance	2,009.11	710.08
बैंक प्रभार Bank Charges	16.28	16.92
कपास उपज के सुधार पर व्यय Expenses on Improvement of Cotton Yield	11.25	10.62
निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय Expenditure on Corporate Social Responsibility	36.09	38.83
कुल (ख) **Total (B)**	3,700.45	1,604.28

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012
(ग) प्रशासकीय और स्थापना व्यय **(C) Administrative and Establishment Expenses**		
कार्यालय किराया Office Rent	68.21	63.19
यात्रा व्ययः Travelling Expenses of :		
- निदेशक / Directors	21.76	23.61
- अन्य / Others	111.65	95.46
दर और कर * Rates & Taxes*	38.51	-6.28
विधिक और व्यावसायिक शुल्क Legal & Professional Fees	85.03	78.20
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक (ब्यौरे के लिए नोट 34 देखें) Remuneration to Auditors (for detail refer note 34)	18.31	16.44
लागत परीक्षकों को पारिश्रमिक Remuneration to Cost Auditors	1.57	-
मरम्मत और अनुरक्षण (बिल्डिंग) Repairs & Maintenance (Building)	147.35	112.32
मरम्मत और अनुरक्षण (अन्य) Repairs & Maintenace (Others)	12.71	12.76
विज्ञापन Advertisement	43.63	32.15
जनसंपर्क और प्रचार Public Relation & Publicity	29.71	7.47
अचल परिसंपत्तियों के बिक्री/निपटान पर हानि Loss on Sale /Discard of Fixed Assets	4.01	2.60
विद्युत जल प्रभार / जेनरेटर प्रभार Electricity Water Charges / Generator Charges	89.41	107.35
एमएसएमई को देय बकाया राशि पर ब्याज के लिए प्रावधान Provision for Interest on Ouststanding dues to Micro, Small and Medium Enterprises	70.00	60.75
अन्य प्रशासनिक व्यय Other Administrative Expenses	279.92	242.41
कुल (ग) **Total (C)**	1,021.78	848.43

टिप्पण : * किरायेदारों से 81.77 लाख रूपये की शुद्ध वसूली (गत वर्ष 463.36 लाख रूपये)
Foot Note : Net of Recovery of Rs. 81.77 lakh (previous year Rs. 463.36 lakh) from the tenants.

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2013	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012
(घ) विक्रय, संवितरण एवं प्रेषण व्यय		
(D) Selling, Distribution & Forwarding Expenditure		
विक्रय एवं संवितरण व्यय Selling & Distribution Expenses	922.81	278.84
दलाली / कमीशन Brokerage / Commission	54.89	13.53
नकद छूट Cash Discount	82.74	233.95
निकासी एवं प्रेषण प्रभार Clearing & Forwarding Charges	-	18.18
संदिग्ध ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Debts / Advances	22.63	72.98
कुल (घ) **Total (D)**	1,083.07	617.48
(च) पूर्व अवधि व्यय (शुद्ध)		
(E) Prior Period Expenses (Net)		
आय **Income**		
विक्री और अन्य आय Sales and Other Income	(45.76)	0.60
लदान प्रभार,संविदा के रद्द होने पर क्षतिपूर्ति Carrying Charges, Compensation for Cancellation of Contracts कमीशन एवं बीमा * / Commission & Insurance Claims *	37.64	810.24
विविध आय Miscellaneous Income	13.48	15.40
	5.36	826.24
व्यय **Expenditure**		
जिनिंग एवं प्रेसिंग प्रभार Ginning & Processing Charges	0.48	10.22
प्रशासन तथा अन्य व्यय Administartion & Other Expenses	19.83	42.99
	20.31	53.21
आय / व्यय (शुद्ध) (च) **(Income) / Expenditure (Net) (E)**	**14.95**	**(773.03)**
कुल (क+ख+ग+घ+च) **Total (A+B+C+D+E)**	**33,847.51**	**3,928.47**

टिप्पण: * कंपनी द्वारा अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखा नीति 25.1(क) में परिवर्तन के कारण 26.99 लाख रूपये (गत वर्ष 805.52 लाख रूपये) की राशि शामिल है (ब्यौरे के लिए नोट 29)

Foot Note: * Includes amount of 26.99 lakhs (previous year - Rs. 805.52 lakhs) due to change in Significant Accounting Policy 25.1(a) adopted by the company (for detail refer note 29)

नोट 25: 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

Note 25: Significant Accounting Policies for the Year ended 31st March, 2013

25.1 लेखा पद्धति :

क. उन खरीददारों की जमाराशि, अग्रिम लदान प्रभार और जमा शेष राशि को जिन्होंने बिक्री संविदा के अनुसार संविदागत माल न उठाने के कारण अपनी संविदागत बाध्यता पूरी नहीं की है, वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी गयी है,जिसमें ऐसे चूककर्ता खरीददारों के विरूद्ध मध्यस्थता कार्यवाहियाँ आरंभ की जा चुकी है । इस प्रकार की आय को "संविदा के रद्दीकरण के विरूद्ध प्रतिपूर्ति" शीर्ष के अंतर्गत गिना जायेगा ।

ख. कंपनी ने वाणिज्यिक लेखा पद्धति का पालन किया है तथा आय एवं व्यय को प्रोदभूत के आधार पर मान्यता दी है ।

i) निर्यात और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय के संबंध में विदेशी मुद्रा, चुंगी वापसी में व्यय.

ii) संस्थागत खरीददार से बकाया ऋण के बारे में ब्याज से आय, जो लम्बे समय से वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और उनकी बकाया राशि निगम को राशि देने में नियमित नहीं है.

iii) विवादित कर देयताएँ ,

iv) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए (जमाराशि अग्रिम, लदान प्रभार और जमा शेष के समायोजन के बाद) दावे और उन पर ब्याज,

v) पार्टियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज से आय, जो अतिशोध्य हो गयी हैं,

vi) बीमा दावे, जिनकी बीमा द्वारा संबंधित हानि वाऊचर जारी करने पर गणना की गयी है.

ग) वित्तीय विवरणियाँ, ऐतिहासिक लागत पर आधृत है तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेन्टस ऑफ

25.1 System of Accounting:

a. The amount of deposit, advance carrying charges and credit balances of the buyers who had not fulfilled their contractual obligations by not lifting the contracted stocks as per sales contract has been recognised as income in the year in which arbitration proceedings had been initiated against such defaulting buyers. Such income is accounted for under the head 'Compensation against Cancellation of Contract'.

b. The Company follows the mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis except

i) Expenditure in foreign currencies, Octroi refund in respect of export and income on sale of import licences;

ii) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

iii) Disputed tax liabilities;

iv) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon, on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

v) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties which have become overdue;

vi) Insurance claims which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers;

c. The Financial statements are based on historical costs and comply with the accounting standards issued by the Institute

इंडिया /भारत के सनदी लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन किया गया है ।

25.2 राजस्व मान्यता :

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इडिया द्वारा जारी लेखा मानक एएस-9 "राजस्व मान्यता" के प्रावधानों की पुष्टि में तथा यथोचित रूप से विचार करके कंपनी ने निम्नलिखित दावों के बारे में अंततोगत्वा उनके संग्रह की अनिश्चितता को देखते हुए राजस्व मान्यता आस्थगित रखी है :-

i) ऐसे संस्थागत खरीददारों से बकाया राशि पर ब्याज की आय के बारे में, जो लंबे समय से वित्तीय कठिनाईयाँ झेल रहे हैं और कंपनी को राशि देने में नियमित नहीं है,

ii) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए (जमाराशि अग्रिम, लदान प्रभार और जमा शेष के समायोजन के बाद) दावे और उन पर ब्याज,

iii) पार्टीज को दिए गए ऋण और अग्रिम के बारे में ब्याज के लिए आय, जो अतिशोध्य हो गयी है ।

iv) निर्यात के बारे में चुंगी वापसी दावों और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय की गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है, क्योंकि ऐसे दावे दायर करते समय प्राप्ति योग्य राशियों के निर्धारण में अत्यधिक अनिश्चितता होती है ।

v) बीमा दावों की गणना बीमाकर्ता द्वारा हानि से संबंधित वाउचरों के जारी होने पर की जाती है ।

vi) बकाया देयताएं, जिनमें कोई दावा नहीं है या कोई विधिक दावा लंबित नहीं है, तीन वर्षो के बाद उनका पुनरांकन किया जाये।

25.3 विक्रय :

क) रूई, पूर्ण बंधित गाँठें और कपास बिनौलों कंपनी द्वारा जारी किए गए सुपुर्दगी आदेश के समय मान्य किए गए हैं, बशर्ते कि निगम द्वारा जारी किए ऐसे सुपुदर्गी आदेश के अंतर्गत शामिल मात्रा का वजन लेखा वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व किया गया

of Chartered Accountants of India and the provisions of the Companies Act, 1956.

25.2 Revenue Recognition:

In conformity with the provision of Accounting Standard AS-9 "Revenue recognition" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on prudent considerations, the Company defers revenue recognition, owing to significant uncertainty about its ultimate collection, in respect of-

i) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

ii) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

iii) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties, which have become overdue.

iv) Octroi refund claims in respect of exports and income on sale of Import Licences, which are accounted for on receipt basis in view of high degree of uncertainty involved in determining the amount receivable at the time of lodging such claims.

v) Insurance claims, which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers.

vi) Outstanding Liabilities, wherein, either there is no claim or no legal case is pending to be written back after period of three years.

25.3 Sales:

a) Sales of lint, fully pressed bales of cotton and cotton seeds are recognised at the time of issuance of delivery orders by the Company provided weighment has taken place on or before the close of the accounting year.

हो । यद्यपि गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत बिक्री बुक की गई है, परन्तु गाँठों की वास्तविक सुपुर्दगी पूरी नहीं हुई है ।

ख) निर्यात बिक्री की गणना संबंधित लदान बिल्स की तारीख के आधार पर की जाती है ।

ग) ब्याज और रखरखाव प्रभार की ओर जमा, जहाँ कहीं लागू है, उसे लिया गया है, जो वर्ष के दौरान विक्रीत एवं उठाई गई गाँठों से संबंधित है।

25.4 अचल परिसंपत्तियाँ और मूल्यह्रास :

क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया गया है ।

ख) अचल परिसंपत्तियों में भूमि तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को छोड़कर कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची XIV के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर सीधी लाईन प्रणाली पर मूल्यह्रास किया गया है । वैयक्तिक कम लागत की आस्तियों (5,000 रू. से कम के लिए प्राप्त) के लिए प्राप्ति के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है ।

ग) लीजहोल्ड लैंड व बिल्डिंग का परिशोधन लीज अवधि पर लिया जा रहा है ।

घ) कार्य में प्रगति की रिपोर्ट वर्ष के अंत में प्राप्त सीपीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र के आधार पर की गई है ।

25.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ और परिशोधनः

अमूर्त परिसंपत्तियाँ(कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) 3 वर्ष की अवधि से परिशोधित की जा रही है ।

25.6 नकद प्रवाह विवरणी :

नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष प्रणाली के अधीन तैयार की गयी है ।

25.7 तुलन पत्र तारीख के बाद उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ :

तुलन पत्र तारीख के और जिस तारीख को वित्तीय विवरणियाँ अनुमोदित हुई, जो वर्तमान तुलन पत्र तारीख की स्थितियों से संबंधित राशि के निर्धारण को प्रभावित करनेवाली अतिरिक्त जानकारी देती हैं, के बीच होने वाली घटनाओं के लिए संपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया गया है ।

Sales under godown storage facility are booked though the physical delivery of bales has not been completed.

b) Export sales are accounted on the basis of date of relevant bills of lading.

c) Credit towards interest and carrying charges wherever applicable, has been taken in respect of sales booked and bales lifted during the year.

25.4 Fixed Assets and Depreciation:

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation.

b) Fixed Assets other than land and intangible assets (computer software) are being depreciated on straight line method at the rates and in the manner specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956. Individual low cost Assets (acquired for less than Rs. 5000) are entirely depreciated in the year of acquisition.

c) Leasehold land and buildings are being amortised over the period of lease.

d) Work in Progress is stated on the basis of Central Public Works Department certificate received at year end.

25.5 Intangible Assets and Amortisation:

Intangible Assets (Computer Software) are being amortised over a period of three years.

25.6 Cash Flow Statement:

The cash flow statement is prepared under indirect method.

25.7 Contingencies and events occurring after the balance sheet date:

Adjustment to Assets and Liabilities are made for events occurring between balance sheet date and the date on which the financial statements are approved that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to the conditions existing at the balance sheet date.

25.8 अवधि से पहले की मदें :

अवधि से पहले की मदें आय और व्यय है, जो वर्तमान अवधि में एक या उससे अधिक पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी में चूक और गलतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। पूर्व अवधि में परिस्थितियों द्वारा निर्धारित अन्य समायोजन शामिल नहीं है, जो पूर्व अवधि से संबंधित होते हुए भी वर्तमान अवधि में निर्धारित किये गये है ।

25.9 निवेश :

दीर्घावधि निवेश को लागत पर दर्शाया गया है । निवेश मूल्य में, अस्थायी को छोड़कर,कमी के लिए प्रावधान किया गया है ।

25.10 मालसूची :

क) पूर्ण-बंधित गॉठें/रूई का मूल्यांकन :

i) वाणिज्यिक खरीद के संबंध में औसत मूल्य पर या बाजार वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, बिक्री के लिए संविदागत नहीं है ।

ii) समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत बिक्री के लिए संविदा न की गई गांठों के संदर्भ में औसत लागत पर, यदि कोई हानि होती है तो भारत सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य है ।

iii) देशी बाजार में बिक्री के लिए (जब कभी खरीददार द्वारा अनुमोदित हों तथा जिनके लिए संविदा की गई) औसतन लागत या संविदागत दर, जो भी कम हो ।

iv) निर्यात के लिए मात्रा के मामले में (जहाँ कहीं संविदा की गयी हो) संविदागत और ढुलाई आदि द्वारा घटायी गयी औसत लागत या संविदागत मूल्य, जो भी कम हो ।

ख) बिक्री के लिए संविदागत बिनौलों के स्टॉक को संविदागत दरों पर तथा अन्य बिनौलों के स्टॉक मूल्यांकन वर्ष के अंत में बाजार/वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, क्योंकि बिनौलों का मूल्य अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

ग) कच्चा माल यानि कपास का मूल्यांकन गुणवत्तावार,केन्द्रवार और कपास वर्षवार औसत मूल्य पर किया जाता है । तथापि जब कभी कच्चा माल यानि कपास में गिरावट आती है और यह

25.8 Prior period items:

Prior period items are income and expenses that arises in the current period as a result of errors and omissions in the preparation of the financial statements of the one and more prior periods. Prior period does not include other adjustments necessitated by circumstances, which though related to prior periods, are determined in the current period.

25.9 Investments:

Non Current Investments are stated at cost. Provision is made for diminution, other than temporary, in the value of investments.

25.10 Inventories:

a) FP Bales/Lint are valued at :

i] Average cost or market/realisable value whichever is lower in respect of commercial purchases not contracted for sale.

ii] Average cost in respect of bales not contracted for sale under Support Price Operations as the loss suffered under such operations if any, is reimbursable by Govt. of India.

iii] Average cost or contracted rates whichever is lower in respect of quantities meant for sale in domestic market (whenever contracted for and approved by buyers)

iv] Average cost or contracted rates as reduced by contracted freight and cartage etc. whichever is lower in case of quantities meant for export. (wherever contracted for).

b) Stocks of seeds contracted for sale are valued at contracted rates and other stocks of seeds are valued at the market/realisable value at the close of the year since the cost of seeds cannot be ascertained separately.

c) Raw Material i.e. Kapas is valued at average cost calculated quality wise, centre wise and cotton year wise. However, when there has

अनुमान लगाया जाता है कि पूर्ण बंधित गॉठों का मूल्य कच्चे माल यानि कपास के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जायेगा, तो कपास शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम लिखी जाती है ।

घ) यैलो पिकिंग तथा नमूना गाँठों का मूल्यांकन अंत में उगाहे जाने वाले मूल्य पर किया गया है ।

ड) जारी न किये गये हैसियन/ग्रे क्लॉथ, बारदान, गन्नी बैग्स, आयरन हूप्स तथा कीटनाशक के स्टॉक का मूल्य औसत लागत मूल्य पर किया जाता है ।

च) प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पर तारपत्री बट्टे खाते में डाली जा रही है ।

25.11 गाँठों के निर्यात पर नि.एवं प्रे.व्यय :

संविदागत पूर्णबंधित गाँठो/स्टॉक के मूल्यांकन के लिए औसत लागत के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए संविदागत दरों से घटाया जाता है । समरूप संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, पूर्णबंधित गाँठों को स्पॉट से पोर्ट/पोतवहन गोदाम तक ले जाने पर संविदागत भाड़ा और ढुलाई आदि पर हुए व्यय को लेखा वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित पोतवहन को प्रदत्त माना जाता है और लेखा वर्ष के दौरान राजस्व के लिए प्रभार नहीं लगाया जाता है।

25.12 कर्मचारी लाभः

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में अल्पावधि कर्मचारी लाभ को अनडिस्कॉउंन्टेड बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें संबंधित सेवा दी है ।

ख) रोजग़ार के बाद लाभ :

i) परिभाषित अंशदान योजना :

- **अधिवर्षिता :**

  अधिवर्षिता निधि में अंशदान के लिए प्रावधान, कर्मचारी द्वारा प्रारंभ में बीमांकिक अभ्यर्पित लाभ मूल्य के अनुमान के समकक्ष तथा मूल्यों में मुद्रास्फिति में 10% वार्षिक वृद्धि और डीपीई मे मार्गदर्शन के अनुसार किया जाता है ।

- **भविष्य निधि :**

  भविष्य निधि में अंशदान, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार किया जाता है

been a decline in the price of Raw Material i.e Kapas and it is estimated that the cost of the finished goods i.e. FP Bales will exceed net realizable value of raw material, the Kapas are written down to net realizable value.

d) Yellow picking and sample bales are valued at realisable value.

e) Stock of un-issued hessian/grey cloth, bardanas, gunny bags, iron hoops and pesticides are valued at average cost price.

f) Tarpaulins are being written off over a period of three years.

25.11 C & F Expenses on Export Bales:

Contracted freight and cartage etc. are reduced from contracted rates for the purpose of comparison with Average Cost for valuation of Fully Pressed bales/stock meant for export, wherever contracted for. Keeping in view the matching concept, contracted freight and cartage etc. incurred on FP bales moved from spot to the port/godowns of shipment awaiting shipment at the end of Accounting Year are treated as pre-paid and not charged to revenue during the Accounting Year.

25.12 Employees' Benefits:

a) Short Term Employee Benefits:

Short Term Employee Benefits are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Profit and Loss Account of the year in which the related service is rendered.

b) Post Employment Benefits:

i) Defined Contribution Plans:

- **Superannuation:**

  Provision for contributions to Superannuation Fund is made equivalent to initial actuarial estimation of surrendered value of perquisites by the employees, with 10% annual escalation towards inflation in prices and as per Department of Public Enterprises guidelines.

- **Provident Fund:**

  Contribution to Provident Fund is made in accordance with the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 and

और उस पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभार लगाया जाता है ।

ii) परिभाषित लाभ योजना :

- **उपदान :**

  कर्मचारियों के उपदान दायित्व के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

- **छुट्टी नकदीकरण :**

  छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

iii) बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते की विवरणी में मान्यता दी गयी है।

25.13 उत्पादकता सहबद्ध प्रोत्साहन :

उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना संपूर्ण कार्यनिष्पादन पर आधारित है यानि वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन और कपास वर्ष के लिए वास्तविक निष्पादन । वित्तीय निष्पाद वित्तीय वर्ष पर आधारित और वास्तविक निष्पादन कपास वर्ष के दौरान निष्पादन पर आधारित है । वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और कपास वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है यानि वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के बाद पीएलआई योजना के अंतर्गत सर्वोत्तम उत्पादकता सूचकांक की गणना केवल कपास वर्ष यानि प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के बाद की जा सकती है । अतः पीएलआई के लिए उसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रावधान करना संभव नहीं है । अतः कंपनी कपास वर्ष के अंत में पीएलआई की ग्राह्यता तथा मात्रा की गणना करने की प्रथा का अनुपालन करती है और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय को नामे करती है ।

25.14 न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यकलापों पर हानियों की प्रतिपूर्ति :

न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर यदि कोई हानि होती है, तो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से प्रोदभवन आधार पर प्रतिपूर्ति की गणना की जाती है ।

is charged to the Statement of profit and loss account.

ii) Defined Benefit Plans:

- **Gratuity:**

  Provision for gratuity liability to employees is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

- **Leave Encashment:**

  Provision for leave encashment is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

iii) The actuarial gain/loss is recognized in statement of profit and loss account.

25.13 Productivity Linked Incentive:

The productivity linked incentive scheme is based on overall performance i.e. Financial Performance for the Financial Year and Physical Performance for the Cotton Year. The Financial performance is based on the Financial Results for the Financial Year and the Physical performance is based on the performance during the Cotton Year. The Financial Year ends on 31st March and the Cotton Year ends on 30th September i.e. after 6 months of close of the Financial Year. The Optimum Productivity Index under the Productivity Linked Incentive Scheme, therefore, can be worked out only at the end of the Cotton Year i.e. after 30th September each year. It is, therefore, not feasible to make provision for PLI in the same Accounting Year itself. Hence the Company follows the practice of working out the eligibility and quantum of PLI at the end of the Cotton Year and debiting the expenditure in the next Financial Year.

25.14 Reimbursement of losses in Minimum Support Price operations:

The losses if any, incurred on account of Minimum Support Price Operations reimbursable from the Government of India, Ministry of Textiles are accounted on accrual basis.

25.15 आकलनों का उपयोग :

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणियों की तारीख पर देयताओं और आस्तियों की बतायी गयी राशि पर तथा आलोच्य अवधि में राजस्व और व्यय की राशि पर प्रभावित करता है । वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसमें ये परिणाम ज्ञात हैं / निष्पादित हुए हैं ।

25.16 उधार लागत :

उधार लागत को, जो अधिग्रहण, निर्माण अथवा अर्हक अस्तियों के उत्पादन से संबंधित हैं, इस प्रकार की अस्तियों को लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है । अर्हक आस्ति वे वह आस्ति हैं, जिसे इसके उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय आवश्यक होता है । सभी अन्य उधारियों की लागतों को, जिस अवधि में खर्च किए गए हैं, उस अवधि में लागत के रूप में मान्यता दी जाती है ।

25.17 विदेशी मुद्रा के सौदे :

चालू परिसंपत्तियाँ तथा देयताओं से संबंधित विदेशी मुद्रा के सौदों को तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया है और लेन-देन के निपटाने में हुए अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया गया है । विदेशी मुद्रा में विवादास्पद प्राप्त /देय के संबंध में लेखा कें विनिमय अंतर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

25.18 प्रति शेयर आयः

प्रति शेयर की मूल और तनूकरण /हलका आय को ईक्विटी शेयर होल्डर्स को वर्ष के लिए दिये गये शुद्ध लाभ द्वारा विभाजित करते हुए, वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर की वेटेड एवरेज नंबर से विभाजित किया गया है ।

25.19 कराधान :

आस्थगित कर

देयता पद्धति के अंतर्गत वर्तमान कर की दर पर बुक लाभ और कर के समय अंतर के परिणामस्वरूप आस्थगित कर ।

25.15 Use of Estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amounts of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Differences between actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known/ materialised.

25.16 Borrowing Costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

25.17 Foreign Currency Transactions:

Current Assets and Liabilities relating to foreign currency transactions are translated at the exchange rate prevailing as on the date of Balance Sheet and exchange difference arising on settlement of the transactions is recognised in the Statement of Profit and Loss Account. No adjustment in respect of exchange difference is made in the accounts in respect of disputed receivables/payables in foreign currency.

25.18 Earnings per share:

The basic and diluted earnings per share is computed by dividing the net profit attributed to the equity shareholders for the year, by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

25.19 Taxation:

Deferred Tax

Deferred tax resulting from timing differences between tax and book profits is accounted for under the liability method, at the current rate of tax.

आस्थागित कर को मान्यता प्राप्त है, बशर्ते कि प्रुडेन्स् टाईमिंग डिफरन्स पर, जो कर योग्य आय और गणना की आय के बीच अंतर के रूप में होगा, जो एक अवधि में उद्भूत होता है और एक या अधिक परवर्ति अवधि में प्रत्यावर्तन की क्षमता से योग्य है । आस्थागित कर आस्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि इस प्रकार की उचित सुनिश्चितः है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूद्ध आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जा सकेगी है ।

वर्तताान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों के अनुसार अनुमानित कर देयताओं के आधार पर लेखो में वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है ।

25.20 पट्टा (लीज) परिचालन :

पट्टे पर व्यवस्था को, जहाँ परिसंपत्ति की जोखिम और प्रतिफल घटना का मालिकत्व पर्याप्त रूप से पट्टाकर्ता के पास निहित है, परिचालन पट्टे को मान्यता दी गई है । परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया को लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाईन बेसिस पर मान्यता दी गई है।

25.21 आस्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन पत्र पर निर्धारण किया जाता है, जहाँ कोई संकेत विद्यमान है कि आस्तिें की क्षति हुई है । यदि इसी प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है, क्षति की हानि यानि राशि का, जिसके द्वारा आस्तियों की वर्तमान राशि वसूली राशि से अधिक है, लेखों में प्रावधान किया है । पहले के लेखा अवधि में सामान्य impairment हानि को पीछे लौटाया गया है, यदि वसूली योग्य राशि के आंकलन में कोई परिवर्तन हुआ है ।

25.22 सरकारी अनुदान :

पूँजी अनुदान

रिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के मामले में, सकल मूल्य से अनुदान की कटौती दर्शाने के बाद इसका बुक वैल्यू किया जाता है । जहाँ अनुदान संपूर्ण राशि या वस्तुतः परिसंपत्तियों की संपूर्ण लागत के समकक्ष होता है, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों को नामपत्र मूल्य दर्शाया जाता है ।

राजस्व अनुदान :

लाभ एवं हानि खाते में राजस्व अनुदान को मान्यता दी गई है ताकि संबंधित लागत /हानियों के साथ उसका

Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Current Tax

Provision for the current income tax is made in the accounts on the basis of estimated tax liability as per the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961.

25.20 Operating Lease:

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor, are recognised as operating leases. Lease rents under operating leases are recognised in the Statement of profit and loss account on a straight line basis.

25.21 Impairment of Assets:

At each balance sheet an assessment is made whether any indication exists that an asset has been impaired. If any such indication exists, an impairment loss i.e. the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount is provided in the books of accounts. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

25.22 Government Grants:

Capital Grants

In case of depreciable Assets, the grant is shown as deduction from the Gross value to arrive at its book value. Where the grant equals the whole or virtually the whole of the cost of the Asset, the asset is shown in the Balance Sheet at a nominal value.

Revenue Grants

Revenue grants are recognised in the Statement of Profit and Loss account to match them with



मिलान हो सके, जिसकी क्षतिपूर्ति करना अभिप्रेत है । ऐसे अनुदानों को "अन्य आय" के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है ।

25.23. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

कंपनी प्रावधान करती है, जब गत घटना के परिणामस्वरूप, वर्तमान में दायित्व है, जहाँ आर्थिक स्त्रोतों पर बहिर्वाह संभव है और दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है ।

समाश्रित देयता के लिए प्रस्तुतीकरण किया जाता है, जब वहाँ:-

- संभाव्य दायित्व, उदाहरण (दृष्टांत) जिसकी एक या अधिक अनिश्चित मदों के घटना /अघटना द्वारा पुष्टि की जायेगी, जो कंपनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है ।
- वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है, जो स्त्रोतों के बहिर्वाह में आर्थिक लाभों को सम्मिश्रित करते हुए दायित्व का निर्धारण करना आवश्यक होगा ।
- वर्तमान दायित्व जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया गया है ।

वित्तीय विवरणियों में समाश्रित आस्तिओं को न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट किया गया है ।

the related costs/losses, which are intended to be compensated. Such grants are shown separately under 'Other Income'.

25.23 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Company makes a provision when there is a present obligation as a result of a past event where the outflow of economic resources is probable and a reliable estimate of the amount of obligation can be made.

A disclosure is made for a contingent liability when there is a :

- Possible obligation, the instance of which will be confirmed by the occurrence/non occurrence of one or more uncertain items, not fully within the control of the Company.
- Present obligation, where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.
- Present obligation where a reliable estimate cannot be made.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

लेखों के लिए नोट्स

26. आकस्मिक देयताएँ जिनका प्रावधान नहीं किया गया है ।

i) कंपनी के विरूद्ध कर्मचारी और अन्य के दावे, जिनकी राशि निश्चित और ऋण के रूप में नहीं मानी गई राशि 586.90 लाख रूपये है (गत वर्ष 594.11लाख रूपये)। इसके अलावा यदि विधिक मामले कंपनी के विरूद्ध निर्णित होते हैं तो दावा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा ।

ii) बिक्री कर की माँग 357.49 लाख रूपये (गत वर्ष 357.49 लाख रूपये), जिसके बारे में कंपनी ने अपील की है ।

iii) आयकर की मांग 221.91 लाख रू.(गत वर्ष 177.30 लाख रूपये) की राशि है, जिसके बारे में कंपनी ने आयकर आयुक्त के पास अपील की है ।

iv) वर्ष 2006-07 से 2011-12 के लिए रखरखाव प्रभार की 306.46 लाख रूपये का जो व्यय किया गया है उसके लिए सेवा कर विभाग से जो नाटिस प्राप्त हुई थी, उसका उत्तर सेवा कर विभाग को दिया जा चुका है ।

v) पंजाब संरचना कर पर ब्याज राशि 2838.67 लाख रूपये है, जिसमें 2451.78 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य से संबंधित है और 386.89 लाख रूपये वाणिज्यिक खरीद कार्य से संबंधित है (गत वर्ष कुल 2123.37 लाख रूपये की राशि थी जिसमें से 1865.74 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य से संबंधित है और 257.63 लाख रूपये वाणिज्यिक खरीद कार्य से संबंधित है) । कंपनी ने पंजाब संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2002 के अधीन कर के शुल्क के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की है । मामला न्यायालय के पास लंबित है ।

vi) कंपनी के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 7(ए) के अधीन जॉच के बाद सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने दि.3.2.2005 को जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में काम पर लगाये गए कर्मचारियों के लिए कंपनी को मुख्य नियोक्ता मानते हुए आदेश पारित करते हुए

Notes to the Accounts

26. Contingent Liabilities not provided for:

i) Claims of employees and others against the Company of which the amounts are ascertainable and not acknowledged as debts amounts to Rs. 586.90 lakhs (Previous year Rs. 594.11 lakhs). In addition, interest on the claimed amount may have to be paid if legal cases are decided against the Company.

ii) Sales Tax demands amounting to Rs. 357.49 lakhs (Previous year Rs.357.49 lakhs) in respect of which the Company is in appeal.

iii) Income Tax demands amounting to Rs. 221.91 lakhs (Previous year Rs.177.30 lakhs) in respect of which the Company is in appeal before Commissioner of Income Tax (Appeal).

iv) Show cause notice received from Service Tax Department towards service tax on carrying charges collected from 2006-07 to 2011-12 for an amount of Rs. 306.46 lakhs for which reply has been submitted to Service Tax Department.

v) Interest on Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs. 2838.67 lakhs comprises of Rs. 2451.78 lakhs pertaining to MSP operations and Rs.386.89 lakhs of CP operations. (Previous year totaling Rs. 2123.37 lakhs comprises of Rs. 1865.74 lakhs pertaining to MSP operations and Rs. 257.63 lakhs of CP operations.) The Company has filed SLP in Supreme Court against levy of Cess under Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Act 2002. Matter is pending with the Court.

vi) In an inquiry u/s. 7 (A) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 against the Company, the Assistant Provident Fund Commissioner has passed an order dated 3.2.05 holding the Company as the Principal Employer

यह निदेश दिया है कि इस प्रकार की सभी जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के कर्मचारियों के ब्यौरे, जिनके पास भविष्य निधि का पी.एफ.कोड नंबर नहीं है तथा जिनके पी.एफ.कोड नंबर हैं, उनका भविष्य निधि जमा के प्रमाणन चालान के ब्यौरों के साथ प्रस्तुत करें । कंपनी द्वारा उक्त आदेश को ई.पी.ई. अपीली अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई है । माननीय अपीलीय ट्रिबूनल, नई दिल्ली द्वारा 20 अक्तूबर, 2010 को पारित आदेश द्वारा अपील खारिज की गयी है । कंपनी ने आगे 30 दिसंबर, 2010 की याचिका द्वारा माननीय बांबे हाई-कॉर्ट में अपील के निर्णय को चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटान किया है और भविष्य निधि आयुक्त, वाशी तथा अपीलीय अधिकरण के आदेश दि. 3.12.2004 तथा 20.10.2010 को अलग रख दिया है तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त को निदेश दिया कि सभी पार्टियों को नये सिरे से निदेश जारी करें और माामले पर नये सिरे से विचार करें । अब यह मामला कमीशनर, ईपीएफओ, वाशी के पास लंबित है । इसमें शामिल राशि अनिश्चित है ।

vii) पूँजी लेखा पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित नहीं की गई है और शून्य रूपये के लिए (गत वर्ष शून्य रूपये) प्रावधान नहीं किया गया है ।

27. समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर हुई हानि 20569.05 लाख रूपये (गत वर्ष 453.00 लाख रूपये) है और 3173.08 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य रूपये) जो हानि बफर स्टॉक परिचालन के अंतर्गत हुई है, उसकी गणना एएस-12 प्रावधान के अंतर्गत की गयी है, उसकी प्रतिपूर्ति जो भारत सरकार द्वारा की जानी है । इसमें निम्न व्यय/ हानियाँ शामिल है :-

(i) प्रशासकीय और स्थापना खर्चो को खरीद की गई गाँठों के आधार पर बांटा गया है ।

(ii) खरीदी गई कपास गाँठों के मूल्य पर आधृत अचल परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास ।

(iii) निधियों पर ब्याज, जिसमें बैंक ऋण के साथ-साथ अपनी स्वयं की निधि भी शामिल है, के लिए गणना की गई है :-

of the workers of ginning and pressing factories engaged by the Company and directed the Company to make available to him the details of the employees of all such factories which are not having P.F. Code along with challans evidencing deposit of provident fund of those factories which are having code number and complying. The said order was challenged by the Company before E.P.F. Appellate Tribunal, New Delhi. The appeal was dismissed vide order dated 20th October, 2010 passed by the Honorable Appellant Tribunal, New Delhi. The Company further challenged the decision of the appeal before the Honorable Bombay High Court by way of writ petition on 30th December, 2010. The High Court disposed of the writ Petition & set aside order 3/12/2004 & 20/10/2010 of PF Commissioner, Vashi and the appellate Tribunal and with the direction to Assistant Provident Fund Commissioner to issue fresh notice to all parties and consider the matter a fresh. The same is now pending with Commissioner, EPFO Vashi. The amount involved is indeterminate.

vii) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. NIL (Previous year Rs. NIL).

27. Losses amounting to Rs. 20569.05 lakhs (Previous year Rs. 453.00 lakhs) arise on account of Support Price operations and Rs. 3173.08 lakhs (Previous year Rs. Nil) arise on account of Buffer Stock Operation, accounted for under the provision of AS-12 are reimbursable by the Government of India. These expenses/ losses includes:

i) Administrative and establishment expenses, apportioned on the basis of number of bales purchased.

ii) Depreciation on Fixed Assets allocated based on the value of the bales purchased.

iii) Interest on funds which includes bank borrowings as well as own funds deployed, computed for the following periods:-

क) गाँठों में बदलने के लिए संसाधन प्रक्रिया यानि कपास की खरीद की तारीख से गाँठों की प्रेसिंग की तारीख तक ।

ख) गॉठों के प्रेसिंग की तारीख से गाँठें उठवाने की तारीख तक के लिए बेची गई और उठायी गई गांठों के लिए ।

ग) गाँठों की प्रेसिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक, यानि 31.3.2013 तक अनबिकी गाँठें और बेची गयी लेकिन न उठवाई गई गाँठों के लिए ।

घ) वर्ष के आरंभ में बकाया राशि के लिए ब्याज को भुगतान की प्राप्ति तक लगाया गया है।

* बफर स्टॉक परिचालन के आधार की हानि के लिए वस्त्र मंत्रालय से पुष्टि के अधीन ।

(iv) कपास के खरीद मूल्य के आधार पर तिरपालों के खर्चो को आबंटित किया गया है ।

(v) प्रेस की गई गाँठों की संख्या के आधार पर हैसियन /ग्रे कपड़े के खर्चो को आबंटित किया गया है ।

(vi) वर्ष के दौरान मायक्रोनेयर टेस्टर तथा मोईश्चर मीटर्स जैसे परीक्षण सामग्री की लागत की खरीद की राशि शून्य रूपये है (गत वर्ष 20.23 लाख रूपये)।

(vii) विक्रय और वितरण व्यय वास्तविक आधार पर लिये गये हैं ।

28. बफर स्टॉक परिचालनः

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार निगम ने गुजरात राज्य में बफर स्टॉक के अंतर्गत खरीद कार्य किया और निगम को 3173.08 लाख रूपये की हानि हुई (गत वर्ष शून्य) । आयसीएआय द्वारा जारी एएस-12 के प्रावधानों के अनुसार इन हानियों की गणना की गई है, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है । न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यापार लेखा के लिए अनुमोदित मार्गदर्शन के आधार पर हानि के दावे के लिए बफर स्टॉक परिचालन का व्यापार लेखा तैयार किया गया है । निगम ने दि.17.5.2012 को ही वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया है, जो अभी प्राप्त होनी बाकी है । फिर भी, 28 फरवरी, 2013 को समाप्त अवधि के लिए किये गये 3183.39 लाख रूपये में से दि. 2.4.2013 को 1015.94 लाख रूपये की

a) Process cycle for conversion of bales i.e. from the date of purchase of kapas up to the date of pressing of bales.

b) For bales sold and lifted from the date of pressing of bales up to the date of lifting of bales.

c) For unsold bales and bales sold but unlifted, from the date of pressing of bales till the end of the year i.e. 31.3.2013.

d) For the amount outstanding in the beginning of the year, interest is charged till receipt of the payment.

*Confirmation from the Ministry of Textile for basis for losses under Buffer Stock Operation is awaited.

iv) Tarpaulins expenditure allocated on the basis of purchase value of cotton.

v) Hessian/gray cloth expenditure allocated on the basis of the number of bales pressed

vi) Cost of testing equipments namely Micronaire Testers and Moisture meters, purchased during the year amounting to Rs. Nil (Previous Year Rs. 20.23 lakhs).

vii) Selling and Distribution expenses are on actual basis.

28. Buffer Stock Operations:

As per mandate given by Government of India, Ministry of Textile, the Corporation had undertaken buffer stock operations in the state of Gujarat and incurred Losses amounting to Rs. 3173.08 lakhs (Previous Year Nil).These losses have been accounted for as per the provisions of AS-12 issued by ICAI and are reimbursable subject to the approval by the Government of India.

The trading account of Buffer Stock operations for claiming losses has been prepared based on the approved guidelines on MSP Trading account. The Corporation has already sought approval from Ministry of Textiles, Government of India on 17.05.2012 which is yet to come. However, Ministry of Textiles has reimbursed a sum of Rs. 1015.94 lakhs on 02.04.2013 out

प्रतिपूर्ति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है ।

29. अन्य आय में शून्य रू. (गत वर्ष 4496.44 लाख रू.) तथा पूर्व अवधि की आय 26.99 लाख रू. (गत वर्ष 805.52 लाख रू.) शामिल है जो कुल 26.99 लाख रू. (गत वर्ष 5301.96 लाख रू.) बनती है, जो चूककर्ता खरीददारों से उनको आरंभ में बेची गयी मात्रा की पुनः बिक्री से उत्पन्न हानियों के लिए जमा राशि, अग्रिम, लदान प्रभार, ऋण शेष और उस पर ब्याज से कंपनी द्वारा बनायी गयी/अपनायी गयी लेखा नीति में परिवर्तन के कारण आय के रूप में मानी गयी है ।

30. व्यापार प्राप्ति योग्य में एनटीसी सहायिकायें, संस्थागत खरीददार, अन्य व्यापार प्राप्ति योग्य, ऋण और अग्रिम जमा राशि, जमा राशियाँ अन्य वर्तमान आस्तियाँ तथा भुगतान योग्य व्यापार पुष्टीकरण/समाशोधन के अधीन है

31. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का प्रस्तुतीकरण :

कंपनी ने पिछले वर्षों में ही आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदान करनेवाली संस्थाओं से पुष्टि प्राप्त की है, जिन्होंने मायक्रो, स्माल एंड मीडियम एन्टरप्राईजेस डेवलपमेंट एक्ट, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट, 2006) के अंतर्गत जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर किया है तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अंतर्गत मायक्रो, स्माल एंड मीडियम एन्टरप्राईजेस को देय शेष 2733.02 लाख रूपये है ।

(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि तथा उस पर देय ब्याज का शेष भुगतान :

(लाख रूपये में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष
मूल राशि*	2733.02	205.88
ब्याज	130.76	60.75

* इसमें ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो संविदा की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों से प्राप्त हुआ है ।

of provisional claim made by us amounting to Rs. 3183.39 lakhs up to the period ended on 28th February, 2013.

29. Other Income includes Rs. Nil (Previous Year Rs. 4496.44 lakhs) and Prior period Income includes Rs. 26.99 lakhs (Previous Year Rs. 805.52 lakhs) totaling Rs.26.99 lakhs (Previous year Rs. 5301.96 lakhs) towards deposits, advance carrying charges, credit balances and interest thereon received from defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them has been considered as income.

30. Trade Receivable comprising NTC Subsidiaries, Institutional Buyers, Other Trade Receivable, Loans and Advances, Deposits, Other Current Asset and Trade Payable are subject to confirmation/Reconciliation.

31. Disclosure for Micro and Small Enterprises:

The Company has obtained confirmations from suppliers and service providers in earlier years who have registered themselves under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) and based on the information available with the company, the balance due to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under the MSMED Act, 2006 is Rs. 2733.02 lakhs.

(i) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year:

(Rs. In Lakhs)

	Year ended 31 March, 2013	Year ended 31 March, 2012
Principal*	2733.02	205.88
Interest	130.76	60.75

*Includes interest free security deposits received from contractors as per the terms of the contract.

(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट ॲक्ट- 2006 की धारा-16 की शर्तो के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि "शून्य" है। (गत वर्ष शून्य रूपये)

(iii) ब्याज के कारण और भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय राशि जहां मूल का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया किन्तु मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट - 2006 के अधीन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया - "शून्य" है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज राशि और शेष अप्रदत्त राशि "शून्य" है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

(v) आगे देय ब्याज की बकाया राशि और आगामी वर्षो में भी देय उस तारीख तक जब उपर्युक्त बकाया राशि वास्तविक रूप से छोटे उद्यमों को भुगतान किया गया है, जो मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट- 2006 की धारा-23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में डिसअलाउन्स प्रयोजन के लिए देय 130.76 लाख रूपये है । (गत वर्ष 60.75 लाख रूपये)

कंपनी के पास उपरोक्त जानकारी जिस सीमा तक उपलब्ध है, दी गई है ।

32. वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयात की गई कपास की पुनः बिक्री पर 1679.63 लाख रूपये (गत वर्ष 1679.63 लाख रूपये) की राशि हानि के लिए संविदागत गॉठें विभिन्न मिलों द्वारा न उठाने के कारण वसूली योग्य परिसमापन क्षति के कारण बकाया थी । कंपनी को भारत सरकार से इसकी प्राप्ति हो चुकी है । इस प्रकार के चूककर्ताओं के विरूद्ध परिसमापन क्षति के रूप में वसूली योग्य हानियाँ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या, में मामलों के रूप में लंबित हैं । चूककर्ता खरीददारों से जमा की गयी राशि, ऐसे मामले के लंबित रहने तक भारत सरकार को देय अन्य देय शीर्ष के अंतर्गत (संदर्भ नोट-3) इस प्रकार के मामलों के निपटान हेतु ली गयी है ।

(ii) The amount of interest paid by the company in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year is –Rs. NIL (Previous Year Rs NIL)

(iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (where principal has been paid but Interest under MSMED Act 2006 not paid is –Rs. NIL (Previous Year Rs NIL)

(iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year is- Rs. Nil (Previous Year Rs NIL)

(v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is – Rs. 130.76 lakhs (Previous Year Rs 60.75 lakhs).

The above information is given to the extent available with the Company.

32. On account of liquidated damages recoverable from various mills for their failure to lift the contracted bales an amount of loss of Rs. 1679.63 lakhs (Previous Year Rs. 1679.63 Lakhs) on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 and 1977-78 were outstanding. The same has already been received by the Company from the Government of India. The losses recoverable towards liquidated damages against such defaulters are pending in form of large no of cases before Honorable Bombay High Court. The amount collected from the defaulted buyers, pending such cases, has been accounted for on settlement of such cases, under the head of Other Long Term Liabilities - Other Payable (refer Note -3) being payable to the Government of India.



33. लेखा मानक 15 "कर्मचारी लाभ" द्वारा अपेक्षित कर्मचारी लाभों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(क) अंशदान योजनाओं की परिभाषा :

कंपनी ने लाभ तथा हानि खाते में निम्न राशियों को मान्यता दी है :-

रूपये लाख में

	2012-13	2011-12
भविष्य निधि तथा भविष्य निधि पेन्शन फंड में अंशदान	489.48	480.94
अधिवर्षिता निधि के लिए अंशदान (कर्मचारी द्वारा अभ्यर्पित लाभ के मूल्य को शामिल करते हुए)	362.54	125.35

(ख) लाभ योजनाओं की परिभाषा/दीर्घावधि प्रतिपूर्ति :

दि.31.3.2013 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कर्मचारी लाभ योजना के संबंध में वित्तीय विवरणियों में मान्य है ।

33. Details of Employee Benefits as required by the Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" are as follows:

A Defined Contribution Plans:

The Company has recognized the following amounts in the profit and loss account:

Rs. in lakhs

	2012-13	2011-12
Contribution to Provident Fund and Pension Fund	489.48	480.94
Contribution to Superannuation Fund (Including value of surrendered benefit by employees)	362.54	125.35

B. Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences-

As per Actuarial Valuation as on 31.03.2013 and recognized in the financial statements in respect of Employee Benefit Schemes :

(रूपये लाख में) / (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S. No	ब्यौरे PARTICULAR	उपदान (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment (अनिधिक) (non funded)	
		As on 31.3.2013	As on 31.3.2012	As on 31.3.2013	As on 31.3.2012
i.	**नियोक्ता व्यय के घटक** **Components of employer expense**				
	(क) वर्तमान सेवा लागत (a) Current service cost	98.12	121.26	139.61	119.75
	(ख) ब्याज लागत (b) Interest cost	301.42	265.76	268.77	180.06
	(ग) परिसंपत्ति योजना पर अपेक्षित प्राप्ति (c) Expected return on plan assets	(296.53)	(248.01)	0.00	0.00
	(ड) बीमांकिकी हानि (d) Actuarial Losses	123.54	559.20	(271.59)	1229.71
	लाभ तथा हानि खाता विवरणी में मान्यता प्राप्त कुल व्यय Total expenses recognized in the Statement of Profit & Loss Account	226.55	698.21	136.79	1529.52
ii.	**वास्तविक अंशदान तथा लाभ भुगतान** **Actual contribution and Benefit payments**				
	वास्तविक लाभ का भुगतान / Actual benefit payments	622.63	487.41	(651.94)	(487.97)
	वास्तविक अंशदान / Actual contribution	698.21	357.50	651.94	487.97
iii.	**तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व** **Net liability recognized in Balance Sheet**				
	परिभाषित लाभ बाध्यता की दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation	3626.00	3759.32	2837.74	3348.31
	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	3399.45	3061.11	00.0	0.00
	तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व Net liability recognized in Balance Sheet	(226.55)	(698.21)	(2837.74)	(3348.31)
iv.	**परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन** **Change in Defined Benefit Obligations**				
	वर्ष के प्रारंभ में लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the beginning of the year	3759.32	3343.76	3348.31	2306.76
	वर्तमान सेवा लागत / Current service cost	98.12	121.26	139.61	119.75
	ब्याज लागत / Interest cost	301.42	265.76	268.77	180.06
	बीमांकिकी हानि / Actuarial losses	89.76	515.95	(271.59)	1229.71
	देयता का स्थानांतरण / Liability transfer in	0.00	0.00	4.58	0.00
	भुगतान किए गए लाभ / Benefits paid	(622.62)	(487.41)	(651.94)	(487.97)
	वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the end of the year	3626.00	3759.32	2837.74	3348.31

(रूपये लाख में) / (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S. No	ब्यौरे PARTICULAR	उपदान (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment (अनिधिक) (non funded)	
		As on 31.3.2013	As on 31.3.2012	As on 31.3.2013	As on 31.3.2012
v.	**संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन** **Change in Fair Value of Assets**				
	वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति योजना Plan assets at the beginning of the year	3061.11	2986.26	0.00	0.00
	परिसंपत्ति योजना पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual return on plan assets	296.53	248.01	0.00	0.00
	वास्तविक कंपनी अंशदान Actual Company contribution	698.21	357.50	0.00	0.00
	भुगतान किये गये लाभ Benefits paid	(622.63)	(487.41)	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में संपत्ति योजना पर बीमांकिकी लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	(33.77)	(43.25)	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में संपत्ति योजना Plan assets at the end of the year	3399.45	3061.11	0.00	0.00
vi.	**बीमांकिकी धारणा** **Actuarial Assumptions**				
	छूट की दर (%) Discount Rate (%)	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
	परिसंपत्ति योजना पर प्रत्याशित प्राप्ति (%) Expected Return on plan assets (%)	8.60%	8.60%	0.00%	0.00%
	वेतन वृद्धि (%) Salary escalation (%)	6.00%	7.00%	6.00%	7.00%
vii.	**कुल परिसंपत्ति योजना के प्रतिशत के अनुसार परिसंपत्ति योजना की मुख्य श्रेणियाँ :** **The major categories of plan assets as percentage of total plan assets**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**
	भारत सरकार परिसंपत्तियाँ Government of India Assets	39.48%	19.45%	0.00	0.00
	कारपोरेट बाँडस् Corporate Bonds	51.54%	66.49%	0.00	0.00
	विशेष जमा राशि योजना Special Deposits Scheme	5.52%	6.13%	0.00	0.00
	अन्य Other	3.46%	7.93%	0.00	0.00

viii	अनुभव समायोजन / Experience Adjustment	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
क. a.	**उपदान / Gratuity**					
	डिफाईन्ड बेनफिट ओब्लिगेशन Defined Benefit Obligation	3626.00	3759.32	3343.76	3208.81	2937.35
	नियोचित आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Planned Assets	3399.45	3061.11	2986.26	2820.90	1631.32
	अधिशेष/घाटा / (Surplus)/Deficit	226.55	698.21	357.50	387.91	1306.03
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Liabilities [(Gain)/Loss]	89.76	515.95	270.23	238.89	1208.43
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Assets [(Gain)/Loss]	(33.77)	(43.25)	(30.66)	(37.29)	-
ख. b.	**छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment**					
	डिफाईन्ड बेनफिट ओब्लिगेशन Defined Benefit Obligation	2837.74	3348.31	2306.76	-	-
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (लाभ/हानि) Experience Adjustment on Plan Liabilities [(Gain)/Loss]	(267.01)	1229.71	291.94	-	-

*31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 संपत्ति योजना निवेश सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा बॉन्डस् में किया गया ।

* As at March 31, 2013 and March 31, 2012 the plan assets have been invested in Government Securities & Bonds.

34 लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक
34 Auditor's Remuneration

	ब्यौरे / Particular	2012 - 2013 (Rs. in Lakhs)	2011 - 2012 (Rs. in Lakhs)
क) a)	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fee	10.00	10.00
ख) b)	कर / वॅट लेखा परीक्षा शुल्क Tax / VAT Audit Fees	5.03	5.50
ग) c)	प्रमाणीकरण के लिए For certification	0.50	0.50
घ) d)	खर्चो की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Expenses	2.78	0.44
	कुल / Total	**18.31**	**16.44**



35 (क) अकोला शाखा में दि.6.5.2010 को पुसद केंद्र के एमएसडब्ल्यूसी गोदाम में 1212 पूर्णबंधित गॉठों का एक दुर्विनियोग पाया गया । दोषी के विरूद्ध पुलिस स्टेशन पुसद में एफआयआर सं.117/10 दि.8.5.2010 द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया । कथित 1212 पूर्णबंधित गॉठों का मूल्य लगभग 150.63 लाख रू. है । कथित मामला संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 900 पूर्णबंधित गॉठों को प्राप्त किया और उन्हें जब्त किया । ये 900 गांठें एल.सी.बी. यवतमाल के कबजे. में है और पुसद में एमएसडब्लयूसी गोदाम में भंडारित हैं । कंपनी ने इन गांठों के कबजे. और बिक्री के लिए मान. न्यायालय में आवेदन किया है । 37.49 लाख रू. की राशि की 300 पूर्णबंधित गॉठें दोषी से वसूल हुई है और एल.सी.बी. यवतमाल जांच कार्यालय में जमा की गयी है । शेष 12 पूर्णबंधित गॉठों के पुलिस जांच चल रही है । उपरोक्त को स्टॉक के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है तथा इस बारे में किसी प्रकार की प्राप्ति को जब कभी प्राप्त किया जायेगा, गिना जायेगा ।

(ख) गुंतूर शाखा में वर्ष 2007-08 के दौरान 233 कपास गॉठों के स्टॉक और 28882 मीटर्स ग्रे क्लॉथ के स्टॉक का दुर्विनियोजन पाया गया तथा मूल्यांकन प्रयोजन के लिए इसे अंतिम स्टॉक के रूप में नहीं माना गया है । मामला अब ट्रायल कॉर्ट के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 100 कपास गॉठें प्राप्त की है जो पुलिस द्वारा कंपनी को सौंपी गयी थी । कथित 100 कपास की गॉठें माननीय न्यायालय चिलकालूरीपेट के आदेश के अनुसार वर्ष 2010-11 में बेची गयी थी और 20.81लाख रू. की राशि प्राप्त हुई । 0.84 लाख रू. की राशि गॉठों के निपटान के लिए खर्च के रूप में काटने के बाद 19.98 लाख रू की राशि दि. 19.4.2011 को न्यायालय में जमा की गयी । मामले का निपटान होने के बाद इसे गिना जायेगा ।

36. भारत सरकार से अवधि और लागू तारीख का विशेष रूप से उल्लेख करने से संबंधित अधिसूचना के अभाव में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत टर्न-ओवर पर कर देय है, जिसका निर्धारण नहीं

35. (a) In Akola branch a misappropriation of 1212 FP bales at MSWC godown, Pusad Centre was noticed on dated 06.05.2010. A Criminal case is registered against the accused at police station Pusad vide FIR no. 117/10 dated 08.05.2010. The value of the said 1212 FP Bales is approx Rs.150.63 lakhs. The said case is still under investigation by the concerned police authorities. During the investigation Police recovered 900 FP Bales and ceased. These 900 bales are in the possession of L.C.B. Yeotmal and are stored in MSWC godowns at Pusad. The Company applied to the Honorable Court, Yeotmal for possession and sale of these bales. Value of 300 FP bales amounting to Rs. 37.49 lakhs has been recovered from the accused and deposited with the Investigating office L.C.B. Yeotmal. For balance 12 FP bales police investigation is in progress. Currently the case is investigated by CID, Amravati. The above is not considered in the valuation of the stock and any realization on this account will be accounted as and when received.

(b) In Guntur branch, during the year 2007-08, misappropriation of stock of 233 cotton bales and 28882 meters of Grey Cloth was observed and the same was not considered as Closing Stock for valuation purpose. The matter is now under Trial Court. During investigation Police recovered 100 cotton bales, which were handed over by the police to the Company. The said 100 cotton bales were sold during 2010-11 as per order of the Honorable Court, Chilakaluripet and an amount of Rs. 20.81 lakhs was realized thereof. The amount of Rs. 19.98 lakhs after deducting expenses on disposal of bales of Rs. 0.84 lakhs has been deposited with the court on 19.4.2011. The same will be accounted as and when the case is settled.

36. In absence of relevant notification by the Government of India specifying the period and applicable date at which cess on turnover is payable under section 441A of the Companies

किया गया है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

37. प्रमाणित मात्रात्मक प्रकटन

(क) आरंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और कच्चे माल का अंतिम स्टॉक, बेचे गये और तैयार माल के पण्यवार ब्यौरे

Act, 1956, the same is not determinable and hence not provided for.

37. Quantitative Disclosure

A) Commodity wise breakup of opening stock, purchases, sales and Closing Stock of Raw Material, Traded and Finished Good.

कच्चा माल / Raw Material	**उपभोग / Consumption**	
	मात्रा (क्विंटल में) **Quantity (In Qntl.)**	**मूल्य (रू. लाख में)** **Value (Rs. In Lakhs)**
कपास*** Kapas**	**13211395** (916689)	**529641.57** (44242.62)
पैकिंग सामग्री Packing Material	**-**	**837.65** (122.20)
तारपोलिन Tarpulins	-	**270.94** (504.88)
कुल Total	-	**530750.16** (44869.70)

विपणित माल / **Traded Goods**	**खरीद / Purchases**	
	मात्रा (क्विंटल में) **Quantity (In Qntl.)**	**मूल्य (रू. लाख में)** **Value (Rs. In Lakhs)**
तैयार पूर्ण-बंधित गाँठें Ready FP Bales	**2100** (200)	**229.14** (21.45)
कुल Total	**2100** (200)	**229.14** (21.45)

माल का स्वरूप Nature of Goods	बिक्री Sales		अंतिम मालसूची (रू. लाख में) Closing Inventory (Rs. In lakhs)		आरंभिक मालसूची (रू. लाख में) Opening Inventory (Rs. In lakhs)	
देशी कपास संसाधन **Domestic Cotton Processing**	मात्रा Quantity	मूल्य (रू. लाख में) Value (Rs. In Lakhs)	मात्रा Quantity	मूल्य (रू. लाख में) Value (Rs. In Lakhs)	मात्रा Quantity	मूल्य (रू. लाख में) Value (Rs. In Lakhs)
पूर्णबंधित गाँठें(संख्या में) FP Bales (In No.)	***369909** (820866)	**60691.67** (156904.97)	**2255723** (102676)	**397635.13** (16831.05)	**102676** (726517)	**16831.05** (152158.53)
रूई (क्विंटल में) Lint (In Qntls)	****4240111** (325783)	**21.07** (27.77)	**99** (141)	**9.98** (13.78)	**141** (19)	**13.78** (2.53)
बिनौला (क्विंटल में) Seeds(In Qntls)	**8314667** (663533)	**114384.59** (9383.71)	**202646** (27790)	**2595.88** (449.97)	**27790** (71850)	**449.97** (999.48)
कुल **Total**		**175097.33** (166316.45)		**400240.99** 17294.80		**(17294.80)** (153160.54)
विपणित माल **Traded Goods**						
तैयार पूर्ण-बंधित गाँठें Ready FP Bales	**2100** (200)	**232.92** (21.69)	**0.00** (0.00)	**0.00** 0.00	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)
कुल **Total**	**2100** (200)	**232.92** (21.69)	**0.00** (0.00)	**0.00** 0.00	**0.00** (0.00)	**0.00** (0.00)

नोटः- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित है.

* पूर्ण-बंधित गाँठों में, शून्य (गत वर्ष 200) अग्नि में खोयी/ क्षतिग्रस्त/ चोरी/परिवहन में खोयी आदि शामिल है, उसे पिछले वर्ष के अनुसार सामान्य हानि मानी जाएगी, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

** पूर्ण-बंधित गाँठों के लिए खपत हुई रूई का प्रतिनिधित्व करता है तथा 562.35 क्विंटल (गत वर्ष शून्य), जो अग्नि में नष्ट हुई हैं, उसके लिए बीमा दायर किए गए हैं.

*** अग्नि में नष्ट 5342.44 क्विंटल (गत वर्ष शून्य) कपास शामिल है, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

Notes: Figures in bracket relates to previous year

* Includes NIL (Previous Year 200) F.P. bales lost in fire, damages/ theft/ transit loss etc is being treated as normal loss as followed in previous years for which insurance claims lodged

** Represent lint consumed for FP bales and included 562.35 qtls (Previous Year Nil) lint lost in fire for which insurance claim lodged.

*** includes 5342.44 qtls. (Previous Year NIL) kapas lost in fire for which insurance claims lodged.

(ख) विदेशी मुद्रा में अर्जन :
(B) Earnings in Foreign Exchange:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	2012-2013	2011-2012
माल के निर्यात पर : **Export of Goods on :-**		
एफ.ओ.बी.आधार पर FOB basis	Nil	3214.22
सी एंड एफ आधार पर C & F basis	Nil	Nil
निर्यात पर निकासी प्रभार तथा विनिमय अंतर Carrying charges & Exchange difference on Export	Nil	86.28

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)
(C) Expenditure in foreign currency (on Cash Basis)

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	2012-2013	2011-2012
(i) यात्रा Travelling	3.35	9.66
(ii) पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं अभिदान Books, Periodicals & Subscription	4.19	3.38
(iii) निर्यात पर कमीशन Commission on export	Nil	Nil

38. सेग्मेंट रिपोर्टिंग :

क) कंपनी मुख्य रूप से कपास व्यापार का कार्य करती है । संघटनात्मक ढाँचा और आंतरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उसमें जोखिम और लाभ का कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह केवल रिपोर्ट योग्य व्यापार का एक भाग है, जिसमें अनुपयुक्त सुविधाओं से उत्पन्न आय शामिल है ।

ख) चूँकि भारत के बाहर बिक्री, कुल बिक्री के 10% से कम है, भौगोलिक सेग्मेंट का रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

38 Segment Reporting:

a) The Company is predominantly engaged in cotton trading. Considering the organizational structure and internal reporting system, there are no differing risk and returns, this is the only reportable business segment which includes income arising from idle facilities.

b) The sales outside India is less than 10% of the total sales, hence Geographical segment is not reported.

39. प्रति शेयर पर आय की गणना
Calculation of Earning / (Loss) per share

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

ब्यौरे / Particular	31.3.2011 को As on 31.3.2013	31.3.2010 को As on 31.3.2012
क) विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि) (लाख रूपये में) A) Profit/(Loss) Available for Appropriation (Rs. in Lakh)	3270.05	(17989.28)
ख) ईक्विटी शयर्स की वेटेज औसत संख्या B) Weighted Average No. of Equity Shares (No's)	25,00,000	25,00,000
ग) प्रति ईक्विटी शेयर्स नाममात्र मूल्य C) Nominal Value Per Equity Shares (Rs)	100	100
घ) मूल और तनुकृत आय/(हानि) प्रति शेयर्स (रू) (क/ख) D) Basic and Diluted Earnings/(Loss) per shares (Rs.) (A/B)	130.80	(719.57)

40. संबंधित पार्टी की घोषणा
Related Party Disclosure

1) संबंधित पार्टियों की सूची जिसके साथ सौदा किया गया तथा संबंध :
List of Related Parties with whom transactions have taken place and relationship:

क्र.सं. Sr. no.	संबंधित पार्टी का नाम Name of related party	संबंध Relationship
1.	श्री बी.के.मिश्र Shri B.K. Mishra	
2.	श्री सी.एस.तेवतिया Shri C. S. Teotia (till 31/08/2012)	मुख्य प्रबंधन अधिकारी
3.	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल Shri Pradeep Kumar Agarwal	Key Management Personnel
4.	श्री एम.एम.चोक्कलिंगम Shri M M Chockalingam (Since 06.09.2012)	

2) वर्ष के दौरान सौदे (रूपये लाख में)
Transactions during the year : (Rs. in lakhs)

क) पारिश्रमिक
A. Remuneration

- वर्तमान वर्ष - Current Year	**76.26**
- गत वर्ष - Previous Year	(73.07)

निगमित कार्यकलाप मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 235 दि.31.01.1978 के अनुसार प्रबंधन पारिश्रमिक के बारे में धारा 309 और 198 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।
The provisions of section 309 and 198 in respect of Managerial Remuneration is not applicable to the Company vide notification no GSR 235 Dated 31/1/1978 issued by Ministry of Corporate Affairs.

ख) ऋण

B. Loans

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

निदेशको का नाम Directors Name	दि.1/4/2011 को आरंभिक शेष Opening Balance as on 1/4/2012	शेष वर्ष के दौरान लिये गये Taken during the year	वर्ष के दोरान भुगतान किये गये Repaid during the year	दि.31/3/2012 को बकाया शेष Balance o/s as on 31/3/2013	वर्ष के दौरान अधिकम बकाया शेष Maximum Balance o/s During the year
श्री सी.एस.तेवतिया Shri C.S. Teotia	0.03 (0.11)	0.00 (0.00)	0.03 (0.08)	0.00 (0.03)	0.03 (0.11)
श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल Shri Pradeep Kumar Agarwal	0.20 (0.24)	0.01 (0.01)	0.05 (0.05)	0.16 (0.20)	0.20 0.24
कुल Total	0.23 (0.35)	0.01 (0.01)	(0.08 (0.13)	0.16) (0.23)	0.23 (0.35)

41. गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनः निर्धारित /बतया गया है ।

41. The previous year figures have been regrouped / restated wherever necessary.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (बी. के. मिश्र) (B. K. Mishra) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	Sd/- (प्रदीप कुमार अग्रवाल) (Pradeep Kumar Agarwal) निदेशक (वित्त) Director (Finance)	Sd/- (एम. एम. चोक्कलिंगम) (M. M. Chockalingam) निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	Sd/- (मोहम्मद ज़फर रिजवानी) (Mohd. Zaffar Rizwani) कंपनी सचिव Company Secretary

दिनांक : 11-10-2013 Date : 11-10-2013
हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली Place of Signature : New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 11-10-2013
Date : 11-10-2013

हस्ताक्षर का स्थान : मुंबई
Place of Signature : Mumbai

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

दिनांक : 11-10-2013
Date : 11-10-2013

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली
Place of Signature : New Delhi

सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी विवरणी के लिए सांचा (सेवोत्तम)

सेवा सुपुर्दगी विवरणी के लिए टेम्पलेट (सांचा)

परिदृश्य विवरणी

मार्गदर्शन विषयः मंत्रालय/विभाग का दीर्घावधि लक्ष्य विजन (दृष्टि) है :

मंत्रालय/विभाग की दृष्टि

भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेन्सी के रूप में कार्य करना और देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कपास व्यापार में क्रमिक रूप से मार्केट शेयर बढाते हुए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कार्य-कलाप करना ।

मिशन विवरणी

मार्गदर्शन विषय : विजन (दृष्टि) को प्राप्त करने के लिए अल्पावधि संरचना या योजना मिशन है ।

वर्ष के लिए मिशन

1 जब कभी कपास के मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तक पहुँच जायें, तब भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य कार्य, किसी मात्रात्मक सीमा के बिना करना ।

2 देशी और अंतर्राष्ट्रीय कार्य-कलाप दोनों में, वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए खरीद और बिक्री कार्य करना और क्रमशः मीडियम टर्म में 10% मार्केट शेयर तक पहुँचाने का प्रयास करना ।

3 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए दीर्घ और अल्पावधि उपाय आरंभ करना, ताकि वस्त्रोद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप गुणवत्तावाली कपास का संसाधन प्राप्त किया जा सके ।

4 धारण और संसाधन में उत्कृष्ट प्रबंधन प्रथाओं के प्रोत्साहन द्वारा संदूषण-मुक्त कपास की उपलब्धता बढ़ाना ताकि यार्न, फेब्रिक और परिधान में विश्व स्पर्धा का सामना करने के लिए वस्त्रोद्योग की गुणवत्तावाली कपास की आवश्यकता पूरी की जा सके ।

वर्ष के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा अभिचिन्हित लक्ष्य

मार्गदर्शन विषयः अभिचिन्हित लक्ष्यों के बारे में मानदंडयोग्य कार्य-निष्पादन लक्ष्यों के साथ बतायें, जो इन लक्ष्यों के लिए निर्धारित किये गये हैं :

BENCHMARKING EXCELLENCE IN PUBLIC SERVICE DELIVERY (SEVOTTAM)

Template for Service Delivery Statement

Vision Statement

Guidance Text: 'VISION' is the long-term goal of the Ministry/Department

Vision of the Ministry/Department

To act as the Price Support Agency of the Government of India and to undertake commercially viable operations by gradual increase in market share, both in domestic and international cotton trade.

Mission Statement

Guidance Text: 'MISSION' is the short-term strategy or plan for achieving the vision

Mission for the year

1. To take up Price Support Operations on behalf of Government of India, as and when the kapas prices touch the support price fixed by the Government without any quantitative limit;

2. To take up purchases and sales ensuring commercial viability both in domestic and international operations gradually strive to reach 10% market share in medium term.

3. To initiate long and short term measures for modernizing ginning and pressing factories so as to achieve quality processing of cotton to match international standards for the textile industry.

4 To increase the availability of contamination free cotton by encouraging best management practices in handling and processing to meet quality cotton needs of textile industry to face the global competition in yarn, fabrics and made-ups.

Objectives for the year identified by the Ministry/ Department

Guidance Text: State the objectives identified along with measurable performance targets that have been set for these objectives:

लक्ष्य - सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार
Objectives - As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2012- 13 Target

	मूल्यांकन मानदण्ड Evaluation Criteria	यूनिट Unit	वेटेज (प्रतिशत में) Weightage (in %age)
1	**स्थैतिक वित्तीय पैरामीटर्स (50%)** **STATIC / FINANCIAL PARAMETER (50%)**		
क) **a)**	**वित्तीय संकेतक- अनुपात संबंधित लाभ** **Financial indicators - Profit related ratios**		
(i)	सकल मार्जिन/ सकल बिक्री Gross margin / Gross Sales	(%)	10.00
(ii)	ऑप.टर्नओवर/कर्म.की संख्या Operating turnover / No. of employees	लाख रू/कर्म. Rs. Lakhs/ employee	12.00
ख) **b)**	वित्तीय सूचकांक- आकार संबंधित **Financial indicators - Size related**		
(i)	सकल मार्जिन ** / Gross Margin**	करोड़ रू. Rs. Crore	8.00
(ii)	सकल बिक्री ** / Gross Sales **	करोड़ रू. Rs. Crore	4.00
ग) **c)**	**वित्तीय विवरणी- उत्पादकता संबंधित** **Financial returns - productivity related**		
(i)	पीबीडीआयटी/कुल रोजगार "PBDIT / Total Employment "	लाख रू/कर्म. Rs. Lakhs/ employee	7.00
(ii)	वर्धित मूल्य/ सकल बिक्री Added Value/ Gross Sales	(%)	9.00
	उप-कुल : (क+ख+ग) Sub- Total 1 (a+b+c)		50.00
2	**सक्रिय पैरामीटर्स (36%)** **DYNAMIC PARAMETERS (36%)**		
2.1	**अनुसंधान तथा विकास(परिशिष्ट-क)** **Research & Development (Annexure - A)**	**परिशिष्ट-क के अनुसार** **As per Annexure- A**	5.00
2.2	**सतत विकास (परिशिष्ट-ख)** **Sustainable development (Annexure - B)**	**परिशिष्ट-ख के अनुसार** **As per Annexure- B**	5.00
2.3	**निगमित सामाजिक दायित्व (परिशिष्ट-ग)** **Corporate Social Responsibility (Annexure - C)**	**परिशिष्ट-ग के अनुसार** **As per Annexure- C**	5.00
2.4	**निगमित शासन** **Corporate Governance**		
	(i) निगमित शासन निष्पादन मूल्यांकन पर आधृत वर्ष के लिए प्राप्त वार्षिक श्रेणीकरण (i) Annual Grading achieved for the year based on Corporate Governance Performance Evaluation.	वार्षिक स्कोर % Annual Score (%)	4.00
	ii) पी.ई.सर्वेक्षण-डीपीई को प्रस्तुत करना (ii) Submission of PE Survey to DPE	दिनांक Date	1.00

	मूल्यांकन मानदण्ड Evaluation Criteria	यूनिट Unit	वेटेज (प्रतिशत में) Weightage (in %age)
2.5	**मानव शक्ति प्रबंधन** (समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एचआरएम निष्पादन के लिए सांचे के अनुसार **परिशिष्ट-घ**) एचआरएम निष्पादन के लिए सांचे के अनुसार **Human Resource Management** (As per the Template for HRM Performance Evaluation under Memorandum of Understanding - **Annexure -D)**	एचआरएम निष्पादन के लिए सांचे के अनुसार Total Score of HRM performance Evaluation	5.00
** केवल वाणिज्यिक खरीद के लिए / ** Only for Commercial Operation			
2.6	**ग्राहक संतुष्टि / Customer Satisfaction**		
	(i) निर्यात के लिए बैक टू बैक एग्रीमेंट माडल तैयार करना (i) To formulate model back to back agreement for Export	दिनांक Date	3.00
	(ii) गाँठों का निर्यात (ii) Export of Bales	गाँठों की संख्या लाख No. of Bales in Lakhs	3.00
2.7	आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक योजना तैयार करना Preparation of viability Plan for Enhancement of Capacity Storage at Andhra Pradesh and Rajasthan.	दिनांक Date	5.00
	उप - कुल-2 / Sub- Total 2		**36.00**
3. विशिष्ट पैरामीटर्स क्षेत्र / Sector Specific parameters			
3.1	कपास की जिनिंग एवं प्रेसिंग के लिए संसाधन चक्र में सुधार Improvement in processing cycle for G&P of kapas		
	(क) संसाधन 15 दिनों में (%) (a) Processing within 15 days	(%)	2.00
	(ख) औसत संसाधन चक्र दिनों की सं. (b) Average Processing cycle	दिनों की सं. Nos. of days	2.00
3.2	गुणवत्ता शिकायतें (गांठों में कुल बिक्री का %) Quality complaints (% of total sales in bales)	(%)	2.00
	उप -कुल- 3 / Sub- Total 3		**6.00**
4. उद्यम का विशिष्ट एवं क्षमता मानदंड / Enterprises Specific & Efficiency Parameters			
4.1	दि.30.09.2012 को न बेचे गए स्टॉक की मालसूची (कपास मौसम खरीद का %) - लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र के अनुसार (%) Inventory unsold stock as on 30.09.2012 (% of cotton season purchases) - as per Auditors certificate	(%.)	3.00
4.2	किसानों को 8 दिन के अंदर सीधा भुगतान Direct Payment to farmers within 8 days	(%)	2.00
4.3	दि.01.04.2012 को लंबित सतर्कता/विभागीय मामलों का निपटान Disposal of Vigilance/D.E. Cases pending as on 01/04/2012	(%)	1.00
4.4	दि.31.3.2012 को विविध देनदारों में 50% घटौती 50 % reduction in Sundry Debtors as on 31.03.2012	दिनांक Date	2.00
	उप- कुल -4 / Sub- Total 4		**8.00**
	कुल (1+2+3+4) / Total (1+2+3+4)		**100.00**

परिशिष्ट-क
Annexure - A

2.1 अनुसंधान एवं विकास
Research & Development

तालिका 1 - अनिवार्य मानदंड - पीएटी के प्रतिशत के रूप में कुल अ.एवं वि.खर्च
Table 1 - Mandatory Parameter- Total R & D Expenditure as a percentage of PAT

क्र. सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	यूनिट Unit	वेटेज Weightage
1	2	3	4
1	कुल अनुसंधान एवं विकास खर्च Total R&D Expenditure	रू.लाख में Rs. in Lakhs	2.5

नोट : अनुसंधान एवं विकास के मार्गदर्शन के पैरा 3.8 के अनुसार यह बताया जाता है कि अनुसंधान एवं विकास पर खर्च पिछले वर्ष यानि वित्तीय वर्ष 2011-12 के पीएटी (कर पूर्व लाभ) के प्रतिशत के रूप में होना चाहिए । वित्तीय वर्ष 2011-12 में निगम को हानि की संभावना है । अतः निगम ने अनुसंधान एवं विकास खर्च को पूर्णतः रूपये के रूप में निर्धारित किया है और पीएटी के प्रतिशत के रूप में निर्धारित नहीं ।

Note: As per para 3.8 of the guidelines on R&D vide para 3.8 it is stated that expenditure on R&D should be as a percent of PAT of previous year i.e. Financial Year 2011-12 . In the Financial Year 2011-12 the Corporation is likely to incur loss. HenceCorporation has stipulated R&D expenditure in terms of absolute Rupees and not percentage of PAT as prescribed."

तालिका 2 - सीपीएसई द्वारा चुनी गयी परियोजनाएँ
TABLE 2 - PROJECTS CHOSEN BY CPSE

II परियोजना / Projects

परियोजना 1 : परीक्षण के लिए एचवीआय मशीनें प्राप्त करना और उनका परिचालन करना
Project 1 : To acquire and operationalize HVI machines for testing-

- कपास नमूनों के परीक्षण के लिए एचवीआय मशीन, ताकि कपास की बेहतर वसूली के लिए कपास की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु यथार्थ बिक्री बढ़ायी जा सके ।
- High Volume Instrument (HVI) machine for testing of cotton samples in order to increase the degree of precision for evaluating the quality of cotton to fetch better realisation of Cotton.

परियोजना 2 : कपास किसानों के लिए फ्रन्ट लाईन डिमोन्स्ट्रेशन(एफएलडी)
Project 2 : Frontline Demonstration (FLD) to Cotton Farmers -

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के लिए कृषि विश्व-विद्यालयों से वैज्ञानिकों द्वारा डिमोन्स्ट्रेशन किये जाते हैं जो उन्हें बुआई के स्तर से उपज कटाई तक की जानकारी देते हैं, ताकि अधिकतम उपज प्राप्त हो सके और उत्पादन की लागत न्यूनतम हो सके ।

  Under this programme, demonstrations are made to the farmers through Scientists from Agricultural Universities revealing them various methods and techniques from sowing level to harvesting so as to maximize to yield and minimize the cost of production.
- कपास किसानों को जीवनाशकों के उपयोग पर और भूमि की विशेषताएँ बनाये रखने के बारे में जानकारी देने के लिए किसान मेलों का आयोजन किया जाता है ।

  Kisan Melas are arranged to bring awareness amongst the cotton farmers on use of Pesticides and how to minimize it to maintain soil characteristics
- कपास किसानों को उपज और उर्वरक जैसे अनिवार्य निवेशों की आपूर्ति की जाती है ।

  Essential inputs like seed and fertilizers are supplied to cotton farmers.
- इस कार्यक्रम को सूदूर शाखा कार्यालयों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है ।

  The Programme is carried out through up country branches.

क्र. सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	यूनिट Unit	वेटेज Weightage
1	2	3	4
(i)	परीक्षण के लिए एचवीआय मशीनों को प्राप्त करना और परिचालन करना T o acquire and operationalize High Volume	दिनांक Date	1.00
(ii)	कपास किसानों के लिए फ्रन्ट लाईन डिमोन्स्ट्रेशन(एफएलडी) Frontline Demonstration (FLD) to Cotton Farmers	संख्या No.	0.50
(ii)	अनुंसधान एवं विकास के लिए भावी योजना बनानह To develop perspective plan for R&D	दिनांक Date	1.00

परिशिष्ट-ख
Annexure - B

2.2 सतत विकास
Sustainable Development

सीपीएसई द्वारा चुनी गयी परियोजनाएँ
Projects chosen by CPSE

परियोजना
Projects

परियोजना 1 : संदूषण-मुक्त पूर्ण बंधित गॉठें (कुल खरीद का %) -
Project 1: Contamination free FP bales (% of total purchases)-

- पास की कुल खरीद में से यह सुनिश्चित करना है कि आधुनिक जि. एवं प्रे. ईकाइयों को कार्य पर लगाते हुए अधिकतम संख्या में संदूषण मुक्त पूर्ण बंणित गॉठें संसाधित की जाती हैं ताकि वस्त्रोद्योग को गुणवत्तावाली कपास की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेऊ
  Out of the total purchase of raw cotton, it is to ensure that the maximum number of FP Bales are processed contamination free by engaging modernised G&P units to ensure supply of quality cotton to the Textile Industries.

परियोजना 2 : सघनित कपास खेती (संविदा खेती परियोजना)
Project 2 : Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming Project)

- उपज की लागत घटाना, उत्पादकता बढ़ाना तथा उपभोक्ता उद्योग को निरंतर गुणवत्तावाली कपास की आपूर्ति बढ़ाना, भारतीय कपास निगम सभी कपास उत्पादक राज्यों में खेती की इस नयी संकल्पना को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने के लिए समन्वयक एजेन्सी और सुविधा कर्ता के रूप में भूमिका निभा रहा है ।
  To reduce the cost of cultivation, to increase the productivity and supply of consistent quality of cotton to the user industry, CCI is playing role as a Co-coordinating Agency as well as a facilitator in actively promoting this new farming concept in all the cotton growing states.
- इस परियोजना की विशेषताएँ नीचे दिये अनुसार हैं :-
  The feature of the project is as under:-

(i) एक विशिष्ट किस्म को पैदा करने के लिए एक गाँव या गाँव के समूह में किसानों को प्रेरित करना .
To mobilize farmers in the village or cluster of village to cultivate a particular variety.

(ii) कपास किसानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तावाले वास्तविक बीज, उर्वरक, कीटनाशकों की आपूर्ति की व्यवस्था करना.
To arrange supply of quality genuine seed, fertilizers, pesticides to the cotton farmers at competitive rates.

(iii) आयसीएआर/कृषि विभाग/राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम और फील्ड डे आयोजित करना.
Organize training programme and field days with the help of ICAR/Department of Agriculture / State Agriculture Universities.

(iv) स्काऊट्स द्वारा उपज के सघनित पोषण, जल और कीट व्यवस्था के लिए नियंत्रण.
Monitoring of integrated nutrient, water and pest management of the crop through scouts.

(v) उर्वरक, स्प्रे डालना आदि के उपयोग के लिए किसानों को मार्गदर्शन.
Guide the farmers for usages of fertilizers, apply of spray etc.

(vi) उत्पादन प्रथाओं पर साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवितरित करना .
Literature on cultivation practices are distributed in regional languages.

(vii) किसानों को विद्यमान बाजार दर से ऊपर कुछ प्रोत्साहन के साथ मिलों द्वारा या जिनिंग फैक्टरियों द्वारा कपास की खरीद में समन्वयन.
Co-ordinate purchase of cotton by ginning factories or by mills with some incentives to the farmers over the ruling market price."

Project 3 : To develop Perspective Plan for R&D

क्र. सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	यूनिट Unit	वेटेज Weightage
1	2	3	4
(i)	संदूषण-मुक्त पूर्णबंधित गॉठें (कुल खरीद का %) Contamination free FP bales (% of total purchases)	(%)	2.00
(ii)	सघनित कपास खेती/संविदा खेती Integrated Cotton Cultivation/Contract Farming	हेक्टर में क्षेत्र Area in Hectares	2.00
(iii)	सतत् विकास के लिए भावी योजना बनाना To develop Perspective Plan for SD	दिनांक Date	1.00

परिशिष्ट-ग
Annexure - C

2.3 निगमित सामाजिक दायित्व
2.3 Corporate Social Responcibities

सीपीएसई द्वारा चुनी गयी परियोजनाए
Projects chosen by CPSE

क्र.सं. Sl. No.	परियोजनाऐं Project	यूनिट Unit	वेटेज Weightage
1	"ग्राम अभिग्रहण कार्यक्रम" - "एक गाँव, एक किस्म" की संकल्पना "Village Adoption Programme" - Concept of "One Village, One Variety"	रू. लाख में Rs. in Lacs	2.00
2	वारंगल और औरंगाबाद में स्वास्थ्य जाँच कैंप Health Check up Camp at Warangal and Aurangabad	दिनांक Date	2.00
3	सीएसआर के लिए भावी योजना बनाना To develop Perspective Plan for CSR	दिनांक Date	1.00

परिशिष्ट-
Annexure - D

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एचआरएम के निष्पादन मूल्यांकन के लिए टेम्पलेट Template for HRM Performance Evaluation under Memorandum of Understanding			
क्र. सं. Sl.	एचआरएम - कार्यनिष्पादन संकेतक Hrm - Performance Indicators	मापक इकाई Measurement Unit	वेटेज Weigh-tage
क. A	कार्य-कुशलता और नेतृत्व शक्ति का विकास **Competency & Leadership Development**		
	A1 Compulsory **क-1. अनिवार्य**		
1	प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष (अधिकारी) के लिए प्रशिक्षण योजना एवं प्रशिक्षण दिवस का वास्तविक % % actualisation of Training Plan & Training Days per employee per year (Executives)	% प्रतिपूर्ति एवं दिन प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष % fulfillment & Days/ per employee per year	5
2	कैरियर योजना एवं विकास की प्रणाली द्वारा क्रिटिकल मास का विकास Developing critical mass of leaders through a system of career planning & develop-ment	% fulfillment of planned leadership development programmes योजनागत नेतृत्व विकास कार्यक्रम की पूर्ति	5
3	प्रशिक्षण बजट Training budget	रू. लाख में Rs. In lakhs	5
4.	कर्मचारियों के लिए बहु-निपुणता /निपुणता उच्चीकरण के लिए प्रशिक्षण योजना की पूर्ति का % % fulfillment of training plan for Multi-skilling / Skill Upgradation of non executives	%	5
	क-2 वैकल्पिक (नीचे दिए गए पाँच में से एक को समझौता ज्ञापन में लेना है) A2 Optional (Out of below five, one is to be taken in the MOU)		
5.	योजना के विरूद्ध 360 डिग्री फीड बैक प्रणाली में शामिल अधिकारियों का % % of executives covered in 360 degree feedback system against plan	%	
6	वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों का % (विभागाध्यक्ष एवं म.प्र. तथा उससे ऊपर) जिन्हें मूल्यांकन एवं विकास केन्द्र में शामिल किया गया है % of Senior level executives (HoDs & GMs and above) covered in Assessment & Development Centre	%	5
7	नई /एडवांस टेक्नॉलाजी में प्रशिक्षण- नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण योजना प्रतिपूति का % Training interventions in new/advanced technology - % fulfillment of training plan in new technology	%	
8	उद्योग की ओर इंटरवेंशन- अकेडिमिया इंटरेस Interventions towards Industry- Academia Interface	Yes / No details हाँ/ नहीं : ब्यौरे	
9	कर्मचारियों की कार्य-कुशलता जानने के लिए योजना की पूर्ति का % % fulfillment of Plan for carrying out Competency Mapping of employees	%	
	कुल / Total		25
ख	**कार्यक्षमता प्रबंधन** **Performance Management**		
10	पीएमएस रेटिंग बेल कुरव अप्रोच का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना To ensure implementation of Bell Curve Approach in PMS rating	हाँ / नहीं Yes/ No	-
11	कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली के साथ अधिकारियों के साथ कार्य के विकास की योजना को जोंड़ना Linkage of Developmental Plan of Executives with Performance Management System	हाँ/ नहीं Yes/ No	-

क्र. सं. Sl.	एचआरएम - कार्यनिष्पादन संकेतक Hrm - Performance Indicators	मापक इकाई Measurement Unit	वेटेज Weigh-tage
12	पीएमएस से सहबद्ध पीआरपी का कार्यान्वयन Implementation of PRP linked to PMS	हाँ / नहीं : ब्यौरे Yes/No; details	-
	कुल / Total		-
	कुल / Total		-
ग C	**भर्ती, बहाली एवं योग्यता प्रबंधन** **Recruitment, Retention & Talent Management**		
13	वर्ष 2012-13 के दौरान कुल नई भर्ती में से अल्प संख्यक समुदाय की भर्ती Recruitment from Minority Community of total fresh recruitment during year 2012-13	%	5
14	कुल कर्मचारियों के % के रूप में Attrition as % of total employees	%	5
15	मेंटरशिप डेवलपमेंट प्रोग्रामस् रखने- मेंटर्स एवं मेंटस की संख्या Presence of Mentorship Development Programme - Nos. of Mentors & Mentees	हाँ / नहीं : संख्या Yes / No ; Numbers	-
16	योग्यता प्रबंधन जैसे- जॉब रोटेशन प्रणाली के लिए प्रणालियों का निर्माण और कार्यान्वयन Formulation / Implementation of systems for management of Talent such as - Job rotation system.	कर्मचारियों की संख्या No. of employees	10
	कुल / Total		20
घ D	**सृजनता और आविष्कार में सहायता** **Enabling Creativity & Innovation**		
17	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रस्तुत नामित/प्रविष्टियों की संख्या (पीएम श्रम ॲवार्ड, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार) Nos. of Nominations/entries submitted for National Awards (PM Shram Awards, Vish-wakarma Rashtriya Puraskar)	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रस्तुत नामित /प्रविष्टियों की संख्या Nos. of nominations/ entries submitted for national awards	-
18	कर्मचारियों द्वारा निर्मित सुझावों की संख्या Number of suggestions generated by employees	कर्मचारियों की संख्या No. of employee	15
19	वर्ष में संचालित कुल क्वालिटी सर्कल प्रोजेक्ट के विरूद्ध पूर्ण किए गए क्वालिटी सर्कल प्रोजेक्ट का % % of Quality Circle projects completed against total Quality circle projects undertaken in a year	% पूर्ति % fulfillment	-
	कुल / Total		**15**
ङ E	**कर्मचारी संबंध एवं कल्याण** **Employee Relations & Welfare**		
20	शिकायत निवारक प्रणाली की प्रभाव क्षमता-- वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटायी गई शिकायतों का % Effectiveness of Grievance Redressal system - % of grievances settled vis-a-vis received during the year	% निपटान % settlement	10
21	पेंशन, मेडीकेर, योगा क्लासेस, जो तनाव घटाने के लिए है, जिम जैसे वेलनेश सेंटर की स्थापना Pension, medicare, Yoga classes to reduce stress where the job is stressful, setting up of wellness centre such as Gym etc.	कार्यक्रमों की संख्या/ कार्यान्वयन योजनाओं का दिनांक Number of pro-grams/date of implementation of scheme	-
22	कर्मचारियों के लिए संतोषजनक सर्वेक्षण- ईएसआई उपाय का % Employee satisfaction survey - ESI measure in %	%	-
23	सामाजिक सुरक्षा योजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन Formulation & Implementation of social security scheme	हाँ / नहीं Yes/ No	-
24	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ संरचनागत बैठक की संख्या Number of structured meetings with employees' representatives	बैठकों की संख्या Number of meetings	10
	कुल / Total		**20**

क्र. सं. Sl.	एचआरएम - कार्यनिष्पादन संकेतक Hrm - Performance Indicators	मापक इकाई Measurement Unit	वेटेज Weigh-tage
च F	**एचआर ब्रैंडिंग एवं उत्कृष्टता -- प्रेरित करने के लिए इस क्षेत्र में उपलब्धियाँ बताये** **HR Branding & Excellence - Indicate achievement in this field for initiatives such as :**		
25	बाहरी एजेन्सियों द्वारा कर्मचारी सर्वेक्षण एवं सहभागिता (नियोक्ता का चयन, उत्कृष्ट नियोक्ता, कार्य करने के लिए उत्कृष्ट स्थल) Participation in survey conducted by external agencies (Employer of choice, Best employer, Best Place to Work etc.)	उपलिब्धयों के साथ दिए जाने वाले प्रोत्साहन के बारे में ब्यौरे Details regarding the initiatives to be given alongwith achievements	
	एचआर पॉलिसी मीटिंग चैंजिंग बिजनेश प्रायरटीज की समीक्षा के लिए रीविजिट/ री-इंजीनियर Review/ Revisit/ Re-engineer HR Policy for meeting changing business priorities.		-
	एचआर क्षेत्र में संचालित बैंचमार्किंग परियोजनाएँ Benchmarking projects undertaken in area of HR		
	आर्गेनाईजेशन कल्चर बिल्डिंग इनीशिएटिव Organization Culture Building initiatives		
	कुल / Total		-
छ G	**एचआरएम मैन्युल की तैयारी** **Preparation of HRM Manual**		**20**
	सकल योग / Grand Total		**100**
	एनबीः सीपीएसई को एचआरएम पर 100 में से दिए गए कुल अंकों प्रो-राटा आधार एमओयू में 5 में से अंकों में बदला जाएगा. NB: Total score out of 100 awarded on HRM to CPSE will be converted into score out of 5 in MoU on pro-rata basis		

ग्राहक समूह तथा मंत्रालय / विभाग से उनकी अपेक्षाएं

मार्गदर्शन विषयः ग्राहक समूहों को उनकी अपेक्षाओं के साथ अभिचिन्हित करें

CLIENT GROUPS AND THEIR REQUIREMENTS FROM THE MINISTRY/DEPARTMENT

Guidance Text: Identify client groups along with their requirements

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
1	कपास किसान Cotton Farmers	1. कपास के लिए एपीएमसी बाजार में की जाने वाली प्रत्येक दिन की नीलामी में सीसीआई प्रतिनिधि की सहभागिता Participation of CCI representative in daily auctions conducted in APMC market yards for kapas; 2. कपास का समय पर तुलन Timely weighment of kapas. 3. प्रस्तावित कपास की गुणवत्ता तथा ग्रेड के अनुसार कपास मूल्य का भुगतान किया जाना Kapas price to be paid with reference to quality and grade of cotton offered.. 4. कपास के लिए समय पर भुगतान Timely payment for the kapas. 5. किसानों द्वारा की गई कोई शिकायत तथा समाधान Any grievances of the farmers to be addressed and solved.
2	खरीददार मिलें - देशी मिलें Buyer-mills – domestic mills	1. कपास की मांग, आपूर्ति तथा गुणवत्ता के बारे में बाजार आसूचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन Appraisal of market intelligence regarding demand, supply and quality of cotton at regular interval. 2. समय-समय पर विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के नमूना प्रकार की आपूर्ति Supply of type samples of various varieties and grades from time to time. . 3. विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के लिए उपलब्ध स्टॉक का मूल्यांकन Appraisal of availability of stocks for various varieties and grades.. 4. बिक्री की पुष्टि के पश्चात समय पर गॉठें प्रस्तावित करना Timely offering of bales, after confirmation of sale..

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
		5. खरीददार के अनुरोध के अनुसार सुपुर्दगी आदेशों को जारी करते हुए समय पर गाँठों का प्रेषण. Timely Dispatch of bales including issuance of delivery orders as per the request of the buyers. 6. स्पॉट पर प्रत्येक गाँठ का 100% वजन करना । Carry out 100% bale to bale weighment at spot. 7. गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत संतोषजनक सेवाएं । Satisfactory services under Godown Storage Facility. 8. बीजकों, डेबिट नोट्स आदि की समय पर आपूर्ति । Timely supply of invoices, debit notes etc. 9. लेखों के निपटान तथा आवश्यक बिक्री कर फॉर्मस् की प्रस्तुती के बाद यदि कोई हो, तो अतिरिक्त राशि को समय पर वापस करना Timely settlement of account and refund of excess money, if any, subject to submission of required sales tax forms. 10. गुणवत्ता तथा वजन आदि के संदर्भ में किसी भी शिकायत पर समय पर ध्यान देना. Timely attention of any grievances with reference to quality, weighment etc.
3	खरीददार मिलें- अंतर्राष्ट्रीय खरीददार Buyer-mills – international buyers	1. कपास की मांग, आपूर्ति तथा गुणवत्ता के बारे में बाजार आसूचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन । Appraisal of market intelligence regarding demand, supply and quality of cotton at regular interval. 2. समय-समय पर विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के नमूना प्रकार की आपूर्ति । Supply of type samples of various varieties and grades from time to time. 3. विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के लिए उपलब्ध स्टॉक का मूल्यांकन । Appraisal of availability of stocks for various varieties and grades from time to time.

ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
	4. बिक्री की पुष्टि के पश्चात समय पर गॉठें प्रस्तावित करना । Timely offering of bales, after confirmation of sale. 5. खरीददारों से एल/सी तथा पोतवहन के अनुदेश की प्राप्ति पर गाँठों का समय पर पोतवहन. Timely shipment of bales on receipt of L/C and shipping instructions from buyers. 6. पोतवहन के पूर्व तुलन नियंत्रक द्वारा वजन करना । Carry out weighment by weighment controller before shipment. 7. बीजक, डेबिट नोट आदि की समय पर आपूर्ति । Timely supply of invoices, debit notes etc. 8. समय पर लेखों के निपटान तथा अतिरिक्त राशि की समय पर वापसी, यदि कोई हो Timely settlement of account and refund of excess money, if any. 9. गुणवत्ता, वजन आदि के संदर्भ में किसी भी शिकायत पर समय पर ध्यान देना. Timely attention of any grievances with reference to quality, weighment etc.

स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श

CONSULTATION WITH STAKEHOLDERS

मार्गदर्शन विषयः चार्टर बनाने के लिए तथा ऊपर बताए गए उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शामिल/संपर्क में स्टेकहोल्डर्स के ब्यौरे दें.

Guidance Text: Give the details of stakeholders' involved/contacted in charter formulation and for arriving at the above stated Objectives / Targets

चार्टर टास्क फोर्स का गठन

Constitution of Charter Task Force

	पदनाम **Designation**	**जिनसे परामर्श किया गया उन संगठनों/व्यक्तियों के ब्यौरे** **Details of individuals/institutions consulted**
1.	विभाग के अधिकारी Department Officials	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार । Joint Secretary, Ministry of Textiles, Government of India.
2.	अन्य संबधित विभागों से प्रतिनिधि Representative from other concerned departments	टास्क फोर्स सदस्य, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ है । Task force members who are experts drawn from various fields.
3.	सेवा/उत्पाद की आपूर्ति Supplier of Services/Products	ला.न. NA
4.	गैर-सरकारी संगठन NGOs	ला.न. NA
5.	आरडब्ल्यूएज RWAs	ला.न. NA
6.	यूनियन्स Unions	ला.न. NA
7.	नागरिक / प्रतिनिधि Citizens / Representatives	ला.न. NA
8.	अन्य कोई Any Other	निगम के वरिष्ठ प्रबंधन की टीम Senior Management team of the Corporation.

आयोजित की गई परामर्श बैठकें / लिया गया परामर्श

CONSULTATION MEETINGS CONDUCTED/CONSULTATIONS CARRIED OUT

1.	समझौता ज्ञापन के लिए कार्य-निष्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई बैठकें । Meetings conducted with the officials of the Ministry of Textiles, Government of India while finalizing the performance targets for MoU.	समझौता ज्ञापन के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में टास्क फोर्स तथा सीसीआई प्रबंधन टीम ने उनके साथ परामर्श किया गया तथा उसके पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया । Consultations with Task Force and CCI Management Team in the presence of Ministry officials for finalization of MoU targets and then duly approved by the Board of Directors.

चार्टर की विशेषताएं तथा प्रचार - प्रसार
CHARTER CHARACTERISTICS AND DISSEMINATION

मार्गदर्शन विषयः क्या चार्टर में नीचे दी गई विशेषताएं है तथा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लायी गयी पद्धति है बताएं (हां/नहीं)

Guidance Text: Indicate whether the characteristics given below are present in the charter and method of dissemination utilized (Yes/No)

भाषा **Language**	**सरलता** **Simplicity**	**उपयुक्तता** **Adequacy**
स्थानीय भाषा (नहीं) Local Language (No)	सरणीबद्ध रूप से (नहीं) Tabular Form (No)	समय के मानदंड (हाँ) Time Norms (Yes)
हिंदी (हाँ) Hindi (Yes)	सरल भाषा (हाँ) Simple Language (Yes)	आवश्यक दस्तावेज (नहीं) Documents Required (No)
अंग्रेजी (हाँ) English (Yes)	संक्षिप्त विवरणी (हाँ) Brief Statements (Yes)	अपवाद Exceptions
	संदर्भित ब्यौरे (हाँ) Reference to Details (Yes)	शुल्क/प्रभार (नहीं) Fees/Charges (No)
		उपचारी उपाय (हाँ) Remedial Measures (Yes)
		अन्य कोई (नहीं) Any Other (No)

प्रचार-प्रसार की पद्धति
Methods for Dissemination

1.	**बैठकें, संगोष्ठी तथा सम्मेलनः** **Meetings, Seminars and Conferences**: मौसम के दौरान नियमित रूप से किसानों की जागरूकता बैठकें, संगोष्ठी आदि आयोजित की जाती है । उसी प्रकार, नियमित रूप से खरीददारों के साथ बैठकें आयोजित की जाती है । Farmers' Awareness Meetings, Seminars etc., are being arranged at regular intervals during the season. Similarly, meetings with buyers are arranged regularly.
2.	**समाचार-पत्रों में विज्ञापनः** **Newspaper advertisements**: अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाते हैं । Newspaper advertisements are issued in local languages also in addition to English and Hindi
3.	**पत्रक / पुस्तिकाः** **Leaflets / Brochures**: कपास किसानों को स्थानीय भाषाओं में वितरित किया जाता है । Distributed to the cotton growers in local languages.
4.	पत्रक, पुस्तिका के अलावा, एपीएमसी मार्केट याई में नोटिस बोर्ड हिंदी तथा स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाता है । Besides leaflets, brochures, Notice Boards at various APMC market yards in Hindi and local languages are being displayed.
5.	दस्तावेजों में मुद्रित जानकारी ग्राहकों को फैक्स / ई-मेल / वेब-साईट पर प्रदर्शित करते हुए दी जाती है । Information printed in documents given to customers - by way of Fax/e-mails/display on website.
6.	जागरूकता बैठकों/किसान मेलों के मामले में सिटीजन इंटरफेस प्वाईंट पर जनता को संबोधित करने की प्रणाली. Public Address System at Citizen interface points in case of awareness meetings / Kisan Melas.
7.	अन्य कोई - लागू नहीं Any other: N.A.

फीड बैक प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधन
Means Available for obtaining feedback

मार्गदर्शन विषय : बताएँ कि क्या नीचे बताए गए उपाय उपलब्ध हैं. उपयोग में लाए गए हैं तथा क्या इस संबंध में डीएआरपीजी मार्गदर्शन का अनुपालन हो रहा है ।

Guidance Text: Indicate whether the means indicated below are available /used and whether DARPG guidelines regarding these are being followed

संख्या No.	वे संसाधन जिनके द्वारा विभाग फीड-बैक प्राप्त करता है, हाँ/नहीं Means by which Department obtains feedback (Yes/No)	डीएआरपीजी मार्गदर्शन (हाँ / नहीं / ला.न.) DARPG Guidelines (Yes/No/NA)
1.	ग्राहकों /नागरिकों द्वारा लिखित पत्र-व्यवहार वैयक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया. Written Communication handed personally by clients/citizens	हाँ Yes
2.	पोस्ट/कुरियर द्वारा लिखित पत्र-व्यवहार Written Communication through Post/Courier	हाँ Yes
3.	टेलीफोन Telephone	हाँ Yes
4.	वैयक्तिक भेंट द्वारा मौखिक रूप से Verbal through Personal Visit	हाँ Yes
5.	वेब साईट Website	हाँ Yes
6.	कार्यशाला, संगोष्ठी तथा सम्मेलन Workshops, Seminars and Conferences	हाँ Yes
7.	शिकायत/सुझाव बॉक्सेस Complaint/Suggestion Boxes	हाँ Yes
8.	अन्य कोई Any Other	ला.न. NA

फीड-बैक की रिकार्डिंग तथा विश्लेषण

Recording and analyzing feedback

मार्गदर्शन विषय : बताएँ कि क्या फीड-बैक वर्गीकरण के लिए प्रक्रिया विद्यमान है तथा इस प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम दें

Guidance Text: Indicate whether there exists a process for classification of feedback and give the results obtained from this process

फीडबैक वर्गीकरण के लिए कोई प्रक्रिया है (हाँ / नहीं)

IS THERE A PROCESS FOR CLASSIFYING FEEDBACK (YES/NO)

क्या निम्न प्रकार की सूचना इस विधि में शामिल है:

DOES THIS PROCESS COVER THE FOLLOWING COMMUNICATION TYPES

	सूचना का प्रकार **Communication Type**	**बताएं हाँ / नहीं** **State Yes/No**
1.	सुझाव Suggestions	हाँ Yes
2.	शिकायत Grievances	हाँ Yes
3.	प्रशंसा Compliments	हाँ Yes
4.	प्रश्न Queries	हाँ Yes

उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में फीड-बैक के विश्लेषण के बाद संक्षिप्त में बताएँ कि ऐसे कौन से शिकायतें-उन्मुख क्षेत्र हैं, जहाँ प्रकिया में कोई परिवर्तन तथा / या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है.

After analyzing feedback in each of the above categories, briefly state which are the grievance prone areas requiring process changes and/or additional outlays

फीड-बैक ग्राहकों से प्राप्त करने की विद्यमान पद्धति संतोषजनक कार्य कर रही है तथा प्रकिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

The present system of getting feedback from clients is working satisfactorily and does not require any process changes.

शिकायत निवारण के लिए मानदंड
Norms for Grievance Handling

मार्गदर्शन विषयः आवेदक को पावती, सुधार तथा अंतरिम/अंतिम उत्तर के लिए समय मानदंड (यदि निर्धारित है) बतायें ।
Guidance Text: Indicate time norms (if decided) for acknowledgement, redressal and interim/final reply to petitioner

शिकायत का स्तर Grievance stage	विद्यमान समय मापदंड (हाँ/नहीं) Time Norm present (Yes/No)	संबंधित समय मापदंड Relevant Time Norm
शिकायत की पावती Acknowledgement of Grievance	हाँ Yes	तत्काल Immediate
शिकायत का निवारण Redressal of complaints	हाँ Yes	समय पर Timely
अंतरिम / अंतिम उत्तर Interim / Final Reply	हाँ Yes	समय पर Timely

उद्देश्यों की उपलब्धि
Achievement of Objectives

मार्गदर्शन विषयः विशिष्ट उद्देश्यों तथा कार्य निष्पादन लक्ष्य के साथ उनके लिए आवश्यक कार्रवाई तथा / योजना बतायें .
क्या प्रत्येक उद्देश्य के लिए कार्य निष्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया गया । - हाँ
Guidance Text: Mention specific objective and Performance Target along with the action needed/planned for them
Have performance target been achieved for each objective: Yes

मंत्रालय/विभाग द्वारा पिछले वर्ष के लिए प्रत्येक लक्ष्य हेतु नीचे दिए अनुसार बताएँ
State the following for each objective set by the Ministry/Department in the previous year

ब्यौरे Particulars			यूनिट Unit	स.ज्ञा 2011-12 लक्ष्य MOU Target 2011-12	वर्ष 2011-12 को लिए उपलब्धि Achievement for the Year 2011-12	वेटेज (प्रतिशत में) Weight-age in %	रॉ-स्कोर Raw Score	वेटेज रॉ-स्कोर Weight-age Raw score
भाग क - सामान्य मानदंड **PART - A COMMON PARAMETERS**								
1		**स्थैतिक वित्तीय मानदंड** **STATIC FINANCIAL PARAMETERS (50 %)**						
	1.1	**वित्तीय कार्य-निष्पादन संकेतक** **Financial performance indicators**						
	(i)	सकल मार्जिन/टर्नओवर Gross Margin/Gross Sales	(%)	5.00	(7.38)	10	5.00	0.50
	(ii)	परिचालन टर्न-ओवर/ कर्मचारियों की संख्या Operating turnover/No. of employees	रू.लाख में/ कर्मचारी Rs. Lakhs/ employee	338.70	161.89	12	5.00	0.60
	1.2	**वित्तीय-संकेतक-आकार** **Financial indicators - Size**						
	(i)	सकल मार्जिन (रू. करोड़ में) Gross Margin / (Loss) (Rs. In Crore)	रू. करोड़ Rs. Crore	200.65	(122.83)	8	5.00	0.40
	(ii)	सकल बिक्री (रू. करोड़ में) Gross Sales (Rs. In Crore)	रू. करोड़ Rs. Crore	4013.44	1663.38	4	5.00	0.20
	1.3	वित्तीय रिटर्न-श्रम उत्पादकता एवं कुल फक्टर उत्पादकता Financial Returns - Labour productivity and Total Factor productivity						
	(i)	पीबीडीआयटी/कुल रोजगार PBDIT / Total Employment	रू.लाख में/ कर्मचारी Rs. Lakhs/ employee	16.72	(11.04)	7	5.00	0.35
	(ii)	जोडा गया मूल्य / सकल बिक्रा Added Value/ Gross Sales	(%)	4.06	(8.73)	9	5.00	0.45
2		**सक्रिय मानदंड** **DYNAMIC PARAMETERS (36%)**						
	2.1	**अनुसंधान तथा विकास** **Research & Development**						
		(i) भारत और अंतर्राष्ट्रीय कपास परिदृश्य पर तथा भविष्य में सीसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर सलाहकार द्वारा किए गए अध्ययन पर की गयी कार्रवाई (i) Action taken on study by consultant on Cotton Scenario in India & International and Strategic role of CCI in future.	दिनांक Date	30.11.2011	25.07.2011	1	1.00	0.01

ब्यौरे Particulars			यूनिट Unit	स.ज्ञा 2011-12 लक्ष्य MOU Target 2011-12	वर्ष 2011-12 को लिए उपलब्धि Achievement for the Year 2011-12	वेटेज (प्रतिशत में) Weight-age in %	रॉ-स्कोर Raw Score	वेटेज रॉ-स्कोर Weight-age Raw score
		(ii) अनुसंधान केन्द्रों से किसानों तक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण - फ्रन्टलाइन डेमोंस्ट्रेशन की संख्या (एफएलडी) (ii) Transfer of technology from Research Centre to farmers- No. of frontline demonstration.	संख्या Nos.	2500	2800	2	1.00	0.02
		(iii) भंडारण हानि में घटौती के लिए मूल्यांकन एवं उपायों का सघन अध्ययन (iii) Comprehensive study of Assessment & Measure for reduction in storage loss.	दिनांक Date	30.11.2011	21.10.2011	2	1.00	0.02
	2.2	**निरंतर विकास** **Sustainable development**						
		संदूषण मुक्त पूर्ण-बंधित गाँठें (कुल खरीद का%) Contamination free FP bales (% of total purchases)	(%)	85	88	5	1.40	0.07
	2.3	**निगमित सामाजिक दायित्व** **Corporate Social Responsibility**						
		डीपीई के मार्गदर्शन के अनुसार मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय (ग्राम अभिग्रहण कार्यक्रम) Expenditure on implementation of projects to be approved by Board as per DPE Guide-lines (Village Adoption Programme)	रू.लाख Rs. Lakh	35	38.83	5	1.04	0.05
	2.4	**ग्राहक संतुष्टि** **Corporate Governance**						
		(i) डीपीई को सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण आंकडों की समय पर प्रस्तुति (i) Timely submission of Public Enterprise Survey Data to DPE.	दिनांक Date	01.10.2011	13.09.2011	1	1.00	0.01
		(ii) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति (ii) Appointment of Independent Directors.	दिनांक Date	29.02.2012	-	1	5.00	0.05
		(iii) निदेशक मंडल के लिए आचरण एवं नैतिक संहिता को बनाना-निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन (iii) Formulation of Code of Conduct & Ethics for Board of Directors & Senior Management - Approval by Board of Directors.	दिनांक Date	29.02.2012	09.06.2011	1	1.00	0.01
		(iv) निदेशक मंडल द्वारा पर्दाफाश योजना का अनुमोदन (iv) Approval of Whistle Blower scheme by Board of Directors.	दिनांक Date	29.02.2012	09.06.2011	1	1.00	0.01
		(v) निगमित शासन पर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतिकरण (v) Timely Submission of Quarterly Reports on Corporate Governance	रिपोर्ट की संख्या No. of Report	3	4	1	1.00	0.01

	ब्यौरे Particulars	यूनिट Unit	स.ज्ञा 2011-12 लक्ष्य MOU Target 2011-12	वर्ष 2011-12 को लिए उपलब्धि Achievement for the Year 2011-12	वेटेज (प्रतिशत में) Weight-age in %	रॉ-स्कोर Raw Score	वेटेज रॉ-स्कोर Weight-age Raw score
2.5	**मानव संसाधन प्रबंधन** **Human Resource Management**						
	i. 2011-12 के दौरान कुल नयी भर्ती की अल्प समुदाय से भता Recruitment from minority community of total fresh recruitment during year 2011-12	(%)	10	0	1	5.00	0.05
	ii. कर्मचारी प्रशिक्षण Training of employee						
	(a) प्रशिक्षण संस्थान से कार्यपालक प्रशिक्षण पुरस्कार प्रमाण पत्र के साथ Executive training with award certificate from Training Institute	कर्मचारियों की संख्या No of Employee	19	56	2	1.00	0.02
	(b) गैर-कार्यपालक Non-executive	कर्मचारियों की संख्या No of Employee	70	77	2	1.00	0.02
2.6	**ग्राहक संतुष्टि** **Customer Satisfaction**						
	(i) संविदा निष्पादान % (कुल बिक्री का प्रतिशत गाँठों में) Contract performance percentage (% of total sales in bales)	(%)	99	79.34	3	5.00	0.15
	(ii) गुणवत्ता शिकायत (कुल बिक्री का % गॉठों में) Quality complaints (% of total sales in bales)	(%)	0.80	0.10	3	1.00	0.03
2.7	**परियोजना कार्यान्वयन** **Projects implementation**						
	i. संविदा खेती परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र Area under contract farming projects	हैक्टर Hectares	38000	47246	4	1.00	0.04
	ii. अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कार्रवाई योजना-निदेशक मंडल का विचार Plan of Action for own storage capacity enhancement- Consideration by Board of Directors.	दिनांक Date	30.11.2011	-	1	5.00	0.05
भाग ख - विशिष्ट मानदण्ड **PART - B SPECIFIC PARAMETERS (14%)**							
3	**क्षेत्र विशिष्ट मानदण्ड** **SECTOR SPECIFIC PARAMETERS**						
3.1	कपास की जि.एवं प्रे. के लिए संसाधन चक्र में सुधार Improvement in processing cycle for G&P of kapas						
	(a) 15 दिन के भीतर Processing within 15 days	(%)	50	60	2	1.00	0.02
	(b) औसत संसाधन चक्र Average Processing cycle	दिनों की संख्या Nos. of days	20	17	2	1.00	0.02

		ब्यौरे Particulars	यूनिट Unit	स.ज्ञा 2011-12 लक्ष्य MOU Target 2011-12	वर्ष 2011-12 को लिए उपलब्धि Achievement for the Year 2011-12	वेटेज (प्रतिशत में) Weight-age in %	रॉ-स्कोर Raw Score	वेटेज रॉ-स्कोर Weight-age Raw score
	3.2	वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित आधुनिक जि.एवं प्रे. फैक्टरियों की संख्या No. of G&P factories modernized certified by Textile Committee	संख्या Nos.	55	131	2	1.00	0.02
4		**उद्यम विशिष्ट एवं क्षमता मानदंड ENTERPRISES SPECIFIC & EFFICIENCY PARAMETERS**						
	4.1	30.09.2011 को न बेचे गए स्टॉक की मालसूची (कपास मौसम खरीद का %) लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र के अनुसार Inventory unsold stock as on 30.09.2011 (% of cotton season purchases)- as per Auditors certificate	%.	5	2.56	4	1.00	0.04
	4.2	किसानों को 8 दिन के भीतर सीधा भुगतान Direct Payment to farmers within 8 days (%age)	%	90	89.56	1	2.09	0.02
	4.3	31 मार्च 2011 तक सतर्कता/विभागीय जांच मामलों का निपटान (%) Disposal of Vigilance/D.E. cases as on 31/03/2011 (%age)	%	80	46	1	5.00	0.05
	4.4	ईआरपी ट्रायल रन ERP Trial run	दिनांक Date	29.02.2012	31.08.2011	1	1.00	0.01
	4.5	वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 में लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई- निदेशक मंडल को प्रस्तुति Follow up Action on Audit observation in Annual Report 2009-10- Submission to Board of Directors	दिनांक Date	31.08.2011	09.06.2011	1	1.00	0.01
					कम्पोझिट स्कोर Composit Score			3.31

नोट : कोष्टक मे दिए गए (-) फिगर नकारत्मक को दर्शाते है

Note : - Figures in bracket denotes (-) negative values.

भाग V समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए कार्रवाई योजना
PART V – ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION & MONITORING OF THE MoU

क्र.सं. Sl No	ब्यौरे Particulars	देय तारीख Due date	वास्तविक तारीख Actual date
1	वर्ष 2013-14 के लिए प्रशा.मंत्रालय/विभाग के साथ यथोचित विचार विमर्श के बाद समझौता ज्ञापनं मसौदा समय पर प्रस्तुत करना Timely submission of draft MoU for 2013-14 after due discussion with Adm. Ministry/Department.	30-11.2012 से पहले Before 30-11-2012	28-11-2012 28-11-2012
2	वर्ष 2013-14 के लिए समझौता ज्ञापन समय पर हस्ताक्षर करना Timely signing of MoU for the year 2013-14	31 मार्च, 2013 तक By 31st March 2013	26 मार्च, 2013 26th March 2013
3	वर्ष 2012-13 के लिए लेखा परिक्षित आंकडों के आधार पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना Timely submission of Performance Evaluation Report (composite score) for 2012-13 MoU on the basis of audited data	31 अगस्त, 2013 से पहले By 31th August 2013	27 अगस्त, 2013 27th August 2013

वास्तविक कार्य निष्पादन वित्त वर्ष 2011-12 का Actual Performance for Financial Year-2011-12	समझौता ज्ञापन कम्पोजिट स्कोर 3.31 : अच्छा MoU composite score 3.31: Good
लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण (यदि वास्तविक कार्य निष्पादन मेल नहीं खाता/ कार्य निष्पादन लक्ष्य को पार किया है) Reasons for not achieving (if actual performance doesn't match/exceed performance target)	ला.न N.A.
कार्रवाई की आवश्यकता/योजनाबद्ध Action Needed/Planned	--
सीखना Learning	--

सीखे हुए पाठ के आधार पर कार्य
Initiatives based on lessons learnt

मार्गदर्शन विषयः उपर्युक्त सीख के आधार पर किए गए विशिष्ट कार्य का उल्लेख करें
Guidance Text: Mention specific initiatives undertaken based on learnings above

मानदंडो को बनाने / सुधारने तथा उनकी उपलब्धि के लिए किए गए कार्य Initiatives planned for Setting / Improving standards and achieving them	
1.	आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के एसडबल्यूसी के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना बनाने के लिए कदम उठाए गए है । Steps initiated for exploring joint venture projects with SWCs of AP and Maharashtra.
2.	कपास की जिनिंग एवं प्रेसिंग हेतु संसाधन चक्र कम करने के लिए अध्ययन आयोजित किया गया है । Study conducted to reduce processing cycle for ginning and pressing of kapas

नागरिक/ग्राहक संतुष्टि के लिए निरंतर संपर्क रखना
Tracking Citizen/Client Satisfaction

मार्गदर्शन विषयः स्टेकहोल्डर संतुष्टि प्रक्रिया करने की यदि कोई प्रक्रिया हो, तो उल्लेख करें तथा विश्लेषण के पश्चात मामलों को संक्षिप्त में बताएं ।
Guidance Text: Mention if there is a process to determine stakeholder satisfaction and briefly describe the issues after analysis

क्या नागरिक / ग्राहक संतुष्टि प्रक्रिया करने की यदि कोई प्रक्रिया है Is there a process in place to track Citizen/Client satisfaction		हाँ/नहीं Yes/No
यदि हाँ, तो क्या निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है If yes, state whether it incorporates the following indicators		
क्र. No.	नागरिक/ग्राहक संतुष्टि के संकेतक Indicators of Citizen/Client Satisfaction	संकलित (हाँ/नहीं) Compiled (Yes/No)
1.	समाचार-पत्र रिपोर्टस Newspaper Reports	हाँ Yes
2.	निरीक्षण रिपोर्ट टिप्पणी Inspection Report Comments	हाँ Yes
3.	वरिष्ठ अधिकारी दौरा टिप्पणी Senior Officer Visit Comments	हाँ Yes
4.	ग्राहक सर्वेक्षण संकेतक Client Survey Indicators	हाँ Yes
5.	अन्य कोई Any Other	
उपर्युकत पद्धति दारा अभिचिन्हित विषयों को संक्षिप्त में बताएं Briefly state the issues identified by the above process		

क्षमता

1. निगम के पास बहुत अनुभवी कार्यपालक तथा क्षेत्रीय कर्मचारी है.
2. सभी कपास उत्पादक राज्यों में 270 खरीद केन्द्रों के परिचालन का अखिल भारतीय नेट-वर्क है.
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य एजेन्सी होने के कारण, न्यूनतम संरचना रखी गयी है तथा उसी का उपयोग वाणिज्यिक खरीद के लिए किया जाता है.
4. राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सी के रूप में निगम बड़ी मात्रा में कपास की सभी किस्मों /ग्रेडस की आपूर्ति कर सकता है.
5. निगम अपने मिल खरीददारों को गोदाम सुविधा भी देता है, ताकि प्रत्येक गाँठ का प्रबंधन किया जा सके तथा परिवहन अवधि से बचा जा सके.
6. "गुणवत्तावाली कपास का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता" के रूप में नाम कमाया है.
7. खरीददारों को बाजार आसूचना का नियमित रूप से फीड-बैक देता है, उसे व्यापार में बदलता है.
8. कपास की खरीद से पूर्णबंधित गाँठों की बिक्री तक, अपने सभी कार्य-कलापों (परिचालन) में पारदर्शिता रखता है.
9. बिक्री पूर्व तथा बाद में प्रभावी सेवा ने निगम के टर्न-ओवर को प्रति वर्ष बढ़ाने में सहायता दी है.

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रः

1. अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए रूई का अनुमान, कमियाँ, कपास बिनौले, विविध आदि सभी पहलुओं की समीक्षा.
2. प्रेस्ड से सुपुर्दगी वजन में कमी को नियंत्रित करना तथा घटाना.

अन्य कोई महत्वपूर्ण मामलाः

1. कपास की देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति के साथ-साथ उन सभी कारणों को मॉनिटर करना, जो कपास की मांग तथा मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं ।
2. निगम के पास उपलब्ध कपास की मालसूची को मॉनिटर करना.
3. निधि की उपलब्धता तथा उसकी आवश्यकता को मॉनिटर करना.

Strengths

1. Corporation has got well experienced field staff and executives;
2. All India network with operations at more than 270 procurement centers in all the cotton growing States;
3. As MSP agency, maintaining bare minimum infrastructure and the same is used for commercial operations;
4. As the national level agency, Corporation is in a position to supply all varieties/grades of cotton in bulk;
5. Corporation is also extending the Godown Storage Facility to its mills buyers to enable bale-to-bale management and also save on in transit period;
6. Earned a reputation of “dependable supplier of quality cotton”.
7. Regular feed back to the buyers on marketing intelligence, translates into business;
8. Full transparency is maintained in all its operations, right from procurement of kapas to sale of FP bales.
9. Effective pre-and post sales services have helped in increasing the turnover of the corporation from year to year.

Areas requiring Improvement

1. Review of all aspects of budgeting lint, shortages, cotton seed, miscellaneous results for obtaining optimum results
2. Controlling and mitigating shortages in press to delivery weight.

Any other significant Issues

1. Monitoring of domestic & international cotton price trend as well as factors that may influence the price behaviour and demand of cotton;
2. Monitoring the inventory level of cotton with the Corporation;
3. Monitoring availability of funds and its requirements.

नागरिक/ग्राहक फोकस तथा संतुष्टि में सुधार लाना.

मार्गदर्शन विषयः स्टेक होल्डर संतुष्टि के विश्लेषण से अभिचिन्हित क्षेत्रों में किए गए उपायों को संक्षिप्त में बताएं :

क्र	उक्त अभिचिन्हित क्षेत्रों में सुधार करने के लिए किए गए उपाय
	ग्राहकों से प्राप्त फीड-बैक के आधार पर, आगामी वर्ष के लिए विपणन नीति बनाने/सुधारने के लिए आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं।

कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करना.

मार्गदर्शन विषय : मंत्रालय / विभाग में क्षमता बढ़ाने के लिए जा रहे प्रयत्नो के बारे में केंद्रित क्षेत्रों तथा प्राप्त परिणाम सुधार के बारे में बताये.

Improving Citizen/Client Focus and satisfaction

Guidance Text: Briefly state the measures planned in areas identified from the analysis of stakeholders' satisfaction

No.	Measures for making improvement in above identified areas
	Based on feedback received from the clients, necessary decisions are taken to modify/ formulate the marketing strategies for the ensuing year.

Improving Employees Capabilities

Guidance Text: Briefly state the capability building efforts being made in the Ministry/Department along with the areas focused and improvements resulted

प्रशिक्षण

ब्यौरे (अवधि,स्थान आदि)	केंद्रित क्षेत्र / क्षेत्रों	प्राप्त सुधार
प्रबंधकीय कुशलता विकसित करने के लिए कार्यपालक तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक	कुशल मानव शक्ति की संख्या में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर निर्णय हुए है।

Trainings

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Training is imparted to employees as well as executives for developing managerial skills.	Executives/ Non-executives	Number of skilled manpower has improved, which has resulted in better decision-making.

परामर्श

ब्यौरे (कालावधि, स्थान आदि)	केंद्रित क्षेत्र / क्षेत्रों	प्राप्त सुधार
निगम के परिचालन में दिन प्रति दिन सुधार के लिए सुझाव हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है ।	परिचालन मामले	इस प्रकार की बैठकें पर्याप्त रूप से प्रभावी हैं ।

Counseling

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Review meetings are held from time to time to suggest the improvement in the day-to-day operations of the Corporation and achieve set targets/goals.	Operational matters	Such meetings are quite effective .

अन्य साधन

ब्यौरे (कालावधि, स्थान आदि) Details (Duration, Location etc.)	केंद्रित क्षेत्र / क्षेत्रों Focus Area/s	उपलब्धि में सुधार Improvement Achieved
तिमाही - शाखा स्तर पर संयुक्त प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित की जाती है - छःमाही तिमाही मुख्यालय में केन्द्रीय संयुक्त प्रबंधन परिषद की बैठकें आयोजित होती हैं-	परिचालन क्षेत्र	कर्मचारियों में जागरूकता निर्माण करना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन में भाग लेना ।

Other Tools

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Joint Management Council Meetings are held at Branch Offices- Quarterly Central Joint Management Council Meetings are held at HO – Half yearly.	Operational areas	To create awareness amongst all employees and have participative management at different levels.

न्यूनतम संरचना की आवश्यकता

मार्गदर्शन विषयः जहाँ आवश्यक हो उपलब्ध संरचना को संक्षिप्त में बताए, क्या मंत्रालय/ विभाग ने इस संबंध में मार्गदर्शन जारी किए हैं तथा इन क्षेत्रों में कार्रवाई योजना के साथ ध्यान देने योग्य आवश्यक क्षेत्र बतायें ।

Minimum Infrastructure Requirement

Guidance Text: Briefly state whether required infrastructure is available, whether Ministry/ Department has issued guidelines in this regard and indicate areas that need attention along with Action planned in these areas

क्या आवश्यक संरचना उपलब्ध है **हॉ / नहीं**
Is the required infrastructure available **Yes/No**

संख्या No.	न्यूनतम संरचना निर्देशिका Minimum Infrastructure Guidelines	अंतिम अद्यतन की तारीख Last Updation Date	वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी Comment on Current Status
1.	पर्याप्त फर्नीचर Adequate Furniture	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
2.	प्रसाधन गृह/गृहों की उपलब्धता Availability of Toilet/s	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
3.	बिजली की उपलब्धता Availability of Electricity	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
4.	अन्य संबंधित मामले Any other relevant issues	शून्य Nil	लागू नहीं NA

वे क्षेत्र बतायें, जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है
State areas that need attention

मार्गदर्शन के अनुसार उचित ध्यान दिया जाता है.
As per the guidelines, adequate care is being taken.

उपर्युक्त अभिचिन्हित क्षेत्रों में कार्रवाई योजना
Action planned in the above identified areas

पर्याप्त संरचना उपलब्ध है, अतः कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
Sufficient infrastructure is available and hence no action is required.



बैंको की सूची (संकाय)
LIST OF BANKS (CONSORTIUM)

बैंक ऑफ बड़ौदा	BANK OF BARODA
बैंक ऑफ इंडिया	BANK OF INDIA
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	CENTRAL BANK OF INDIA
कॉरपोरेशन बैंक	CORPORATION BANK
देना बैंक	DENA BANK
आईडीबीआई बैंक	IDBI BANK
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	ORIENTAL BANK OF COMMERCE
पंजाब नेशनल बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	STATE BANK OF HYDERABAD
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	STATE BANK OF INDIA
सिंडीकेट बैंक	SYNDICATE BANK
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	UNION BANK OF INDIA
विजया बैंक	VIJAYA BANK

NOTES



NOTES

NOTES



श्री आर. सी. सरकार,
मु.म.प्र. (शाखा कोलकता)
Shri R. C. Sarkar,
C.G.M. (BO Kolkatta)



श्री मनोज बजाज,
मु.म.प्र.(वित्त)
Shri Manoj Bajaj,
C.G.M. (Finance)



श्री ललित कुमार गुप्ता,
मु.म.प्र.(समन्वय)
Shri Lalit Kumar Gupta,
C.G.M. (Co-ordination)



श्री मो. जफर रिजवानी,
कंपनी सचिव
Shri Mohd. Zaffar Rizwani,
Company Secretary

महा प्रबंधक / General Managers

श्री पी. टी. पिल्लेवार
Shri P. T. Pillewar

श्री एस. के. पाणिग्राही
Shri S. K. Panigrahi

श्री आर. के. गुप्ता
Shri R. K. Gupta

श्री एस. के. दास
Shri S. K. Das

उप महा प्रबंधक / Deputy General Manager

डॉ. एस.के.चतुर्वेदी
Dr. S. K. Chaturvedi

श्री अतुल काला
Shri Atul Kala

श्री. यू.के. सिंह
Shri U.K. Singh

श्री ए. के. श्रीवास्तव
Shri A. K. Srivastava

श्री विशाल के सिन्हा
Shri Vishal K. Sinha



महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के करकमलों से 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' ग्रहण करते हुए निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री बी.के. मिश्र.

Shri B.K. Mishra, Chairman-cum-Managing Director receiving 'Indira Gandhi Rajbhasha Shield' from Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee.



शाखा कार्यालय सिरसा, हरियाणा में सीसीआई के नव निर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए श्री बी.के. मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक.

Inaugurating the new office Building of CCI at Branch Office, Sirsa,Haryana by Shri B.K. Mishra, Chairman-cum-Managing Director.

Designed & Printed by creativelime2009@gmail.com